

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्याहरवा सत्र
(दसवीं लोक सभा)



(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

दिनांक 29 जुलाई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
हिन्दो संस्करणों का रुद्रि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पट्टिए
आवरण पृष्ठ	6	ग्याहरवा	ग्वारहवां
1	6	गयी	गई
26	16	हूँ	हूँ
33	9	कमालुद्दीन	कमालुद्दीन
36 तथा 127	नोवे से 5 तथा नोवे से 9	संदोफन	संदोफन
45	12	800 श्री राम तहल चौधरी	880 श्री राम टहल चौधरी
53	नोवे से 3	के	में
66	नोवे से 2	मौर्य	मौर्य
67	नोवे से 8	श्री थाइल जोन ऊंलोज	श्री थाइल जान ऊंलोज
81	2	प्रार्थिक	प्रार्थिक
100	5	प्रो० श्रीमती हुलाकिको लक्ष्मण	प्रो० ताकिको लक्ष्मण
113	नोवे से 8	* 937	973
118, 119	नोवे से 18	प्रयोजनवार	प्रयोजनावार
123	11	वाणिज्यिक मंत्री	वाणिज्य मंत्री

....2/-

विषय—सूची

दशम माता, खंड 33, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 29 जुलाई, 1994/7 श्रावण, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संपुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में	...
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...
• तारांकित प्रश्न संख्या :	81-100 ... 1-20
अतारांकित प्रश्न संख्या:	841 स 1043, 1045 स 1066 20-181

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित x चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न का उम्मीदवार ही सदस्य न पृष्ठ था :

लोक सभा

शुक्रवार, 29 जुलाई, 1994/7 श्रावण, 1916 (श.क.)

लोक सभा 11.00 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

प्रतिभूति और बैंक संब्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर की-गयी-कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या उन्होंने यह सूचना दे दी है कि उन्होंने यह प्रतिवेदन वापिस ले लिया है? (ब्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, उन्हें यह प्रतिवेदन वापिस लेने दीजिये अथवा सभा स्थगित कर दीजिये। (ब्यवधान)

11.04 म०पू०

इस समय श्रीमती सरोज दुबे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जापान को चावल का निर्यात

*81. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल निर्यातकों ने भारतीय चावल के निर्यात के लिए और अधिक विदेशी बाजारों का विशेष रूप से जापान में, पता लगाने में विशेष रुचि दिखाई है और इस हेतु सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) क्या भारतीय चावल के लिए बाजार का पता लगाने हेतु चावल निर्यातकों के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में जापान खाद्य एजेंसी के अधिकारियों और संभावित आयातकों के साथ चर्चा करने हेतु जापान की यात्रा की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) निकट भविष्य में जापान को अनुमानतः कितने चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात किया जाएगा ; और

(ड) विदेशों में अधिक पसंद की जाने वाली किस्मों का चावल उगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जी हां। चावल निर्यातकों ने भारतीय चावल के लिए जिन बाजारों का पता लगाने में गहन रुचि दिखाई है, उनमें जापान भी शामिल है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ (ए०आई०आर०ई०ए०) ने अप्रैल, 1994 में जापान को एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। प्रतिनिधिमंडल समन्वेषी प्रकृति का था। इसका उद्देश्य जापानी बाजार की जानकारी प्राप्त करना तथा उस बाजार में प्रवेश की संभावना का पता लगाना था। प्रतिनिधियों ने जापान सरकार के खाद्य-अभिकरण (जे०एफ० ए०) से तथा जापानी विदेश मंत्रालय और उनके संगरोधी विभाग के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। उन्होंने विभिन्न व्यापार घरानों, सुपर मार्केट चेन्स, खाद्य-संसाधकों और चावल के थोक विक्रेताओं तथा जापानी चावल थोक विक्रेता संघ के अधिकारियों के साथ भी बैठकें कीं।

प्रतिनिधिमंडल का मूल्यांकन यह था कि जापानियों द्वारा छोटे दाने के चावल की जापानिका किस्म को प्राथमिकता दिए जाने के कारण जापान को लम्बे दाने वाले चावल की बल्कि मात्रा में निर्यात की तत्काल कोई संभावना नहीं है। परंतु एक विशेष भोजन के रूप में थोड़ी मात्रा में बासमती चावल जापान को भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में जापानिका चावल का उत्पादन नगण्य है और ऐसी किस्में विकसित करना केवल तभी संभव होगा जब एक सुनिश्चित जापानी बाजार हो।

(ड) कृषि मंत्रालय चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रचार करने और निर्विष्टियों के अधिक एवं कुशल प्रयोग सहित उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रचार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चला रहा है।

[हिन्दी]

कर अपवंचन

*82. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कर अपवंचन के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर अपवंचन की प्रवृत्ति रोकने हेतु कानून को सरल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कर अपवंचन संबंधी पता लगाए गये मामलों की संख्या इस प्रकार है :

(I) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत : 5,286 मामले

(II) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत (1) 689 व्यावसायिक घोखाघड़ी के मामले
(अन्ततिम)

: (2) 47, 356 तस्करी के मामले

(III) आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर अपवंचन के मामलों का पता सर्वेक्षण, तलाशियों, कर निर्धारण जांच प्रक्रिया तथा अन्य जांच-पड़ताल के दौरान लगाया जाता है। इस प्रकार के

मामलों के बारे में आंकड़े संकलित रूप से नहीं रखे जाते। वर्ष 1993-94 के दौरान 5,026 तलाशियां ली गईं, जिसके परिणामस्वरूप 396.46 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां जब्त की गईं और 448.83 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला।

सरकार समय-समय पर कर अपवंचन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

- (1) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों के अन्तर्गत — केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को कम करना/ इसका युक्तिकरण करना, शुल्क दरों को उदार बनाना, छूट अधिसूचनाओं की संख्या को कम करना, अधिक संख्या में मदों को माडवेट का लागू किया जाना, माडवेट प्रक्रिया को सरल बनाना, लघु उद्योग रियायत योजना का युक्तिकरण करना।
- (2) आयकर कानूनों के अन्तर्गत :— विधिक उपायों में शामिल हैं — कर दरों में उतरोत्तर छूट देना, आय स्लैब का युक्तिकरण करना और छोटे कर दाताओं के लिए संभावित कर संबंधी व्यवस्था करना। उपयुक्त मामलों में लेखाओं की अनिवार्य लेखा-परीक्षा और उनके रख-रखाव से संबंधित व्यवस्था करना, नकद लेन-देन पर और पूर्वाधिकृत सम्पत्ति की खरीद पर रोक लगाना, काले धन की जमाखोरी रोकने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा रहे हैं जैसे — जुर्माना करना, अभियोजन साथ ही साथ तलाशी और सर्वेक्षण के प्रवर्तन प्रावधान आदि।

[अनुवाद]

बौद्ध यात्रा सर्किट

*83. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1988 में उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध यात्रा सर्किट में मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा जनवरी, 1992 में महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के संरक्षण और विकास हेतु ओवरसीज इकोनॉमिक कोआपरेशन फंड ऑफ जापान के साथ ऋण संबंधी समझौते किये थे;

(ख) यदि हा, तो इन समझौतों की शर्तें क्या-क्या थीं;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य ने अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(घ) इन परियोजनाओं की अब तक की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथों के साथ-साथ पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए दिसम्बर, 1988 में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (जो० ई० सी० एफ०) के साथ एक ऋण करार किया है। सरकार ने महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा परियोजना के संरक्षण और विकास के लिए भी जनवरी, 1992 में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ एक ऋण करार किया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार परियोजना के लिए, परियोजना अवधि जो प्रारम्भ में जनवरी, 1994 तक थी, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ने हाल ही में इसे जनवरी, 1997 तक बढ़ा दी है। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष 9.244 बिलियन जापानी येन तक की वित्तीय सहायता देगा। परियोजना के प्रमुख घटक हैं—राष्ट्रीय और राजमार्गों का सुदृढीकरण, भू-दृश्यांकन, जल और विद्युत आपूर्ति को बढ़ाना तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की स्थापना करना। यह ऋण 20 वर्ष में चुकाना होगा जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि होगी जिसके दौरान 2.5% की दर से ब्याज लगेगा।

अजंता और एलौरा परियोजना के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष की सहायता \$745 मिलियन जापानी येन की है। इस परियोजना के दिसम्बर, 1996 तक पूरा होने की संभावना है। इस ऋण करार के तहत विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा ऋण की अन्तिम अदायगी मार्च, 1999 तक की जाएगी। यह ऋण 20 वर्ष में चुकाना होगा जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि होगी जिसके दौरान 2.6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। परियोजना के प्रमुख घटक हैं—वनरोपण, औरंगाबाद में हवाई अड्डों की सुविधाओं का स्तरोन्नयन, सड़कों को मजबूत बनाना और सुधार करना, जल और जल-मल व्यवस्था को बढ़ाना, विद्युत आपूर्ति का सुधार करना, स्मारकों का संरक्षण और यात्री प्रबंधन सुविधाएं।

उत्तर प्रदेश और बिहार परियोजना के अन्तर्गत, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि में से 11.7 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और 16.5 करोड़ रुपए बिहार के हैं।

अजन्ता और एलौरा परियोजना चालू है। अब तक 72.61 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

*84. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने 1994-95 के दौरान अपने-अपने राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है, और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से वर्ष 1994-95 के लिए 51.15 करोड़ रु० की राशि की 250 स्कीमों/परियोजनाओं की प्राथमिकता प्रदान की है तथा इस उद्देश्य के लिए 19.96 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए
प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजनाओं/स्कीमों की सं०	अनुमानित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	308.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	77.00
3.	असम	6	130.00
4.	बिहार	10	230.00
5.	गोआ	6	155.00
6.	गुजरात	8	170.00
7.	हरियाणा	9	195.00
8.	हिमाचल प्रदेश	12	313.50
9.	जम्मू और कश्मीर	12	281.00
10.	कर्नाटक	12	400.00
11.	केरल	11	240.00
12.	मध्य प्रदेश	8	195.00
13.	महाराष्ट्र	10	251.00
14.	मणिपुर	7	110.00
15.	मेघालय	5	100.00
16.	मिजोरम	9	150.00
17.	नागालैण्ड	5	55.00
18.	उड़ीसा	8	170.00
19.	पंजाब	9	185.00
20.	राजस्थान	11	231.00
21.	सिक्किम	5	130.00
22.	तमिलनाडु	7	160.00

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	9	101.00
24.	उत्तर प्रदेश	12	266.00
25.	पश्चिमी बंगाल	8	79.50
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5	83.00
27.	चण्डीगढ़	5	47.50
28.	दादरा और नागर हवेली	2	31.00
29.	दमण और दीव	8	40.00
30.	दिल्ली	7	105.00
31.	लक्षद्वीप	1	25.00
32.	पाडिचेरी	6	105.00
जोड़ :		247	5115.10

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में विमान दुर्घटना

*85. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई, 1994 को एक विमान दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप जान माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बाक्स मिल गया है;

(घ) यदि हां, तो ब्लैक बाक्स से विमान में किन खराबियों का पता चला है;

(ङ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और विमान नष्ट हो गया।

(ग) और (घ) चूँकि विमान का आल अप वेट 5700 किलोग्राम से कम था, अतः इसमें फ्लाइट

रिकार्डर नहीं लगे हुए थे।

(ड) और (च) वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अधीन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए सरकार का वायुयान नियम 1937 के नियम 75 के अधीन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय गठित करने का भी प्रस्ताव है।

पर्यटन को बढ़ावा देना

*86. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री रामविलास पासवान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने और उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने कितनी बार विदेशों की यात्रा की है;

(ख) इन विदेश यात्राओं पर वर्ष-वार अनुमानतः कितना व्यय हुआ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इस प्रकार की यात्राओं के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आशा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) (क) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री, श्री गुलाम नबी आज़ाद ने भारत के लिए पर्यटन और वायुयान सेवाओं का संवर्धन करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान छह यात्राएं की हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के लिए पर्यटन का संवर्धन करने के लिए इस अवधि के दौरान ग्यारह अधिकारी स्तरीय यात्राएं की गई हैं।

(ख) इन विदेशी यात्राओं पर वर्षवार हुआ अनुमानित खर्च निम्नानुसार है:—

(रुपए लाखों में)

	मंत्री	अधिकारी (इनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जो मंत्री जी के साथ गए)
1992-93	9.80*	9.51
1993-94	4.42*	18.84

(ग) और (घ) 8 वीं योजना के अंत तक पर्यटन से होने वाली वार्षिक विदेशी मुद्रा आय 7,000 करोड़ रु० होने का अनुमान है। जिन विभिन्न कारणों से आय में वृद्धि होने की आशा है उसमें विदेशों में संवर्धन और प्रचार किया जाना शामिल है। इस प्रकार किसी भी एक कारण से पड़ने वाले भाव का अलग से अनुमान लगाना कठिन है।

*वायुयान किराया और अन्य भत्तों पर हुआ खर्च।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति की दर

*87 श्री पंकज चौधरी :

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जाने के बावजूद इसकी दर दो का आंकड़ा पार कर गई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांकों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अंक दर अंक आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही;

(ङ) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 9 जुलाई, 1994 को समाप्त होने वाले सप्ताह में, जिसके लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 10.35 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। पिछले छह महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विवरणों की सूची नीचे दी गई है:—

आवश्यक वस्तुएं

1994	थोक मूल्य सूचकांक आधार = 1981-82	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार = 1982
1	2	3
जनवरी	256.8	255.3
फरवरी	259.6	261.7
मार्च	260.3	262.7
अप्रैल	262.1	उ०न०
मई	268.0	उ०न०
जून	270.7	उ०न०

(ग) जनवरी से मुद्रास्फीति सम्बन्धी सम्भावनाओं को बढ़ाने वाले तथ्य (i) उच्च राजकोषीय घाटा, (ii) मुद्रा पूर्ति की अधिक वृद्धि; (iii) चीनी, कपास, जूट और मूंगफली में उत्पादन में गिरावट; और (iv) पिछले तीन वर्षों से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गम मूल्यों में लगातार वृद्धि है।

(घ) पिछले छह महीनों के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर नीचे दी गई है :—

को समाप्त-सप्ताह	मुद्रास्फीति प्रतिशत	को समाप्त-सप्ताह	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
1	2	3	4
1 जनवरी, 1994	8.86	2 अप्रैल	11.29
8	9.18	9	11.65
15	9.47	16	11.51
22	9.14	23	12.09
29	8.96	30	11.82
5 फरवरी	9.52	7 मई	12.01
12	9.42	14	11.94
19	9.25	21	11.09 (अ)
26	9.52	28	10.62 (अ)
5 मार्च	10.25	4 जून	10.30 (अ)
12	10.38	11	10.28 (अ)
19	10.73	18	10.42 (अ)
26	10.81	25	10.22 (अ)
		2 जुलाई	10.73 (अ)
		9	10.35 (अ)

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9 जुलाई 1994 तक आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य 6.8 प्रतिशत बढ़ गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में तदनु रूप अवधि के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(च) हाल के महीनों में सरकार द्वारा अपनाए गए मुद्रा-स्फीति रोधी उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) 1994-95 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को पिछले वर्ष के 7.3 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय।

- (ii) 1994-95 के दौरान बजट घाटे और तदर्थ राजकोषीय हुडियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से निवल ऋणों को 6000 करोड़ रुपए तक सीमित रखना और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यप्रणाली की स्थापना करना कि यह सीमा 10 लगातार कार्य दिवसों से अधिक के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो।
- (iii) 1994-95 में 14 से 15 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को कम करने की दृष्टि से बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना।
- (iv) शून्य शुल्क सहित ओ०जी०एल० के अन्तर्गत चीनी और कपास के आयात को अनुमति देना।
- (v) ओ०जी०एल० पर परिष्कृत पामोलिन का आयात करना और 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयात की अनुमति देना।
- (च) सरकार द्वारा हाल ही के महीनों में किए गए मुद्रास्फीति-विरोधी उपाय इस प्रकार हैं :—
- (i) पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994-95 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक समिति रखने का निर्णय।
- (ii) बजट घाटे और वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से 6,000 करोड़ रुपए की तदर्थ सरकारी हुडियों के रूप में निवल उधार को सीमित रखना और ऐसा तंत्र शुरू करना जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सीमा निरंतर 10 दिन के कार्यदिवसों के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।
- (iii) वर्ष 1994-95 में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में 14 से 15 प्रतिशत की सीमा तक कमी करते हुए बैंकों के लिए नकद प्रारक्षित मुद्रा भंडार के अनुपात को बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करना।
- (iv) मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शून्य सहित चीनी और कपास के आयात को अनुमति देना।
- (v) परिष्कृत पामोलिन के आयात को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखना और 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयात की अनुमति देना।
- (vi) कपास/यार्न आपूर्ति को पूरा करने के लिए 7 प्रतिशत शुल्क पर विस्कोज स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति देना।
- (vii) खाद्यान्न भंडारों के व्यापक सरकारी भंडार से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल और गेहूँ की खुले बाजार में बिक्री द्वारा खाद्यान्न बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप करना।
- (viii) कृषि से संबंधित कच्चा माल जैसे — कपास, वनस्पति तेल, तिलहन और दालों के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय।

[अनुवाद]

विदेशी विमान कम्पनियां

*88. श्री विजय कुमार यादव :

श्री तारा सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अपने कार्यों का संचालन कर रही विदेशी विमान कम्पनियां नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्व स्वीकृति के बिना शुल्क और अन्य छूट नीतियों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की रियायत का घरेलू विमान कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जून, 1994 में एयरलाइन्स प्रतिनिधि बोर्ड ने नागर विमानन महानिदेशक को सूचित किया था कि भारत से प्रचालन कर रही कुछ विदेशी एयरलाइनें, विशेषकर, यूरोप और ब्रिटेन की एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों का उल्लंघन करके टैरिफ अतिक्रमण कर रही हैं। किरायों में इस तरह की कटौती से हमारे राष्ट्रीय वाहकों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक ने 8-7-94 को सभी विदेशी प्रचालकों की एक बैठक बुलाई थी और सभी प्रचालकों को किराया उगाहने से संबंधित वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों का पालन करने की सलाह दी थी।

[हिन्दी]

श्रम विवाद

*89. श्री राजवीर सिंह :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित औद्योगिक विवादों/श्रम संबंधी मामलों के लिए और अधिक न्यायालय/न्यायाधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित औद्योगिक विवादों/मामलों के लिए इस समय विद्यमान श्रम न्यायालयों/अधिकरणों से और अधिक श्रम न्यायालय/अधिकरण गठित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ लम्बित विवादों को तेजी से निपटाने के लिए की जा रही कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं :—

(i) अधिक तीव्र संशोधन कार्य ताकि अधिकांश मामलों को संसाधन अवस्था पर ही निपटाया जा सके,

(ii) श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्रता से भरना,

(iii) जहां कहीं संभव हो, लोक अदालतें आयोजित करना।

[अनुवाद]

भरमार करके सस्ते मूल्य पर इस्पात बेचना

*90. श्री हरीश नारायण प्रभु झांड्ये :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में इस्पात की भरमार कर उसे सस्ते मूल्यों पर बेचे जाने और इसे रोकने के उपाय करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने फरवरी, 1994 में पाटन रोधी जांच करने के लिए एक याचिका दायर की थी जिसमें भारत में, स्टील प्लेटों की डम्पिंग का आरोप लगाया गया था।

इस याचिका की जांच सीमा-शुल्क अभिकर डम्प वस्तुओं का अभिज्ञान, उनका मूल्यांकन एवं उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का संचय तथा हानि का निश्चय नियमावली, 1985 के अनुसार की गई और यह पाया गया कि डम्पिंग/हानि का कोई प्रत्यक्षतः साक्ष्य नहीं था। यह तथ्य याचिकाकर्ता को मार्च, 1994 में सूचित कर दिया गया था।

बैंक ऋण और वसूली

*91. श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 को औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में ऋण वसूली की तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की राशि में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों और अतिदेय राशियों को नीचे दर्शाया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	बकाया अग्रिम	अतिदेय राशियाँ	बकाया की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता
कृषि	17872	4210	23.5
उद्योग	62105	10702	17.2

(ख) और (ग) जून 1990, जून 1991, जून 1992 और जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के पास सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपए)

के अन्त तक	उद्योग		कृषि	
	बकाया अग्रिम	उत्तर-चढ़ाव	बकाया अग्रिम	उत्तर-चढ़ाव
जून 1990	54124	-	16939	-
जून 1991	62452	8028 (14.8)	17221	282 (1.7)
जून 1992	70284	7832 (12.5)	18767	1546 (8.9)
जून 1993	78714	8430 (11.9)	20075	1308 (7.0)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि दर को दर्शाते हैं।)

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की वृद्धि दर में लगातार गिरावट आई है जब कि कृषि क्षेत्र के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

*92. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मजदूरी नीति को प्रारूपित करने से सम्बन्धित विषय पर विगत में विभिन्न मंचों पर विचार किया गया है। सितम्बर, 1985 में राज्य श्रम

मंत्रियों के एक दल ने यह निर्णय लिया कि इस स्थिति में एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति को प्रारूपित किया जाना व्यवहार्य नहीं है। इस विषय पर नवम्बर, 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में भी विचार किया गया था। भारतीय श्रम सम्मेलन ने यह राय दी थी कि "जब तक एक राष्ट्रीय मजदूरी व्यवहार्य नहीं हो रही है तब तक यह वांछनीय होगा कि क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए जिसके लिए केन्द्रीय सरकार अपना मार्ग निर्देश दे सकती है। न्यूनतम मजदूरी में आवधिक आधार पर नियमित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए और उसे निर्वाह लागत से जोड़ दिया जाना चाहिए।" तदनुसार, सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को जुलाई, 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ये यह भी अनुरोध किया गया था कि वे न्यूनतम मजदूरी के एक हिस्से के रूप में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, जिनमें प्रत्येक 6 माह के अन्तराल में संशोधन किया जाए प्रदान करें।

नए विमानपत्तन

*93. श्री शांताराम पोतदुखे :

श्री के० प्रधानी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक विमानपत्तन के निर्माण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) प्रत्येक विमानपत्तन का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। मेघालय में तूरा में एक नया हवाई अड्डा विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खर्च किए जाने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2.43 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है।

(घ) परियोजना के वर्तमान लागत अनुमान 6.17 करोड़ रुपए है। वित्तीय तंगी के कारण इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए स्वयं वित्त व्यवस्था करना कठिन है। वित्तीय संसाधनों का पता लगाने के बाद ही परियोजना आरंभ की जाएगी।

रूस के साथ व्यापार

*94. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-रूस संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक हुई थी;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारत-रूस व्यापार को आगामी दो वर्षों में 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की संभावनाओं पर बल दिया गया था;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के भी सुझाव दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) "भारत-रूस अन्तर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग आयोग" के सह-अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री (भारत) और श्री पूरी एफ यारोव, उप-प्रधान मंत्री (रूस) ने 3-7 जून, 1994 को भारत में श्री पारोव की सरकारी यात्रा के दौरान बैठकें की। संयुक्त आयोग का प्रथम औपचारिक सत्र सितम्बर, 1994 के लगभग मध्य में मास्को में आयोजित होना तय हुआ है।

(ख) श्री पारोव की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में यह सहमति हुई कि संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर अगले दो वर्षों के भीतर 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेगा।

(ग) से (ङ) श्री पारोव की यात्रा के दौरान आयोजित बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार का स्तर बढ़ाने एवं व्यापार में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ। कुछ समस्याएं अभिज्ञात की गयी जिनमें यह शामिल थीं — नोवहन, बैंकिंग और भण्डारागार सुविधाओं के अनुसार व्यापार के लिए उचित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का अभाव, रूस द्वारा ऋण पुनर्भुगतान राशि का मन्द गति से उपयोग और भारतीय एवं रूसी व्यापारियों के बीच संबंध विकसित करने में धीमी प्रगति। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रबल प्रयास करने पर सहमति जताई। व्यापार को बढ़ाने के लिए अभिज्ञात उपायों में शामिल हैं— संयुक्त उद्यम बैंक को प्रोत्साहित करना; काले सागर में नोवोरोसिक बन्दरगाह के विकास में सहयोग करना; भण्डारागार एवं प्रेषण व्यापार सुविधाओं में सुधार करना, और रूस पक्ष द्वारा रूसी आपातकों को रूबल-ऋण-प्रदान करना और भारत से आयातित सामानों पर शुल्क घटाना जैसे प्रायोजित उपायों से ऋण-पुनर्भुगतान राशि के उपयोग में सुधार। व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने संबंधी निर्णयों को और अधिक ठोस करने के लिए मास्को में (20-21 जुलाई, 1994) को व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक कार्य-दल की बैठक हुई।

नाबाई को ऋण

*95. श्री बोल्ता बुल्ती रामप्या :

श्री एम०वी०एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की ऋण सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों को ऋण देने के संबंध में ग्रामीण बैंकों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) इस नई ऋण नीति से ग्रामीण क्षेत्र को कितना बढ़ावा मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) पर्याप्त पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को लक्ष्य बनाने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1994 में घोषित अपनी ऋण नीति में मौसमी कृषि परिचालन के लिए सामान्य ऋण श्रृंखला (जी०एल०सी०)—1 में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि करके उसे 3700 करोड़ रुपए की वर्तमान स्तर से 4100 करोड़ रुपए कर दिया है।

इसके अलावा, गैर-कृषि क्षेत्र की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए जी०एल०सी०-11 में भी 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करके उसे 650 करोड़ रुपए से 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आशा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता से कृषि क्षेत्र के छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सभी भारतीय बैंकों को उनके निवल ऋणों का कम से कम 18% कृषि क्षेत्र को प्रदान करना होता है। यह निर्धारित किया गया है कि 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए। छोटे उधारकर्ताओं के लिए, 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए कोई मार्जिन राशि अपेक्षित नहीं है और 15,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के संबंध में किसी प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारंटी पर जोर नहीं दिया जाता।

ऊपर उल्लिखित स्थायी मार्गनिर्देशों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक की मई 1994 की ऋण नीति में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:—

1. राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नाबार्ड से ऋण सीमाएं प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वसूली प्रतिशतता से संबंधित छूट को 30-6-1995 तक आगे बढ़ा दिया गया है।
2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि ऋणों में वृद्धि करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करें।
3. उच्च तकनीक वाले कृषि ऋणों के संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक विशेषज्ञ शाखा होनी चाहिए।
4. प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की गई निवल निधियों को प्रायोजक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के रूप में माना जाएगा।
5. पशुओं को चारा देने, कुक्कुटों को चारा देने आदि जैसे संबंधित कार्यों के लिए निविष्टियों के सवितरण के वित्तपोषण के लिए मंजूर किए गए 5 लाख रुपए तक के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के रूप में माना जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा पूंजी निवेश

*96. श्री राम पूजन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों ने भारत में गत दो वर्षों के दौरान कितना पूंजी निवेश किया तथा यह निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया है;

(ख) क्या इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति भी दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे संबंधित शर्तें वहीं हैं जो भारतीय बैंकों पर लागू होती हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए क्षेत्रवार अग्रिमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	(बकाया शेष करोड़ रुपए में)	
	मार्च 1993	मार्च 1994
निवल बैंक ऋण	10398	10153
प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण जिनमें से:—	916	3172
(I) कृषि को अग्रिम	38	45
(II) लघु क्षेत्रों को अग्रिम	555	940
(III) अन्य क्षेत्रों को अग्रिम	9482	6981

(ख) भारत में कार्यरत विदेशी बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) भारतीय बैंकों के विपरीत जिन्हें अपने निवल ऋणों का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देना होता है, कृषि ऋण का कोई लक्ष्य विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि उनके पास कोई ग्रामीण शाखा नेटवर्क नहीं है।

अलवत्ता, मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड, ब्याज दर, अग्रिमों की मात्रा और कृषि क्षेत्र संबंधी अन्य शर्तें घरेलू बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए एक समान हैं।

[अनुवाद]

बैंकिंग प्रणाली

*97. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री रवि राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जाने-माने बैंकिंग विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन में बैंकिंग प्रणाली के संबंध में एक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विमानपत्तन पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं

*98. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 और 16 अप्रैल, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली विमानपत्तन पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाओं के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विमानपत्तन पर पक्षियों के विमानों से टकराने की कितनी घटनाएं हुई हैं, और इसके परिणामस्वरूप वर्षवार कितना नुकसान हुआ,

(ग) क्या विमानपत्तन के आसपास के क्षेत्र में बूचड़खाने के होने के कारण इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या कोई ऐसे नियम विद्यमान हैं कि बूचड़खाने विमानपत्तनों से एक निर्धारित न्यूनतम दूरी पर स्थापित किये जायें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

	1991	1992	1993	1994
				(25-7-1994 तक)
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाओं की संख्या	16	17	22	09

उपर्युक्त घटनाओं के कारण एयरलाइन्स को हुई हानि की सही-सही राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली के चारों ओर 10 कि०मी० तक की दूरी के भीतर कोई बूचड़खाना नहीं है।

(घ) और (ङ) वायुयान नियम 1937 के नियम 81-ख के अंतर्गत हवाई अड्डे के चारों ओर 10 कि०मी० तक की दूरी के भीतर पशुओं का वध करने की मनाही है।

(च) और (छ) नियम 81-ख का उल्लंघन करना तक संज्ञेय अपराध है और अपराधियों के खिलाफ मुकद्मा चलाया जा सकता है। अप्रैल/मई 1994 में किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान नियम 81-ख का उल्लंघन करने के कतिपय उदाहरण जानकारी में आए थे। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*99 श्री एस०बी०सिदनाल :

३० साल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1994 को थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या थे;

(ख) 1 जनवरी से 30 जून, 1994 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महंगाई भत्ते की यह किस्त जारी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं, ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि से राहत मिल सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) और (ख) 2 जुलाई, 1994 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक 267.3 था (आधार 1981-82=100) 101 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ए०आई०सी०पी०आई०) के संबंध में आकड़े अगस्त, 1994 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यता क्रमशः मार्च और सितम्बर माह के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है। क्या महंगाई भत्ते की एक और किस्त 1 जुलाई, 1994 से देय होती है, इसका पता 1 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध होने के बाद ही चल सकेगा।

रबड़ का आयात

*100. श्री वी०एस० विजयराघवन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपरिष्कृत रबड़ की मांग के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खुला सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत रबड़ का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रबड़ उत्पादकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) चालू वर्ष 1994-95 के दौरान देश में घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की मांग 4.85,000 मी०टन होने का अनुमान है। चूंकि अनुमानित उत्पादन से घरेलू बाजार में मौजूदा मांग लगभग पूरी हो जाती है, अतः सरकार का खुले सामान्य लाइसेंस योजना के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात का कोई विचार नहीं है। रबड़ उपजकर्ता प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के ऐसे किसी भी प्रयास का लगातार विरोध करते रहे हैं। किन्तु, विगत में रबड़ के आयात की अनुमति केवल उन्हीं अवसरों पर दी गई जब उत्पादन में ऐसी स्पष्ट गिरावट आई कि घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना संभव नहीं रहा।

विदेश-व्यापार

841. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "गेट" संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : गाट में 123 सदस्य हैं और 17 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए अनुरोध किया है, जिन पर विभिन्न चरणों में विचार हो रहा है। ऐसे 69 देश हैं, जिनके साथ हम व्यापार करते हैं, परन्तु जो गाट के सदस्य नहीं हैं। ये हैं: कैनारी द्वीप समूह, केप वार्ड द्वीप समूह, कोमोरोस जिबूती, इथोपिया, इक्वाटोरियल गिनी, लाइबेरिया, रियूनियन, साओ थोम एंड प्रिंसिपल, सीसेल्स, सोमालिया, सेंट हेलेना आफ एसेन्सन, लीबिया, सूडान, ग्रीनलैंड, सेन्ट पीरिया एंड मिकपेलोन, बंहामास, मोन्टसेरात, अमेरिकन सैमोआ, ब्रिटिश वर्जीनिया द्वीप समूह, कैमैन द्वीप समूह, फाकलैन्ड द्वीप समूह, गुआडेलोप, मार्टिनीक, पनामा केनाल जोन, पुएर्टो रिको, टर्कस एन्ड कैकोस द्वीप समूह संयुक्त राज्य का वर्जीनिया द्वीपसमूह, अफगानिस्तान, भूटान, क्रिसमस द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, ईरान, किरिबाटी गणराज्य, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, मंगोलिया, नौरु गणराज्य, नेपाल, पपुआ एंड न्यू गीनि, सोलोमन द्वीप समूह, टोन्गा, टुवालु, विएतनाम, पश्चिमी सैमोआ, इराक, लेबनान, ओमान, सीरिया, यमन अरब गणराज्य, यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, कोकोस द्वीप समूह, फेस क्यूआना, फ्रेंच पोलिनेसिया, गुआम, न्यू कैलेडोनिया, न्यू हेब्रिड्स, न्यू द्वीपसमूह, नोर्फोल्क द्वीप समूह, पैसिफिक द्वीप समूह, पिट्कैर्न द्वीप समूह, पोर्टुगुज टाइमर, टोकेलाड द्वीप समूह, वैल्लिस एंड फ्यूटुना द्वीप समूह, वैनुआटा गणराज्य, फेरो द्वीप समूह, एडोर्न चैनल द्वीप समूह और जिब्राल्टर।

बंधुआ बाल मजदूर

842. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बंधुआ मजदूरी विशेषकर बच्चे द्वारा दास श्रमिक के रूप में कार्य करने पर रोक लगाने में भारत की विफलता की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया; और

(घ) भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जून, 1994 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 31 वें अधिवेशन में मानकों की अनुप्रयोज्यता संबंधी समिति द्वारा वलात् श्रम से संबंधित अभिसमय

संख्या 29 पर विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि वह बाल बंधित श्रम सहित ऋण दासता को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु हर संभव प्रयास करें।

(ख) से (घ) सरकार ने पूरे देश में बंधित श्रम पद्धति को पूरी तरह से समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से पूर्ण सामर्थ्य से एक अभियान चलाया जाता रहा है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों को आवधिक सर्वेक्षण आयोजित करने की सलाह दी गयी है। सरकार द्वारा, पहचान किए गए बंधुआ मजदूरों को, वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके तथा गहन मानीटरिंग के माध्यम से एक समयबद्ध तरीके से पुनर्वासित किया जाता है। 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गये तथा मुक्त कराये गये 2,51,424 बंधुआ मजदूरों में से लगभग केवल 6000 बंधुआ मजदूरों को अभी पुनर्वासित किया जाना है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत वयस्क और बाल बंधुआ मजदूरों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। तथापि, बालकों के दासता की परिस्थितियों में कार्य करने के कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक मुक्त कराए गए बाल बंधुआ मजदूरों की संख्या निम्नानुसार है :-

आन्ध्र प्रदेश	-	43
बिहार	-	388
कर्नाटक	-	75
मध्य प्रदेश	-	545
महाराष्ट्र	-	1
उत्तर प्रदेश	-	341

[हिन्दी]

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

843. श्री काशीराम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता राशि का नियतन किया गया और प्रत्येक राज्य को पहले ही कितनी सहायता राशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आर्थिक संकट अथवा प्राकृतिक आपदाओं का समाधान कर रहे राज्यों को शेष धनराशि का भुगतान शीघ्र करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) : योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (जिसमें सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय

सहायता तथा राज्यों को अंतरित केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल हैं) जिसे वर्ष 1994-95 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को वित्त पोषित करने संबंधी स्कीमों में शामिल किया गया है, का राज्य-वार आबंटन तथा उसके प्रति अभी तक (26-7-1994 तक) जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) और (ग) सभी राज्य सरकारों को (चार राज्यों को छोड़कर) चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित बाजार उधारों की समस्त राशि अप्रैल महीने में एक ही बार में प्राप्त कर लेने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कुछ राज्यों को कृषि मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिश पर राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्र के अंशदान की वैमासिक किस्तें अग्रिम तौर पर जारी कर दी गई हैं। इस समय भविष्य में जारी की जाने वाली किस्तों का पूर्व नियतन करके केन्द्रीय सहायता की शेष राशि एकमुश्त तौर पर जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों को आबंटित केन्द्रीय
सहायता तथा उसके प्रति अभी तक
(26-7-1994 तक) जारी की गई राशियां**

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य	आबंटित की गई केन्द्रीय सहायता	अभी तक (26.7.94 तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1374.19	312.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	309.35	106.00
3.	असम	953.56	300.06
4.	बिहार	1175.31	335.87
5.	गोआ	53.14	16.30
6.	गुजरात	494.82	116.62
7.	हरियाणा	365.14	82.22
8.	हिमाचल प्रदेश	363.34	102.91
9.	जम्मू व कश्मीर	852.26	273.62
10.	कर्नाटक	882.86	204.14
11.	केरल	586.05	151.83
12.	मध्य प्रदेश	752.99	204.17
13.	महाराष्ट्र	997.21	213.05

1	2	3	4
14.	मणिपुर	223.79	70.20
15.	मेघालय	249.65	64.82
16.	मिजोरम	207.03	62.60
17.	नागालैण्ड	207.34	64.60
18.	उड़ीसा	646.99	152.77
19.	पंजाब	972.03	279.58
20.	राजस्थान	703.77	156.77
21.	सिक्किम	135.62	48.63
22.	तमिलनाडु	1425.15	309.24
23.	त्रिपुरा	283.61	89.61
24.	उत्तर प्रदेश	2387.37	820.33
25.	पश्चिमी बंगाल	848.83	187.73
कुल जोड़ :		17451.40*	4726.27*

*इन आंकड़ों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सहायता शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से सहायता

844. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री परस राम भारद्वाज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में भारत को दी जाने वाली अपनी सहायता नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में हस्तशिल्प का विकास

845. श्री एन० जे० राठवा : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात हस्तशिल्प विकास निगम ने काष्ठ-शिल्प, कांस्य-शिल्प, हाथ की छपाई, कालीन बुनाई, मिट्टी की मूर्तिकला, बांस-शिल्प इत्यादि जैसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) : जी हां। वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात हस्तशिल्प विकास निगम से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:—

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत/रिजीज की गई राशि (लाख रु० में)
1.	प्रदर्शनी	14	7.60
2.	डिजाइन तथा तकनीकी विकास	8	8.00

नासिक स्थित नोट मुद्रण-प्रेस का आधुनिकीकरण

846. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नासिक स्थिति नोट मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार के पास संसाधन के दबावों के कारण, नासिक में नोट प्रिंटिंग प्रेस के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई समयबद्ध स्कीम तैयार करना सम्भव नहीं रह गया है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध किया गया है कि नासिक में नोट प्रिंटिंग प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक से जल्द ही उपरोक्त मशीनें उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कार्रवाई को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

राजा चेल्लैया समिति की रिपोर्ट

847. श्री सुल्तान सत्ताज्दीन ओवेसी :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजा चेल्लैया समिति की सिफारिशों को लागू करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य इन सिफारिशों को लागू करने पर सहमत नहीं हुए हैं और उन्होंने इसे लागू करने से पूर्व अन्तरिम रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु कोई समिति अथवा पैनल गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार सभी राज्यों में रिपोर्ट लागू करवाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ड) डा० राजा चेलैया के नेतृत्व वाली कर सुधार समिति ने केन्द्रीय करों के बारे में सिफारिश की थी न कि राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों के बारे में। तथापि, राज्यों में मूल्य वर्धित कर लागू करने सहित कर सुधारों के सभी पहलुओं पर दिल्ली में 27 मई, 1994 को हुए राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि मूल्य वर्धित कर सहित कर सुधारों के सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाए। संकल्प के अनुसरण में सरकार ने 11 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है।

कताई मिलों को लाइसेंस

848. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कताई क्षेत्र में सहकारी मिलों को नये औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र की सहकारी कताई मिलों को ऐसे लाइसेंस देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जुलाई, 1991 में घोषित उदारीकृत उद्योग नीति के अनुसार वस्त्र उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

849. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को विचारित सहायता में कमी करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत विकास मंच की बैठक देश की सहायता संबंधी जरूरतों पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 जून और 1 जुलाई, 1994 को पेरिस में हुई थी। मंच ने यह नोट किया कि भारत की आरक्षित निधि में 16 बिलियन डालर से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत को अब शीघ्र सवितरणीय सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की पुनः परिभाषित उधार नीति और बढ़िया किस्म की दीर्घावधि विकास सहायता के लिए वचनबद्धता की जरूरत के संबंध में विश्व बैंक की सिफारिश के अनुरूप विश्व बैंक सहित मंच के सदस्यों ने 6 बिलियन डालर एकमुश्त दीर्घावधि सहायता

देने का वचन दिया है। यह धनराशि हाल ही के वर्षों में वास्तव में नियत किए वचनबद्ध स्तर से कुछ ज्यादा है और विदेशी संसाधन जुटाने की सरकार की नीति में सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की प्रथमतः उच्च रियायती दरों पर सहायता प्राप्त की जाए, के अनुरूप है।

विमान टैक्सी आपरेटरों के साथ विदेशी एयरलाइनों का सहयोग

850. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एयरलाइनें भारतीय विमान मार्गों पर अपने विमान उड़ाने के लिए भारतीय विमान टैक्सी आपरेटरों के साथ सहयोग कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार ने टेल विंड लिमिटेड द्वारा जेट एयर को अपने स्वामित्व में लिए जाने का अनुमोदन कर दिया है। टेल विंड लिमिटेड " आइल ऑव मैन " में निगमित एक कम्पनी है जिसमें दो विदेशी एयरलाइनों मैसर्स गल्फ एयर और मैसर्स कुवैत एयर, दोनों में प्रत्येक के 20 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे।

(ग) और (ख) विदेशी श्रम भागीदारी के कारण राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

851. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितने चमड़े और चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के प्रथम तीन माह की तुलना में 1994-95 के प्रथम तीन माह के दौरान इन उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) निर्यात के मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक तीन वर्षों के दौरान चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है:—

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात
1991-92	3076.24
1992-93	3699.94
1993-94	4189.33

(स्रोत : डी०जी०सी०आई०एंड०एस०, कलकत्ता)

(ख) अप्रैल-जून, 1994-95 (पहली तिमाही) की अवधि के दौरान चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात अनन्तिम रूप से 1086.91 करोड़ रुपए मूल्य का होने का अनुमान है, जबकि 1993-94 में यह 955.42 करोड़ रुपए 1992-93 में 800.91 करोड़ रुपए और 1991-92 में 557.94 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

“क्रेडिट कार्ड” प्रणाली

852 श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बैंकों ने “क्रेडिट कार्ड” प्रणाली शुरू की है और “क्रेडिट कार्ड” धारकों की बैंकवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान क्रेडिट कार्डों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्रेडिट कार्डों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम जिन्होंने अपने ऋण कार्ड शुरू किए हैं और कार्डधारकों की संख्या (बैंक-वार) नीचे दी गई है :-

बैंक का नाम	कार्डधारकों की संख्या	की स्थिति के अनुसार
आन्ध्रा बैंक	73,007	31-3-1993
बैंक आफ बड़ौदा	1,60,637	31-3-1994
बैंक आफ इंडिया	26,514	30-9-1993
विजया बैंक	38,462	31-3-1993
केनरा बैंक	2,04,342	31-3-1994
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	81,429	31-3-1994

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार केनरा बैंक ने अन्ताराष्ट्रीय वीसा ऋण कार्ड के अंतर्गत धा-घड़ीपूर्ण लेन-देन की सूचना दी है।

(ग) केनरा बैंक ने आपराधिक शिकायत दर्ज की थी और पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस संबंध में छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खाते

853. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण खातों की संख्या कितनी थी; और पूरे देश में तथा राज्यवार और बैंकवार अलग-अलग कुल बकाया देय राशि कितनी थी;

- (ख) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण खातों का उसी अवधि के लिए आंकड़े क्या हैं; और
 (ग) अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों के उसी अवधि के लिए ऋण खाते संबंधी आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) सरकारी क्षेत्र के बैंको के ऋण खातों की कुल संख्या और उनमें पूरे देश में कुल देय बकाया राशि क्रमशः 164.8 लाख और 22988.85 करोड़ रुपए थी। उपर्युक्त में से प्राथमिकता क्षेत्र के खातों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि क्रमशः 146.5 लाख और 11661.55 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उपर्युक्त सूचना की तरह राज्य-वार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। फिर भी बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी देश के सभी जिलों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के खातों की कुल संख्या और बकाया राशि क्रमशः 56.96 लाख और 5674.67 करोड़ रुपए थी।

विवरण
मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण खातों की संख्या और उनमें बकाया
अतिदेय अग्रिमों की राशि के संबंध में बैंक-वार सूचना देने वाला विवरण।

क्र० सं०	बैंक का नाम	सभी श्रेणी के खातों में अतिदेय की कुल रकम		(रुपए करोड़ में)	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	4451367	6333.13	3785995	2823.97
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	227775	249.69	221250	151.93
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	173729	273.20	153093	170.81
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	130106	164.16	117971	87.73
5.	स्टेट बैंक आफ महाराष्ट्र	369864	240.12	283319	135.83
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	86886	204.00	79572	91.63
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	63124	96.24	61079	50.88
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	252277	235.79	202066	148.
9.	इलाहाबाद बैंक	677920	629.00	634955	269.00
10.	आन्धा बैंक	556538	435.20	486228	251.54
11.	बैंक आफ बड़ौदा	673161	1314.25	626083	659.98
12.	बैंक आफ इंडिया	801615	1411.00	740086	710.00

1	2	3	4	5	6
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	417681	744.72	388145	375.59
14.	केनरा बैंक	1211571	2079.63	1172902	1043.46
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1313541	1938.85	1299821	1129.24
16.	कापरिशन बैंक	215717	165.52	191794	122.15
17.	देना बैंक	344877	517.31	321115	271.16
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	916644	890.71	827006	522.82
19.	इंडियन बैंक	636535	847.15	609042	439.65
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	188361	493.33	177354	222.31
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	195479	199.69	180369	104.29
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	209027	626.02	193269	274.36
23.	पंजाब नैशनल बैंक	-	-	-	-
24.	सिडिकेट बैंक	1074851	1190.01	878831	649.10
25.	यूको बैंक इंडिया	-	-	-	-
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	618480	766.02	586779	461.06
27.	यूनिवर्सिटि बैंक आफ इंडिया	403279	390.13	375445	277.38
28.	विजया बैंक	273807	553.99	124123	219.04
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का योग		16484112	22988.85	14657692	11661.55

टिप्पणी : आंकड़ों का पूर्णांकन किये जाने के कारण योग मेल नहीं खा सकता है।

यूरो निर्गमों द्वारा प्राप्तियां

854. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पार्टियों द्वारा यूरो निर्गमों और जी०डी०आर० प्रवर्तन भागीदारी से कुल कितनी-प्राप्तियां (रुपयों और डालरों में) हुई हैं;

(ख) ऐसे निर्गमों पर ब्याज की औसत दर क्या है;

(ग) क्या यूरो निर्गमों और जी०डी०आर० से हुई वसूली को घरेलू उधार जिस पर काफी ऊंची ब्याज दर है, को चुकता करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 8-7-1994 तक भारतीय कम्पनियों ने यूरो-इशुओं के माध्यम से लगभग 3116 मिलियन अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 31.37 रुपए मानते हुए 9775 करोड़ रुपए के समान) की राशि जुटाई है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों (एफ०सी०सी०बी०) पर दी गई ब्याज दर 1 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच थी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 11-5-1994 को जारी किए गए यूरो इशूज 1994-95 के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनियां सामान्य कापीरिट पुनः संरचना संबंधी प्रयोगों; जिनमें उच्च लागत के घरेलू उधारों को चुकता करना शामिल है, के लिए यूरो इशू प्रक्रियाओं से हुई आय के केवल 15 प्रतिशत तक का हिस्सा उपयोग में ला सकती हैं।

प्रतिभूतियों के लेन देन संबंधी मार्ग निर्देश

855. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में प्रतिभूतियों के लेने देने से जुड़े कार्मिकों के मार्गनिर्देश हेतु कोई अनुदेश पुस्तिका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये मार्गनिर्देश अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी लागू होते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक निर्देश मैनुअल तैयार किया है और उसकी विधीक्षा के लिए उसे इस क्षेत्र के अनुभवी लेखा परीक्षकों की एक प्रतिष्ठित फर्म को दिया गया है।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक के अनुदेशों मैनुअल उद्देश्य ट्रेजरी के परिचालनों पर अपने आन्तरिक नियंत्रण को सुविधाजनक बनाना है।

(ड) प्रत्येक बैंक को उपयुक्त निवेश नीति तैयार करनी चाहिए और उसको कार्यान्वित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिभूति परिचालन सुव्यवस्थित और स्वीकार्य वाणिज्यिक प्रथाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार चल रहा है।

सहारा एयरलाइन्स के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

856. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा एयरलाइन्स के एक विमान के आकाश में दुर्घटनाग्रस्त होकर एक एरोप्लोट विमान पर गिर जाने से दिल्ली विमानपत्तन को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सहारा एयरलाइन्स से नुकसान की वसूली किस प्रकार की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कुल अनुमानित घाटा 5.67 करोड़ रुपए है।

(ग) भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स को संबंधित दस्तावेजों सहित अपने घाटे का दावा पेश कर दिया है। मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

857. श्री चन्द्रेश चट्टेज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं तथा बैंकों की भूमिका और कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि समन्वित, ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के सभी मर्दों की पुनरीक्षा करने के लिये नियुक्त समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) : समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों के विचार जानने के लिए उनके पास प्रश्नावली भेजी थी। उत्तर देने वाले व्यक्तियों/संगठनों की संख्या बहुत ही कम है। जिला समाहर्ता और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिनकी आई०आर०डी०पी० को लागू करने में प्रमुख भूमिका है, से जानकारी और सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे अपने विचार भेजने का अनुरोध करते हुए उन्हें प्रश्नावली भेजी गई है। तथापि, अब तक बहुत कम व्यक्तियों/संगठनों से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

भारत-म्यांमार सीमा व्यापार समझौते

858. श्री मंजय लाल :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-म्यांमार सीमा व्यापार समझौते कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमातूदीन अहमद) : (क) और (ख) म्यांमार के साथ सीमा व्यापार करार जनवरी, 1994 में किया गया और म्यांमार सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि सीमा व्यापार अक्टूबर, 1994 के उत्तरार्ध से शुरू होगा। इस बीच दोनों सरकारें सीमा व्यापार करार के संचालन के लिए आग्रजन प्रक्रियाओं से संबंधित व्यवस्थाओं, बैंकिंग सुविधाओं, सीमाशुल्क औपचारिकताओं, आदि को अन्तिम रूप देने जैसे आवश्यक कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों हेतु विशेष सैल

859. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री वृजभूषण शरण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों की समस्या सुलझाने हेतु एक विशेष सैल गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त सैल कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पटसन का उत्पादन

860. श्री प्रेम चन्द राम : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए पटसन के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पटसन को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1993-94 के लिए कच्चे पटसन (पटसन मेस्टा) का उत्पादन लक्ष्य 93 लाख गांठ — प्रत्येक गांठ 180 कि ग्रा० रखा है जिसमें से पटसन की 78.50 लाख गांठें तथा मेस्टा की 14.50 लाख गांठें शामिल हैं।

(ख) उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने तथा पटसन फाइबर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1987-88 में शुरू किए गए विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना वर्ष 1994-95 के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 8 प्रमुख पटसन मेस्टा उपजाने वाले राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है इस योजना के अन्तर्गत बीजों, उपकरणों, आवश्यक पोषक मिनीक्विट्स, यूरिया के फोलियर स्प्रे, कच्चे पक्के रैटिंग टैकों की खुदाई तथा फफुदी कृषि पैकेट आदि जैसी अन्तर्निदिष्टिया के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पटसन विविधीकरण के लिए यू०एन०डी०पी० सहायित कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन रैटिंग में सुधार करने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त पटसन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान कार्य भी शुरू किया गया है।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करने, आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने, तथा उपभोक्ताओं की रुचियों व विदेशी बाजार सहायता योजना आदि के अनुकूल विविधीकृत पटसन उत्पादों की नई श्रेणी विकसित करने हेतु अनुसंधान और विकास गतिविधियों को धन मुहैया करने जैसी अन्य बातों के साथ-साथ पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय भी किये हैं।

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

861. श्री राम कृपाल यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन बुनने वाले उद्योगों में कार्यरत चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशों की हैं; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिकों को क्षतिपूर्ति

862. डा० वसंत पवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य श्रम मंत्रियों ने उद्योगों के बन्द होने की स्थिति में श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति 15 दिन की मजदूरी से बढ़ाकर 45 दिन की मजदूरी करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य श्रम मंत्रियों के अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक लागू होगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) औ (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करते समय सुझाव को ध्यान में रखा गया था।

सेवानिवृत्ति की आयु

863. श्री एस०एम० लालजान वाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं भी सेवा निवृत्ति के लिये उच्चतर आयु सीमा का अनुरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा कर 60 वर्ष नहीं किया है। परन्तु उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने 19-7-1969 से पहले बैंक की सेवा ज्वाइन की है उनके सेवाकाल को 60 वर्ष की आयु तक चयनित आधार पर बढ़ाने पर विचार किया जाता है। ऐसा कुछ निर्धारित मानदण्डों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित प्रथाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार का विचार है कि बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः सरकार ने भारतीय बैंक संघ से कहा है कि वे अवार्ड स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के लिए मामले को अवार्ड स्टाफ के प्रतिनिधियों (लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ) के साथ उठाएं। उपर्युक्त को देखते हुए सरकार ने कुछ वित्तीय संस्थानों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया जाए।

आर्थिक सुधारों की गति धीमी होना

864. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विकास मंच ने हाल ही में आर्थिक सुधारों की गति धीमी होने के विरुद्ध भारत को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं? .

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारत विकास मंच की बैठक देश की सहायता संबंधी आवश्यकता पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 जून और 1 जुलाई, 1994 को पेरिस में हुई थी। बैठक भारत की आर्थिक नीति के लिए समर्थन की सुदृढ़ अभिव्यक्ति पर समाप्त हुई। प्रतिनिधियों ने यह पाया कि तीन वर्ष की अल्प अवधि में सरकार बृहत् आर्थिक संकट को दूर करने और भविष्य में उच्च-वृद्धि की अच्छी सम्भावनाओं सहित प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4 प्रतिशत की समग्र अच्छी वृद्धि बनाए रखते हुए संरचनात्मक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अभूतपूर्व ढंग से सफल रही है। यह देखा गया है या कि अगली कार्यसूची अत्यधिक आवश्यक है और इसके लिए (i) राजकोषीय समेकन की गति को सुधारने के अनवरत प्रयास (ii) क्षेत्र-स्तरीय नीति और कृषि, विद्युत, दूरसंचार और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में निजी प्रवेश के लिए प्रेरक संस्थात्मक ढांचा स्थापित करने; (iii) सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करने और राजकोषीय संरचनात्मक सुधारों संबंधी प्रयासों को राज्यों तक पहुंचाने की अपेक्षा होगी।

(ग) और (घ) व्यक्त किए गए विचारों के प्रत्युत्तर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इंगित किया कि सरकार राजकोषीय समायोजन और सुधार कार्यक्रमों में प्रगति बनाए रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों को आगामी वर्षों में सुदृढ़ तथा हस्तारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्व संग्रह

865. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को राज्यवार आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा शुल्क और लघु बचत से कुल कितने राजस्व की आय हुई;

(ख) कुल एकत्रित राजस्व में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि लौटाई गई; और

(ग) इस समय राज्यवार कितने आयकर निर्धारित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरिया का आयात

866. श्री संदीपान भगवान धोरात : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एम० एम० टी० सी० द्वारा यूरिया के आयात के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों और कार्य पद्धतियों में अनियमितताओं/उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/ उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेशम का उत्पादन

867. श्री द्वारका नाथ दास

श्री प्रवीन डेका

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रेशम कीट पालन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में काफी कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट कच्चे रेशम अर्थात् मूगा और एन्डी का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने असम में विशिष्ट कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण रेशम उत्पादकों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं। असम से रेशम की ऐरी और मूगा किस्मों का उत्पादन जोकि वर्ष 1992-93 में क्रमशः 389 मीट्रिक टन और 60 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 1993-94 के दौरान क्रमशः 411 मीट्रिक टन तथा 75 मीट्रिक टन हो गया।

तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन का विकास करने तथा राज्य में ग्रामीण रेशम उपजकर्ताओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए असम में अनेक एककों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त राज्य में ऐरी और मूगा रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है :—

- (1) ऐरी खाद्य पौधों को बढ़ाने की योजना।
- (2) ऐरी के उत्पादन का विकास करने तथा घरेलू विपणन के लिए योजना।
- (3) मूगा उपजाने वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण की योजना।
- (4) मूगा खाद्य पौधों को बढ़ाने की योजना।
- (5) मूगा का उत्पाद विकास करने तथा घरेलू विपणन करने की योजना।

[अनुवाद]

विमान भाड़ों में वृद्धि

868. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चयनित क्षेत्र में विमान भाड़ा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचित एयरलाइनों तथा विमान टैक्सी चालकों के साथ कोई पारस्परिक व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 25 जुलाई, 1994 से सभी सैक्टरों पर अपने अंतर्देशीय रुपया किरायों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स के एअर इंडिया और वायुदूत के साथ अंतरलाइन प्रबंध हैं, जिनके तहत इंडियन एयरलाइन्स के परिवहन दस्तावेजों को अन्य दोनों भागीदारों द्वारा स्वीकारा जाता है। इंडियन एयरलाइन्स के एअर टैक्सी प्रचालकों के साथ कोई अंतरलाइन प्रबंध नहीं है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स को इससे कोई लाभ की आशा नहीं है।

विद्युत करघा श्रमिक

869. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विद्युतकरघा श्रमिकों की स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों के उत्थान और कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने विद्युतकरघा बुनकरों के कल्याण तथा उन्नति के लिए योजनाएं शुरू की हैं। बुनकरों को प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श, डिजाइन विकास, परीक्षण सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए विद्युतकरघा संकेन्द्रित क्षेत्रों में विद्युतकरघा सेवा केन्द्र खोले गए हैं। सरकार ने जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा बुनकरों के लिए गुप बीमा योजना भी शुरू की है। कुछ राज्यों में योजना क्रियान्वित की गई हैं। सरकार ने चार कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की मंजूरी की है जोकि विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित कपड़े के डिजाइन तथा मौजूदा-गुणवत्ता को उन्नत करने में सहायता देंगे।

नियोजन प्रकोष्ठ

870. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या श्रम मंत्री 22 अप्रैल, 1994 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4457 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियोजन प्रकोष्ठों की स्थापना कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

871. श्री खेलन राम जागड़े : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के तहत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड यह प्रायोगिक परियोजना मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में 369.66 लाख रु० के परिव्यय से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में शहतूती रोपण के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने तथा अनुसंधान व विकास और विस्तार एवं विधा प्रदान करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुजन तथा राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए प्रशिक्षण सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

2,000 एकड़ क्षेत्र के परियोजना के लक्ष्य की तुलना में मार्च, 1994 तक शहतूती रोपण के अन्तर्गत लगभग 2,038 एकड़ क्षेत्र को पहले से ही शामिल कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है :—

(1) मूल बीज फार्म	-	1
(2) अनाज भण्डार	-	1
(3) तकनीकी सेवा केन्द्र	-	4
(4) प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	-	1
(5) कोसा बाजार	-	1
(6) कोसा प्रशिक्षण तथा ग्रेडिंग एकक	-	1
(7) कोसा ड्राइंग चैम्बर	-	1
(8) कृषक प्रशिक्षण विद्यालय	-	1

[अनुवाद]

विक्री कर कानून

872. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सभी राज्यों में समान बिक्री कर कानून अपनाने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग लिया; और

(ग) इस संबंध में सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों के नाम दर्शानेवाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया था कि कर सुधारों के सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाए । संकल्प के अनुसरण में सरकार ने 11 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिस ने प्रतिनिधित्व किया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	वित्त मंत्री
2.	अरुणाचल प्रदेश	आयुक्त (वित्त)
3.	असम	वित्त मंत्री
4.	बिहार	संसदीय कार्य, वाणिज्य कर एवं राष्ट्रीय बचत सम्बन्धी कैबिनेट मंत्री
5.	दमन एवं दीव	प्रशासक
6.	दादर तथा नागर हवेली	प्रशासक
7.	दिल्ली	वित्त मंत्री
8.	गोवा	मुख्य मंत्री
9.	गुजरात	वित्त मंत्री
10.	हरियाणा	वित्त मंत्री
11.	हिमाचल प्रदेश	मुख्य मंत्री
12.	जम्मू तथा कश्मीर	राज्यपाल के सलाहकार
13.	केरल	वित्त मंत्री
14.	मध्य प्रदेश	वित्त मंत्री
15.	महाराष्ट्र	वित्त मंत्री
40		

1	2	3
16.	मेघालय	वित्त मंत्री
17.	नागालैण्ड	निवासी आयुक्त
18.	उड़ीसा	वित्त मंत्री
19.	पांडिचेरी	मुख्य मंत्री
20.	पंजाब	वित्त मंत्री
21.	राजस्थान	मुख्य मंत्री
22.	तमिलनाडु	वित्त मंत्री
23.	त्रिपुरा	राजस्व मंत्री
24.	कर्नाटक	मुख्य मंत्री
25.	उत्तर प्रदेश	मंत्री
26.	पश्चिमी बंगाल	वित्त मंत्री
27.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	प्रशासक/राज्यपाल

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया

1. सिक्किम
2. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)
3. मणिपुर
4. मिजोरम
5. लक्षदीप प्रशासन

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एकक

873. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री रूप चन्द पात्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को ऋण/रियायतें देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं उक्त दिशानिर्देश का अनुपालन कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में 1993 के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) शायद माननीय सदस्य के प्रश्न का आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए गैर रुग्ण घरेलू इकाईयों/कमजोर आद्योगिक इकाईयों जिन्हें अन्यथा सक्षम समझा गया हो को पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत दी जान वाली छूट के लिए निर्धारित मानदंडों से है। रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के लिए मानदंडों के निर्धारण का प्रश्न सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्पादक शुल्क के लंबित मामले

874. श्री महेश कनोडिया :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पाद शुल्क के लंबित मामलों को तत्काल निपटाने हेतु कोई निपटान आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह आयोग कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

उपदान (संशोधन अधिनियम, 1994)

875. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपदान (संशोधन) संदाय अधिनियम, 1994 को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख को अधिसूचित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां

(ख) 24-5-1994

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी निर्यात

876. प्रो० उम्मारैडि बैंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के निर्यात में वृद्धि को बनाये रखने के लिये कृषि संबंधी निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात अभियान को जारी रखने के लिये नकदी फसलों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कृषि पर आधारित वस्तुओं के निर्यात के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की समाप्ति पर चाय, काफी, कपास, काजू, चावल, समुद्री उत्पादों आदि सहित कृषि निर्यात के लिए निर्यात अनुमान 1991-92 की कीमतों पर 12,064 करोड़ रुपये हैं।

(ङ) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में कृषि क्षेत्र में निर्यात वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात-नुमुख इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि, पुष्पोत्पाद, बागवानी आदि में लगी इकाइयां, यदि अपने उत्पादन के 50% अंश का भी निर्यात करती हैं तो वे शुल्क मुक्त आयात का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वे अपने 50% बकाया माल को घरेलू बाजार में बेच सकती हैं जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए सामान्यतः 25% ही है। कृषि क्षेत्र द्वारा अपेक्षित कुछ निदेशों और सामग्रियों जैसे ताजे फल और सब्जियों की पैक्सिंग के लिए खाद्य मोम, ग्रेप गार्ड पेपर, आदि को आयातों की निषेधात्मक सूची से हटा दिया गया है ताकि इनका मुक्त रूप से बिना लाइसेंस के आयात किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार निर्यातकों को विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा दूसरे देशों को जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में निर्यातकों को शामिल करती है।

सिक्कूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, मैसूर

877. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में लगायी जानेवाली नोट छापने की प्रैस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) वक्या इस प्रैस के लिये छपाई के उपकरण खरीद लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो खरीदी गयी मशीनों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कहां से और कितने मूल्य पर खरीदा गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्रस्तावित नई नोट प्रिंटिंग प्रैस, मैसूर के लिए 30 जून, 1994 तक लगभग 45 करोड़ रुपए की पूंजी का व्यय किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्पादक शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन और निपटान

878. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च और 15 अप्रैल, 1994 के बीच करीब डेढ़ महीने तक देश में उत्पाद योग्य वस्तुओं का उत्पादन और निपटान ठप्प पड़ा रहा;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्पादन, निपटान और राजस्व अर्जन में कितनी कमी आयी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० चन्द्रशेखर-भूर्ति) : (क) और (ख) फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए उत्पाद शुल्क की राशि नीचे दी जाती है :-

फरवरी, 1994	2675.75 करोड़ रु०
मार्च, 1994	3827.60 करोड़ रु०
अप्रैल, 1994	2559.75 करोड़ रु०

जैसा कि पिछले वर्षों के दौरान राजस्व वसूली की प्रवृत्ति से देखने में आया है प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के दौरान राजस्व वसूली कम रहती है। तथापि, अप्रैल, 1994 के दौरान राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इसी मास अर्थात् अप्रैल, 1993 के दौरान हुई राजस्व वसूली की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल, 1993 के दौरान राजस्व वसूली 2137.89 करोड़ रु० थी। तदनुसार, फरवरी, 1994 में हुई राजस्व वसूली की तुलना में एक मार्च से 15 अप्रैल, 1994 तक की अवधि के दौरान हुई राजस्व वसूली के आंकड़ों से काफी वृद्धि होने का पता चलता है।

राजस्व वसूलियों में हुई वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस अवधि के दौरान उत्पादन और निकासियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यात्री विमान

879. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री रामपाल सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने यात्री विमान हैं;

(ख) उक्त विमानों में से कितने गैर-सरकारी विमान हैं;

- (ग) इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और वायुदूत के पास पृथक-पृथक कुल कितने विमान हैं;
 (घ) क्या देश में मौजूदा यात्री विमान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और
 (ङ) यदि नहीं, तो यात्री विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक यात्रियों को वहन करने वाले विमान संबंधी सूचना नीचे दी गई है:—

देश में यात्री विमानों की कुल संख्या	प्राइवेट प्रचालकों के स्वामित्व वाले विमान	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस	उपलब्ध विमान वायुदूत
145	49	26	54	16

(घ) और (ङ) संबंधित प्रचालक द्वारा यात्री विमानों की आवश्यकता का निर्धारण यातायात कर सम्भाव्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

विमान सेवाएं

800. श्री राम तहल चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं चलाने की संभावना का आकलन करने के लिए कुछ राज्यों में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) एयर इंडिया ने हाल ही में पंजाब और गुजरात में यातायात सर्वेक्षण किये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर, एयर इंडिया की अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं पर अहमदाबाद और अमृतसर को क्रमशः बम्बई और दिल्ली से जोड़ने के लिए हब एण्ड स्पोक सेवाएं आरंभ की गयी हैं। पर्याप्त यातायात उपलब्धता के आधार पर, इंडियन एयरलाइन्स का बंगलौर से अन्तरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अल्फांसो आमों/काजू के निर्यात हेतु मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए निवेश

881. श्री सुधीर सावन्त : क्या वाणिज्य मंत्री 10 दिसम्बर, 1995 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अठवीं योजना के दौरान अल्फांसो आमों और काजू के निर्यात हेतु मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कितना पूंजीनिवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित मूलभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या आम और काजू उत्पादकों को उनके निर्यात के वाणिज्यिक पहलुओं पर प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ग) विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्फासों आमों तथा काजू का निर्यात करने के लिए अवस्थापना को सुदृढ़ करने हेतु योजना में अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है। कटेनीकरण, प्रशतित परिवहन का विकास, एयर कार्गो क्षमताओं तथा पचन संबंधी सुविधाओं के रूप में अवस्थापना का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिसे सरकार उच्चतम प्राथमिकता देती है। पत्तन संबंधी सुविधायें तथा एयन कार्गो के लिए खुले आकाश की नीति भी इस क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नीति संबंधी उपाय हैं।

(घ) और (ङ) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आदि जैसे सरकार के विभिन्न अभिकरणों के पास वाणिज्यिक उत्पादन तथा बागवानी उपज के निर्यातों की कटाई के पश्चात् रख-रखाव करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपजकर्ताओं तथा निर्यातकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा को अवैध व्यापार

882. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता चला है, और गत 6 महीनों के दौरान कितने मूल्य की विदेश मुद्रा जब्त की गई; और

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) गत छः महीनों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के 15 मामलों को पकड़ा और 146 लाख रुपए (लगभग) के समतुल्य विदेशी मुद्रा दिल्ली में जब्त की। निदेशालय, विदेशी मुद्रा के गिरोहों के कार्यकलापों पर निगरानी रखता है और जब कभी कोई मामला पकड़ा जाता है तब विधिनुसार कार्रवाई करता है।

राष्ट्रीय बस्त्र निगम के कामगार

883. श्री नीतीश कुमार :

श्री डी० बेंकटेश्वर राव :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1994 के इंडियन एक्स्प्रेस आइडल वेजेज फार 60,000 टेक्स्टाइल वर्कर्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम में राज्यवार ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनसे उत्पादन का कार्य नहीं लिया जा रहा है और जिन्हें मासिक वेतन दिया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को उत्पादकता कार्य में लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा हाल के वर्षों में मिल के नवीनीकरण और सुधार हेतु आवंटित धनराशि को अन्य मदों पर खर्च किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कामगारों के राज्यवार ब्यौरों का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रु० के निवेश से ए० टी०सी० की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की हैं। एन०टी०सी० पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने यह सिफारिश की है कि वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा यथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण द्वारा एन०टी०सी० की मिलों तथा इसकी अधिग्रहीत मिलों को अर्थक्षम बनाया जा सकता है। बी आई एफ आर की स्वीकृति के लिए सरकार के पक्ष को औपचारिक रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि सर्वांगीण सुधार योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके।

(घ) तथा (ङ) एन०टी०सी० के पास निष्क्रिय पड़े 30 करोड़ रु० की राशि में से वेतनों के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता की एक विशेष रिलीज हाल ही में एन०टी०सी० को दी गई थी। एन टी सी ने इस रिलीज का प्रयोग अप्रैल, मई तथा जून, 1994 के लिए वेतनों के भुगतान के लिए किया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	काम के बिना कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	748
2.	असम	533
3.	बिहार	955
4.	दिल्ली	600
5.	गुजरात	9141
6.	कर्नाटक	1002
7.	मध्य प्रदेश	5359

1	2	3
8.	महाराष्ट्र	9923
9.	उड़ीसा	751
10.	उत्तर प्रदेश	10279
11.	प० बंगाल	6081
		45372

कृषि मजदूरों को मजदूरी

884. डा० परशुराम गंगवार : क्या श्रम मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है;
 (ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है; और
 (ग) न्यूनतम मजदूरी को समुचित ढंग से लागू करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र वार खेतिहर मजदूरों की संख्या दशनि वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/उसमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। जहां तक कृषीय क्षेत्र का संबंध है, केन्द्रीय सरकार एक निश्चित सीमा तक, जो कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन आने वाले केवल कृषीय फार्मों से ही संबंधित है, न्यूनतम मजदूरों का निर्धारण करने/उसमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकार है। राज्य सरकारें उन अधिकांश खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल नहीं है, का निर्धारण करने/उसमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। खेतिहार मजदूरों की निम्नतम मजदूरी पाने वाली अकुशल श्रेणी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा केन्द्रीय सरकार यथा-निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना दशनि वाला विवरण-II संलग्न है। समुचित सरकारों ने प्रवर्तन तंत्रों का गठन किया है जो न्यूनतम मजदूरी की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	खेतिहर मजदूरों की संख्या (हजारों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625
2.	असम	845
3.	बिहार	9513

1	2	3
4.	गोवा	35
5.	गुजरात	3231
6.	हरियाणा	897
7.	हिमाचल प्रदेश	59
8.	अरुणाचल प्रदेश	20
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-
10.	कर्नाटक	5000
11.	केरल	2120
12.	मध्य प्रदेश	5863
13.	महाराष्ट्र	8313
14.	मणिपुर	47
15.	मेघालय	89
16.	मिजोरम	10
17.	नागालैण्ड	7
18.	उड़ीसा	2977
19.	पंजाब	1453
20.	राजस्थान	1392
21.	सिक्किम	13
22.	तमिलनाडु	7898
23.	त्रिपुरा	188
24.	उत्तर प्रदेश	7833
25.	पश्चिम बंगाल	5055
26.	अण्डमान एवं निकोबार	5
27.	चण्डीगढ़	2
28.	दादरा एवं नागर हवेली	6

1	2	3
29.	दमन एवं दीव	1
30.	दिल्ली	25
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पाण्डिचेरी	77

विवरण -II

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
(क)	राज्य सरकार	
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.90 रु० से 23.40 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
3.	असम	1134.00 रु० प्रतिमाह 984.00 रु० प्रतिमाह जमा भोजन, आवास तथा कपड़े
4.	बिहार	21.00 रु० प्रतिदिन
5.	गोवा	27.50 रु० प्रतिदिन
6.	गुजरात	15.00 रु० प्रतिदिन
7.	हरियाणा	37.23 रु० भोजन सहित अथवा 41.23 रु० बिना भोजन के
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00 रु० प्रतिदिन
9.	जम्मू एवं कश्मीर	15.00 रु० प्रतिदिन -
10.	कर्नाटक	12.00 रु० से 7.65 रु० प्रतिदिन
11.	केरल	30.00 रु० से 40.20 रु० प्रतिदिन
12.	मध्य प्रदेश	28.17 रु० प्रतिदिन
13.	महाराष्ट्र	12.00 से 20.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
14.	मणिपुर	26.70 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तथा 23.70 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन

1	2	3
16.	मिजोरम	28.00 रु० प्रतिदिन
17.	नागालैण्ड	25.00 रु० प्रतिदिन
18.	उड़ीसा	25.00 रु० प्रतिदिन
19.	पंजाब	42.12 रु० बिना भोजन के अथवा 38.12 रु० भोजन सहित प्रतिदिन
20.	राजस्थान	20.00 रु० प्रतिदिन
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 को अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	20.00 रु० प्रतिदिन
23.	त्रिपुरा	23.65 रु० प्रतिदिन
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रु० प्रतिदिन से 25.00 रु० प्रतिदिन तक
25.	पश्चिम बंगाल	32.75 रु० प्रतिदिन 29.52 रु० प्रतिदिन जमा दो मुख्य भोजन
26.	अण्डमान एवं निकोबार	27.00 रु० प्रतिदिन (अण्डमान) 28.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार)
27.	चण्डीगढ़	36.43 रु० प्रतिदिन भोजन सहित अथवा 40.23 रु० प्रतिदिन भोजन बिना भोजन के
28.	दादरा एवं नागर हवेली	20.00 रु० प्रतिदिन
29.	दिल्ली	53.15 रु० प्रतिदिन
30.	दमन एवं दीव	22.00 रु० प्रतिदिन
31.	लक्ष्यद्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन -
32.	पाण्डिचेरी	
	(I) पाण्डिचेरी	14.00 रु० प्रतिदिन
	(II) माह क्षेत्र	12.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए 15.00 रु० प्रतिदिन कठिन कार्य के लिए
	(III) यनम क्षेत्र	11.00 रु० प्रतिदिन

2

3

(IV) करैकल	14.00 रु० प्रतिदिन अथवा 7 लीटर ध्वन जमा 4.00 रु० प्रतिदिन
(ख) केन्द्रीय क्षेत्र	38.47 रु० प्रतिदिन

[अनुवाद]

बेरोजगार स्नातक

885. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आज की तिथि में विभिन्न रोजगार कार्यालय में कितने बेरोजगार स्नातकों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) परास्नातकों सहित स्नातकों की संख्या, जिनमें से आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार, हों, पंजाब में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 31-12-1993 (नवीनतम उपलब्ध) को 101.1 हजार थी।

(ख) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान पंजाब में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 5.1 हजार और 3.9 हजार थी।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एकक

886. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के प्रशासनिक मंत्रालय और/अथवा विभाग प्रमोटर के रूप में कार्य करने से मना करने का दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं और इससे संबंधित रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने की संभावना का मार्ग अवरुद्ध करते रहे हैं और उन्हें समापन की ओर ढकेलते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को बी०आई०एफ०आर० को भेजा गया और कितने मामलों में इन एककों को अर्थक्षम बनाया गया; और

(ग) यदि किसी भी एकक को अर्थक्षम नहीं बनाया गया तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (वाइफर) ने सूचित किया है कि उसने 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के 117 मामले (52 केन्द्रीय और 65 राज्य) दर्ज किए हैं इन मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	केन्द्रीय	राज्य	कुल
1	2	3	4
दर्ज किए गए मामले	52	65	117

1	2	3	4
न चलाने योग्य मानकर खारिज किए गए	2	20	22
जांच के अधीन	35	27	62
वाइफर द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाएं	1	4	5
संबंधित उच्च न्यायालयों को परिसमापन की सिफारिश	1	4	5
परिसमापन के नोटिस जारी किए गए	9*	8	17
प्रारूप योजनाएं परिचालित की गईं	4	2	6

* इन में से चार मामले उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषरूप से रुग्ण उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है मंत्रियों के समूह के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं वाइफर के पास भेजे गए रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यम के प्रत्येक मामले पर विचार करना, राहत के प्रस्तावित पैकेज को वाइफर को प्रस्तुत करना और मंत्रालयों/विभागों को वाइफर के समक्ष भारत सरकार की ओर से निर्णय लेने या वचन देने के लिए निदेश और मार्गनिर्देश देना।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बन्द मिलों को पुनः चालू करना

887. श्री बी० घनंजय कुमार :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द की गयी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनके बंद होने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए;

(ग) क्या सरकार ने उन बंद मिलों को चरणबद्ध ढंग से पुनः चालू करने हेतु योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन बन्द मिलों के कर्मचारियों को पूरा मुआवजा दिया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने उन के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) अप्रैल 1994 तक की स्थिति के अनुसार एन०टी०सी० के अधीन 122 मिलें थीं जिनमें 18 निष्क्रिय थीं तथा 36 मिलों में आंशिक कार्य हो रहा था। पिछले 3 वर्षों के दौरान एन०टी०सी० किसी भी मिल को बंद नहीं किया गया।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

द्वितीय श्रम आयोग

888. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री लाईता उम्ब्रे :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संगठनों ने द्वितीय श्रम आयोग की स्थापना करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों में परिवर्तनों के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न श्रमिक संगठनों के विचार लिए गए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव दिया गया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

निजी विमान कम्पनियां

889. प्रो० के०वी० थोमस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में काम कर रही निजी विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक विमान कम्पनी में विमानों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है;

(घ) क्या सरकार का विचार नई निजी विमान कम्पनियों को प्रोत्साहन देने अथवा वर्तमान निजी विमान कम्पनियों की विमानों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 15 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार, एयर टैक्सी प्रचालकों के नाम और पते और बैठने की क्षमता सहित उनके विमानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित एयरलाइनों के रूप में प्रचालन करने और विमान-बेड़े में वृद्धि करने की अनुमति देने के अनुरोध का निपटान वायुयान अधिनियम/निगम और इनके अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार किया जाता है।

विवरण

21-7-1994 की स्थिति के अनुसार एयर टैक्सी प्रचालकों की उनके द्वारा प्रचालित किये जा रहे विमानों के ब्यौरे सहित सूची

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स एण्ड टैड लिंक्स, बोइंग-737 (7)
सोफिया, 18 कटवाडी रोड, ऑफ पैरी रोड बान्द्रा, वी टी-ई डब्ल्यू वी/वी टी-ई डब्ल्यू सी/वी टी-ई डब्ल्यू डी/वी टी-ई डब्ल्यू एफ/पीटी-ई डब्ल्यू आई/वी टी-ई डब्ल्यू एच/ वी टी-ई डब्ल्यू जे, 125 सीटर, एफ-27 एमके-500 (3) वी टी-ई डब्ल्यू ई/वी टी-ई डब्ल्यू जी/ वी टी-ई डब्ल्यू के 47 सीटर
बम्बई-400050
2. मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा० लि०, 41/42, बी-737-300 (4)
मेकर चेम्बर्स-III नारीमन प्वाइंट, बंबई-400021 वी टी-जे ए ए /वी टी-जे एबी/वी टी-जे एसी-वी टी-जे ए डी/ 125 सीटर बी-737-400 (2), वी टी-जे एई, वी टी-जे ए एफ 134 सीटर
3. मैसर्स दमानिया एयरवेज लि०, 103, केशावा, बी-737-200 (4)
बान्द्रा कुर्ल काम्प्लैक्स, बान्द्रा (ईस्ट), बंबई-400051 वी टी-पी डी ए/वी टी-पी डी बी/वी टी-पी डी सी/वी टी-पी डी डी 125 सीटर
4. मैसर्स एम० जी० एक्सप्रेस, कोरपोरेट आफिस, बी-737-200 (3)
माजानाइन फ्लोर, हेमकुन्त टॉवर, 92, नेहरू प्लेस, वीटी-एम जी ए/वी टी-एम जी बी/ वी टी-एम जी सी, नई दिल्ली-110019 107 सीटर
5. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स लि०, 7 वांतल, बी-737-200 (1) वी टी-एस आई बी
अम्बा दीप, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
6. मैसर्स राज एविएशन (प्रा०) लि०, सी/ओ एवीओन एफ-27 एमके-50 (1) वी टी-आर एबी 50 सीटर
होटल, बंबई एयरपोर्ट, नेहरू रोड, बंबई-400057
7. मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्रा० लि०, 201 लक्ष्मी बीचक्राफ्ट-99 (2) वी टी-ई आर पी/वीटी-ई एस यू,
भवन, 72 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 15 सीटर
8. मैसर्स अर्चना एयरवेज लि०, 41-ए, फ्रेंड्स कालोनी एल-410 यू वी पी ई90 (3) वी टी-ई टी ए/वी टी-ई
(ई), मथुरा रोड़, नई दिल्ली टी वी 17 सीटर x 90 दिन के लिए एक एल-410 विमान को वेट लीज पर अनुमति दी गई है।
9. मैसर्स जैगसन एयरलाइन्स 12-ई, वन्दना बिल्डिंग, डोर्नियर-228 (2)
11, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 वी टी-ई एस एस, 19 सीटर
10. मैसर्स मैगापोड एयरलाइन्स, जुहू एयरपोर्ट, जुहू, एच एस-125-700 बी (1)
बंबई-400049 वी टी एम ए सी, 11 सीटर

1	2
11. मैसर्स एरियल सर्विसिज प्रा० लि०, जुहू एयरपोर्ट, बंबई-400054	नवीन जेट मॉडल-400 (2) वी टी-ई एल/ वी टी-ओ ए एस, 8 सीटर
12. मैसर्स इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज प्रा० लि०, 710 अरुणाचल बिल्डिंग, 7 वां 19 बाराखमबा रोड़, नई दिल्ली	(I) एच एस-125 आर ई जी एन वी टी-ईक्यूजेड (1) 7 सीटर (II) बेल जेट रेंजर 206 वी-III (2) वी टी-ई टी एच/वी टी-ई टी ए 5 सीटर
13. मैसर्स देहली गल्फ एयरवेज सर्विसिज प्रा० लि०, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	(I) ई सी आर यू ई आई एल एस-350बी वी टी-ई एच पी, (1) 4 सीटर (II) एल्युटो-III वी टी -ई एच एम० 4 सीटर
14. मैसर्स साराया एविएशन प्रा० लि०, 11 पंचशील शापिंग सेन्टर, नई दिल्ली-110017	बीच क्राफ्ट बारोन बी-58 वी टी-एस एस एम, 5 सीटर
15. मैसर्स यू०बी० एयर प्रा० लि० एफ-41 ए, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049	(1) बेल 47 जी वी टी-ई ए ए 2 सीटर
16. मैसर्स उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाईंग इंस० 14-ए, रतलाम कोठी, इन्दौर (म०प०)	(I) सीसना-172 (2) वी टी-ई एस एक्स/वी टी-ई एस ए डब्ल्यू, 4 सीटर (II) सीसना-152 वी टी-ई एस वी, (1) 2 सीटर
17. मैसर्स इन ई पी सी एयरलाइन्स 36, वालाजहां रोड़, मद्रास-600002	एफ-27-500 (4) 50 सीटर वी टी-एन ई ए वी टी-एन ई बी बी टी-एन ई सी वी टी-एन ई डी

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद

890. श्री बी०एल० शर्मा-प्रेम :

श्री एस०एम० लालजान बाशा :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का नए विमानों की खरीद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए धन की व्यवस्था कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड) एयर इंडिया के लाभ पर इस प्रकार के व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया वर्ष 1996 और वर्ष 1997 में दो 400 सीट वाले विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) : विमान खरीदने के प्रस्ताव पर अनुमोदन होने के बाद वित्त व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ड) इस निवेश से एयर इंडिया के लाभ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

बैंकों के अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते में डालना

891. श्री निर्मल कान्ति घटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को 25 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते में डालने की अनुमति देने वाले हाल ही के निदेश को पूरी तरह लागू करने पर वाणिज्यिक बैंकों को कुल कितनी परिसंपत्ति की हानि होगी;

(ख) बढ़े खाते में डालने की अनुमति प्राप्त कुल ऋण का एक भाग निगमित क्षेत्र को किए अनुपात में दिया गया है; और

(ग) क्या बैंकों को उन पक्षकारों के नामों की सार्वजनिक घोषणा करने की अनुमति दी जायेगी जिनके ऋण बढ़े खाते में डाले गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 25 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते डालने की अनुमति देने के निदेश वाणिज्यिक बैंकों को जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल उन पार्टियों के नाम प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनके ऋण बढ़े-खाते डाले गए हैं।

कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताएँ

892. श्री शोभनादीश्वर राव चाहे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपायोग करने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी कोई आंकलन किया है ताकि वे प्रति हेक्टेयर अधिकतम पैदावार लेने के लिए आदानों का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) देश के सभी जिलों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार की गई संभाव्यता से जुड़ी योजनाओं (पी०एल०पी०)

के आधार पर आठवीं पंच वर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिए कृषि क्षेत्र के वास्ते ऋण अनुमान नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निवेश ऋण	उत्पादन ऋण	जोड़
1994-95	8743	9254	17997
1995-96	9714	10155	19869
1996-97	10801	11052	21853

1993-94 के दौरान संस्थागत ऋण का अनुमानित सवितरण 15,100 करोड़ रुपए था और 1994-95 के लिए 16,700 करोड़ रुपए के ऋणों का अनुमान लगाया गया है।

बैंकों द्वारा अपनायी गयी फसल ऋण प्रणाली के अनुसार जिला स्तरीय तकनीकी समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए गए वित्त के पैमाने के अनुसार किसानों को फसलों की बुआई के लिए ऋण देना होता है। इन समितियों में विशेषज्ञ और बैंकर होते हैं। वित्त के पैमाने में "क" (नकद घटक) और "ख" (वस्तु घटक-अर्थात् उर्वरक, बीज आदि) होते हैं।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलें

893. श्री प्रमोथेस मुखर्जी :

श्री चित बसु :

क्या बस्त्र मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों के उन श्रमिकों की स्थिति की जानकारी है जिन्हें लगातार तीन माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों के श्रमिकों विशेष रूप से ममिन्द्रा और बी०टी० मिल के श्रमिकों को नियमित भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी जोन के राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चैयरमैन को एस०आई०टी०आर०ए० मानदण्डों को स्वीकार किये जाने के पश्चात् श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) एन०टी०सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० के अधीन सभी मिलों में जून, 1994 के पहले पखवाड़े तक मजदूरियों और वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दूसरे पखवाड़े के लिए मजदूरियों और वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) जहां तक एन०टी०सी० का संबंध है, लाभ का भुगतान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अनुसार निम्नलिखित लाभ स्वीकार्य है :—

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कामगार की भविष्य निधि खाते में देय बकाया राशि।
- (2) संबंधित मिलों कार्यालय के नियमों के अनुसार संचित अर्जित अवकाश विशेषधिकार अवकाश के समकक्ष नकद राशि।
- (3) ग्रेच्युटी योजना, यदि कोई हो, के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान, तथा
- (4) लागू स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना में सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 1-112 महीनों की परिलब्धि के बराबर की राशि अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां जोकि सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले सेवा के शेष महीनों द्वारा गुणा की जाती है, इसमें से जो भी कम हो, के बराबर अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान करने की व्यवस्था है।

कृषि श्रमिक

894. श्री शरद दिघे :

श्री आनन्द रत्न मोर्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार सुरक्षा, मजूरी का भुगतान कार्य घंटों को नियमित करने, विवादों के निपटान और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

कृषि कार्य हेतु धन

895. श्रीमती सरोज दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के भी भारतीय बैंकों को कृषि और इससे संबंधित कार्यों को अपने कुल ऋण का 18 प्रतिशत भाग देने के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को कुल कितने प्रतिशत ऋण दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने निवल ऋणों का कम से कम

18% कृषि क्षेत्र को देना होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, निवल बैंक ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्रदान किए गए कृषि ऋण निम्नानुसार हैं:—

मार्च, 1992	मार्च, 1993	मार्च, 1994 (अनन्तिम)
16.28	15.08	15.05

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे कृषि ऋणों में वृद्धि करने के लिए और ठोस प्रयत्नों के जरिए कमी को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उच्च तकनीकी वाले कृषि अग्रिमों पर कार्यवही करने के लिए अलग से विशेषज्ञ शाखाएं (प्रत्येक राज्य में कम से कम तक) स्थापित करें। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी करते रहे हैं ताकि बैंकिंग प्रणाली किराानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

[अनुवाद]

गुजरात को वित्तीय सहायता

896. डा० खुशीराम हुंगरोमल जेस्वाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष-वार और परियोजना-वार वास्तव में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में मांगी गई पूर्ण सहायता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मांगी गई अतिरिक्त सहायता दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भुगतान संतुलन

897. श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल के मूल्यों में विश्वव्यापी वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) देश में भुगतान सेवा की स्थिति 25 जुलाई, 1994 तक विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां 17.4 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंचने के साथ अपवादात्मक रूप से सुदृढ़ हैं। इस सदर्थ में, हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई वृद्धि के कारण से हमारे भुगतान शेष के लिए किसी प्रकार के गम्भीर खतरों की कोई सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में वर्ष 1994-95 की प्रथम तिमाही में वर्ष 1993-94 की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यदि इस वृद्धि की गति निरन्तर बनी रहती है तो यह एक निश्चित स्तर तक पी०ओ०एल०के आयात की आवश्यकता को कम करेगी और उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतों का प्रभाव भारत के भुगतान शेष पर कम पड़ेगा।

गतिहीनता

898. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था तेजी से गतिहीनता की ओर बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विशेष उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 1993-94 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 3 प्रतिशत की संतुलित वृद्धि और 1992-93 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि अर्थव्यवस्था कोई गंभीर आपूर्ति अवरोध या भारी आधारभूत संरचनात्मक बाध्यताओं का सामना नहीं करती। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 30.3 प्रतिशत के भारंश साहस आधारभूत संरचनात्मक उद्योगों में 1993-94 में 4.2 प्रतिशत और अप्रैल-मई 1994 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।

सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक अर्थों में हुई समग्र वृद्धि 1992-93 में 4 प्रतिशत और 1993-94 में 3.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया जाता है। 9-7-1994 को थोक मूल्य सूचकांक द्वारा यथामापित मुद्रा स्फीति में वार्षिक दर सितम्बर, 1991 में 16.3 प्रतिशत थी और मुद्रास्फीति की उच्चतम दर एक वर्ष पहले के 7.1 प्रतिशत की तुलना में 10.4 प्रतिशत थी।

सरकार औद्योगिक क्षेत्र की ओर अधिक वृद्धि को प्रेषित करने और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए सभी उचित उपाय अपना रही है।

रेशम के अपशिष्ट पदार्थों का निर्यात

899. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से रेशम के अपशिष्ट पदार्थों के निर्यात पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है ताकि देश में रेशम कटाई उद्योगों और कालीन उद्योगों को बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वैकट स्वामी) : (क) से (ग) जुलाई, 1994 में कर्नाटक सरकार से इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ है कि रेशम अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि उसकी कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोका जा सके तथा स्थानीय बाजारों में उसकी उपलब्धता में सुधार लाया जा सके।

सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कहा है कि वह रेशम अपशिष्ट की कीमतों में वृद्धि होने के कारणों का पता लगाए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपाय सुझाए। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के सुझाव को भी नोट कर लिया गया है।

लाल किला हेतु सुधार योजना

900. श्री लाईता उन्ने : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "लाल किला" के लिए कोई सुधार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायोग?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर लाल किले के नवीनीकरण के लिए 147.42 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक योजना पर कार्य आरम्भ किया है इसमें से पर्यटन विभाग का हिस्सा 98.37 लाख रुपए होगा तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हिस्सा 49.50 लाख रुपए होगा।

जहां तक पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है, योजना के पूरा होने की सम्भावित तारीख जुलाई 1994 है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में मार्च 1995 है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का बंद किया जाना

901. श्री सी० के० कुप्पु स्वामी : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुंछ मिलों को बारबार घाटा होने के कारण उन्हें बंद किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी मिलें हैं; और

(ग) सरकार ने इन मिलों का पुनरोद्धार करने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत का अमरीका के साथ व्यापार

902. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका का विचार भारत पर सामाजिक तथा पर्यावरण-शर्तों के साथ अधिमानताओं की सामान्यीकृत व्यवस्था थोपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अमरीका के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या गत सितंबर के दौरान भारतीय औषधों और भेषजों हेतु अधिमानताओं की सामान्यीकृत व्यवस्था का लाभ वापस ले लिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा इन लाभों को पुनः प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) यू०एस० जी०एस०पी० स्कीम, जो 30 सितम्बर, 1994 को समाप्त होनी है, के समय वृद्धि का मामला इस समय यू० एस० कांग्रेस के विचाराधीन है। स्कीम से लाभ उठाने वाले देशों के लिए मानदण्ड को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, इस स्तर पर अभी यह बताना कि शर्तें क्या होंगी असामयिक होगा।

(ग) भारतीय औषधियों तथा भेषजों के लिए मिलने वाले जी०एस०पी० लाभों को मई, 1992 में इस कथित आधार पर वापस ले लिया गया था कि भारत ने यू०एस० बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया।

(घ) सरकार ने वाशिंगटन डी०सी० में अपने दूतावास के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर यू०एस० सरकार के साथ भारतीय औषधों तथा भेषजों के लिए जी०एस०पी० लाभों को बहाल करने के मामले को उठाया है।

बैंक ऋणों पर रियायतें

903. श्री उदयसिंहराव गायकवाड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद भुगतान के आधार पर आयातित चीनी के भण्डारों हेतु लिए गए बैंक ऋणों पर कुछ अवधि के लिए कुछ रियायतें देने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रियायतों का लाभ उठाने के लिये क्या मानदण्ड है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि कीमत उत्पाद स्थिति पर विचार करते हुए और चीनी का अधिक आयात करने के उद्देश्य से नकदी आधार पर आयातित चीनी के स्टॉक के बदले बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन भारत में चीनी के स्टॉक के पहुंचने के बाद 8 सप्ताह से अनधिक की अवधि के लिए 27 मई, 1994 से 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। आयातित चीनी के स्टॉकों के बदले बैंक अग्रिमों पर रियायती न्यूनतम मार्जिन सिर्फ प्रथम चरण के आयातकों के स्तर पर ही लागू होगा और यह आयातित चीनी के स्टॉकिस्टों और व्यापारियों को उपलब्ध नहीं होगा। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आयातकों ने आपूर्तिकर्ता ऋण (सप्लायर क्रेडिट) नहीं लिया है। उपर्युक्त रियायतें सिर्फ नवम्बर, 1994 के अंत तक उपलब्ध होगी।

महाराष्ट्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास

904. श्री विलासराव नागनाथराव गुडेवार : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्र सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान प्लान योजनाओं में 15.70 लाख रुपये और गैर-प्लान योजनाओं के लिए 1162.18 लाख रुपये की राशि जारी की जिसका विवरण इस प्रकार है:—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र०सं०	योजना का नाम	1993-94 के दौरान जारी की गई राशि
प्लान		
1.	निस्सहाय बुनकारों के लिए मार्जिन मनी योजना	1.00
2.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास	8.70
3.	हथकरघा विकास केंद्र	6.00
		कुल प्लान
		15.70
गैर-प्लान		
1.	हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट/विवरण विकास सहायता	341.49
2.	जनता कपड़ा योजना पर सहायता	820.69
		कुल गैर-प्लान
		1162.18

आयकर विवरणी

905. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई व्यक्ति जिसकी आय कर योग्य है किन्तु नियमों के अन्तर्गत कटौतियां उपलब्ध होने के कारण कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे आय कर का लिखित विवरण देने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) एक आय कर विवरणी फार्म, जिसे प्रस्तुत करना होता है, पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) ऐसी विवरणियों को मांगने के क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य में ऐसी विवरणियों को न मांगने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के उपबंधों के अन्तर्गत आय-विवरणी तो केवल उस स्थिति में प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई कुल आय मूल छूट-सीमा से अधिक हो। तथापि,

दिनांक 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार 12.55 लाख कर-निर्धारिती (आयकर अधिनियम की धारा 139(3) के अन्तर्गत पिछली हानि का दावा करने वाले कर-निर्धारितियों सहित) ऐसे थे, जो कर योग्य सीमा से नीचे थे।

(ग) चूँकि यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारित विवरणियों को सरकार द्वारा सुदृढ किए गए तथा आपूर्ति किए गए प्रपत्रों में ही प्रस्तुत किया जाए, इसलिए प्रस्तुत की गई विवरणियों की किसी लागत का निर्धारण करना संभव नहीं है।

(घ) आयकर अधिनियम की धारा 142 (1) के उपबंधों के अन्तर्गत विवरणियों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ मंगवाया जा सकता है। उचित कटौतियों अथवा अन्य कारणों से अन्ततः कोई कर योग्य आय न होने पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

(ङ) और (च) चूँकि विवरणियों को छूटों के दावों अथवा कटौतियों की सत्यता का सत्यापन करने के निमित्त भी मंगवाना पड़ता है, इसलिए मौजूदा प्रक्रिया को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में विमानपत्तनों का विस्तार

906. श्री हरिभाई पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में राजकोट, सूरत, भुज और जामनगर विमानपत्तनों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित विस्तार में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) उक्त कार्य के कब तक शुरू/पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) हवाई अड्डों और अन्य आधारसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इसे प्रायोजित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भुज हवाई अड्डे पर एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण करने और अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (वी०ओ०आर०) और दूरी मापक उपस्कर (डी०एम०ई०) जैसी दिक्चालन सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं हैं। प्राधिकरण की राजकोट पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आई०एल०एस०) के संस्थापन और जामनगर हवाई अड्डों पर वी०ओ०आर और डी०एम०ई० के संस्थापन की भी योजनाएं हैं। भूति के उपलब्ध न हो पाने के कारण, भुज हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का कार्य स्थगित हो गया है। राजकोट पर आई०एल०एस० और जामनगर और भुज पर वी०ओ०आर/डी०एम०ई० के संस्थापन फरवरी, 1995 तक पूरे हो जायेंगे। सूरत का हवाई अड्डा गुजरात राज्य सरकार का है वित्तीय कठिनाईयों के कारण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे को विकसित करने की कोई योजनाएं नहीं है।

रबड़ की लकड़ी का निर्यात

907. श्री पी० सी० धामसः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की लकड़ी और उसके मूल्यपूरित उत्पादों से अधिक मूल्य मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार हुए कुल निर्यात और प्रतिवर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

बाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों का अनुमानित निर्यात-निष्पादन निम्नलिखित है:—

वर्ष	निर्यात-लाख रूपए में	देश-जहां को निर्यात किया गया
(1) फर्नीचर और फ्लोरिंग के लिए संशोधित रबड़ की लकड़ी के संघटक		
1991-92	शून्य	-
1992-93	1.5	कुवेत
1993-94	8.7	बेल्जियम (95%), यूएई (3%) और यूएसए (2%)
अप्रैल से जून, 1994	24.2	बेल्जियम (42%), नीदरलैंड्स (23%) इटली (20%) और स्वीडन (10%)
(2) संसाधित रबड़ की लकड़ी		
1991-92	शून्य	-
1992-93	शून्य	-
1993-94	4.0	जापान
अप्रैल से जून, 1994	1.6	जापान
(3) रबड़ की लकड़ी के ब्रश बैक्स		
1991-92	शून्य	-
1992-93	शून्य	
1993-94	शून्य	
अप्रैल से जून, 1994	1.6	श्री लंका

(ग) लकड़ी के अन्य निर्यातकों को उपलब्ध सभी सामान्य प्रोत्साहन रबड़ की लकड़ी के उत्पादों के निर्यात के लिए भी अनुमत हैं।

फोन सेवा कर और शेयर दलालों पर कर

908. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फोन सेवा कर और शेयर दलालों पर कर लेना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में लाये गये इन नये करों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि प्राप्त होगी;
और

(घ) इस आय का कितने प्रतिशत भाग राज्यों को लौटाया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) यह कर पहली जुलाई, 1994 से लागू हुआ है। यह कर टेलीफोन बिलों की राशि पर और शेयर दलालों द्वारा निवेशकों को प्रदान की गयी उनकी सेवाओं के संबंध में ली गयी दलाली अथवा कमीशन की राशि पर 5 प्रतिशत के हिसाब से वसूल किया जायेगा।

(ग) टेलीफोनों, जीवन बीमा मिन्त्र पालिसियों और शेयर दलालों के संबंध में सेवाकर लगाने से एक पूरे वर्ष में 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सेवा कर से प्राप्त राजस्व में से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जायेगा।

बी०आई०सी० मिल्ज कानपुर

909. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०आई०सी० मिल्ज, कानपुर के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन्हें कार्यक्षय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन इंडिया लि० कानपुर के अधीन मिलों में उत्पादन में गिरावट आने के कारण अनेक कारक हैं जिनमें कार्यशील पूंजी की कमी, कम क्षमता उपयोग, अप्रचालित मशीनें, अधिक ब्याज भार आदि शामिल हैं। बी०आई०सी० और इसकी सहायक कंपनियों का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है। सरकार बी०आई०सी० और उसकी सहायक कंपनियों की पुनर्स्थापना के लिए बी०आई०एफ०आर० द्वारा नियुक्त की गई प्रचालन एजेंसी द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापना पैकेज पर विचार कर रही है।

नेहरू मैमोरियल पैविलियन

910. श्री थाइल जोन अंजलोज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 17 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं० 2471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अलेप्पी में नेहरू मैमोरियल पैविलियन के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वेबेल) योजना का दुरुपयोग कर रही कम्पनियों पर छापे

911. श्री मोहन रावले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने जून-जुलाई, 1994 के दौरान दिल्ली, मुम्बई तथा कलकत्ता में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों (वेबेल) का दुरुपयोग करने वाली तथा सरकार को कर का भुगतान न करने वाली कम्पनियों की तलाशी हेतु छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिन-दिन कम्पनियों पर छापे मारे गए हैं तथा इन कम्पनियों से अब तक कितनी गुप्त परिसम्पत्तियां तथा कितना काला धन बरामद किया गया है; और

(घ) इन कम्पनियों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जी, हां। आयकर विभाग ने अप्रैल से जून, 1994 के दौरान दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता स्थित निम्नलिखित कम्पनियों के 42 परिसरों की तलाशी ली:—

- (i) मै०एम०एस० शूज (ईस्ट) लि०
- (ii) मै० तोसा पिक्चर ट्यूब्स लि०
- (iii) मै० डिम्पल ओवरसीज लि०
- (iv) मै० पद्मिनी पोलीमर्स लि०

इन तलाशियों में परिणामस्वरूप निम्नानुसार लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां जब्त की गईं:—

नकदी	1,56,15,600 रु०
जेवरात	31,43,745 रु०
अन्य परिसम्पत्तियां	26,27,210 रु०
कुल	2,13,86,555 रु०

तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान इन कर-निर्धारितियों द्वारा कुल 5.31 करोड़ रु० की कर-अपवचित आय घोषित की गई।

तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान जब्त की गई सामग्री के आधार पर प्रत्यक्ष कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाही की गई है। आयकर विभाग द्वारा ली गई उक्त तलाशी के बारे में महानिदेशक, विदेश व्यापार को संगत उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के निमित्त सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

किसानों के ऋण

912. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंक-वार इन ऋणों की क्या स्थिति थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक सरकार द्वारा सिंचाई बांड जारी करना

913. श्री एच०डी० देवगोड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार को ऊपरी कृष्णा परियोजना को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु सिंचाई बांड जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंद कपड़ा मिलें

914. श्री सत्यनामयण जटिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1994 तक राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें बंद हुई;

(ख) प्रत्येक मिल के बंद होने के क्या कारण हैं और इसके फलस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए; और

(ग) प्रत्येक मिल के पुनः चालू करने हेतु क्या उपाए किए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 1994 तक (अर्थात् 1-7-1991 से 3-6-1994 तक) 48 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बंद थी। उनके बंद होने के कारणों तथा प्रभावित कामगारों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सराकर ने बंद/रुग्ण अर्यक्षम मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेज बनाने तथा उसका संचालन करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की स्थापना की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1-7-1991 से 30-6-1994 तक) बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के बंद होने के कारणों तथा उनसे प्रभावित कामगारों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं०	मिल का नाम	बंद होने की तारीख	नामावली में कामगार	सूचित किये गये कारण
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आंध्र कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	30-7-1991	1237	वित्तीय
2.	करीम नगर कोआप०स्पि० मिल्स लि०	1-11-1991	339	उपलब्ध नहीं
3.	अन्नावरम स्पि० मिल्स लि०	10-7-1993	116	बिजली कटौती
4.	गोथम्मी स्पि० प्रा० लि०	1-11-1993	84	उपलब्ध नहीं
असम				
5.	असम स्टेट टैक्स०कोरपो०लि०	1-3-1994	538	उपलब्ध नहीं
बिहार				
6.	पाडल कोआप० स्पि० मिल्स लि०,पटना	19-11-1991	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गुजरात				
7.	दि अरूना मिल्स लि०	28-11-1991	3210	वित्तीय
8.	कान्टीनेंटल टैक्स० मिल्स०लि०	2-12-1992	20.19	बिजली कटौती
9.	न्यू रायपुर मिल्स कं० लि०	4-3-1994	1186	वित्तीय
10.	न्यू नूतन मिल्स लि०	20-1-1992	2151	वित्तीय
11.	रूस्तम मिल्स एंड इंडस्ट्री लि०	26-6-1993	1397	वित्तीय
12.	श्री अंबिका मिल्स लि० नं० 1	20-9-1991	4875	वित्तीय
13.	श्री महुवा स्पि० मिल्स० कोप० लि०	31-3-1992	250	वित्तीय
14.	राजप्रकाश स्पिनिंग मिल्स लि०	17-12-1993	390	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक				
15.	बागलकोट कोआप० स्पि० मिल्स लि०	15-3-1993	356	हड़ताल
16.	दि नंदी हसबी टैक्स० मिल्स लि०	30-10-1993	562	बिजली कटौती

1	2	3	4	5
केरल				
17.	मदुरा कोटस लि०	14-2-1993	2178	तालाबंदी
18.	त्रिवेन्द्रम स्पि० मिल्स लि०	5-1-1994	422	अन्य
19.	केरल स्पिनर्स लि०	24-9-1993	888	तालाबंदी
मध्यप्रदेश				
20.	विनोद मिल्स क्र० लि०	18-9-1991	3249	वित्तीय
21.	बिमल मिल्स	18-9-1991	1244	वित्तीय
22.	जियाजी राव काटन मिल्स लि०	28-4-1992	6746	वित्तीय
23.	दि हुकुमचन्द मिल्स लि०	3-12-1991	5659	वित्तीय
महाराष्ट्र				
24.	दि नान्ददे उत्पादक साह सूत गिरनी मर्यावित	1-6-1992	459	वित्तीय
25.	जलगांव कपास उत्पादक साह सूत गिरनी लि०	21-7-1992	391	वित्तीय
26.	किरण स्पि० मिल्स	21-12-1991	1197	तालाबंदी
27.	दि राजा बहादुर मोतीलाल पूना मिल्स लि०	1-3-1994	1113	वित्तीय
उड़ीसा				
28.	लिंगराज टैक्सटाईल्स प्रा० लि०, उड़ीसा	1-1-1993	उ० नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान				
29.	सराफ सिंथेटिक्स (राज०) लि०	4-3-1992	1196	वित्तीय
तमिलनाडु				
30.	शिवानन्दा मिल्स लि०	18-12-1993	510	कामगारों द्वारा धीमा काम करने की प्रवृत्ति
31.	तिरुपुर काटन स्पि० एंड वी० मिल्स लि०	18-2-1994	378	उपलब्ध नहीं
32.	रविन्द्रा मिल्स लि०	7-6-1994	300	हड़ताल
33.	पिलानी अन्दावूर काटन सिंथेटिक स्पिनर्स लि०,	4-6-1994	516	हड़ताल
34.	श्री गीता लक्ष्मी टैक्सटाईल्स,	1-9-1993	75	अन्य

1	2	3	4	5
35.	सुब्बया टैक्सटाईल्स	8-1-1993	12	हड़ताल
36.	उमयाला स्पिनर्स प्रा० लि०	19-1-1994	103	श्रमिक असंतोष
37.	कालेश्वरर मिल्स यूनिट नं० 1	2-9-1992	1028	हड़ताल
38.	पलानी श्री मुरुगन टैक्सटाईल्स	1-7-1992	135	वित्तीय
39.	श्री बसवेश्वर मिल्स	1-7-1993	74	उपलब्ध नहीं
40.	श्री बालाकृष्णन स्पिनर्स प्रा० लि०	15-10-1991	34	बोनस विवाद
41.	अन्नामलायर टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	8-8-1993	235	वित्तीय
42.	मुदालियानदन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	15-11-1993	230	वित्तीय
43.	मेडूर टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि०	2-7-1972	2852	वित्तीय
44.	श्री विक्रम काटन मिल्स	17-5-1992	1029	श्रमिक विवाद
45.	यू० पी० सहकारी कटाई मिल्स	3-10-1991	1322	वित्तीय
46.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	3-9-1991	2417	तालाबंदी
47.	रज़ा टैक्सटाइल लि०	21-09-1991	2323	श्रमिक विवाद
	५० बंगाल			
48.	शाइन यू पी फाइबर लि०	24-7-1993	715	तालाबंदी

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

915. श्री जनार्दन मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चन्दन की लकड़ी की तस्करी बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्राप्त रिपोर्टों से चंदन की लकड़ी की तस्करी में वृद्धि होने का पता नहीं चलता है।

(ख) तस्करी-रोधी कार्यों में लगे सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय चंदन की लकड़ी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम और उनका पता लगाने के कार्य में लगी सभी केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

पेरिस में विश्व बैंक की बैठक

916. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में विश्व बैंक के तत्वावधान में दाता देशों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दाता देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने बैठक में भाग लेने के लिए कोई शिष्टमंडल भेजा था;

(घ) यदि हां, तो शिष्टमंडल का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व बैंक द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मंजूर ऋणों को रद्द करने का ब्यौरा क्या है और यह ऋण कितनी राशि के हैं; और

(च) इनको रद्द करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर शूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारत विकास फोरम की बैठक में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यू०के० और यू०एस०ए० की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त ए०डी०बी०, यूरोपियन संघ (इयू), यूरोपियन निवेश बैंक (ई०आई०बी०), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई०एफ०सी०), अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई०एफ०ए०डी०) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ०ई०सी०डी०), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०), नोर्डिक निवेश बैंक (एन०आई०बी०), एकीकृत राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत के प्रतिनिध-मंडल का प्रतिनिधित्व वित्त सचिव ने किया जिसमें सचिव (पर्यावरण और वन), मुख्य आर्थिक सलाहकार, अतिरिक्त सचिव (ई०एफ०) संयुक्त सचिव (एफ०बी०) मंत्री (आर्थिक) टोक्यों, मंत्री (आर्थिक) वाशिंगटन, मंत्री (आर्थिक) लंदन, सलाहकार बोन, राजदूत पेरिस, पेरिस मिशन के उप प्रमुख, मंत्री (आर्थिक) पेरिस, प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) पेरिस, कार्यकारी निदेशक (बैंक) के परामर्शदाता और सलाहकार भी शामिल थे।

(ङ) और (च) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान रद्द किए गए ऋणों का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रद्द की गई राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	कारण
1	2	3	4
1.	गुजरात मध्यम सिंचाई II परियोजना	6.9	बचत/धीमा सवितरण
2.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	33.9	बचत/धीमा कार्यान्वयन
3.	महाराष्ट्र मिश्रित सिंचाई III परियोजना	41.6	पुनर्निर्माण/बचत
4.	आंध्र प्रदेश मिश्रित-II सिंचाई परियोजना	41.0	व्यय प्रवृत्ति
5.	ऊपरी कृष्ण चरण-II परियोजना	40.0	बचत/व्यय प्रवृत्तियां

1	2	3	4
6.	सरदार सरोवर बांध और विद्युत	181.5	भारत सरकार का अनुरोध
7.	रेनफेड जलसंभर विकास परियोजना	4.2	भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त बजट व्यवस्था और कर्मचारियों की तैनाती के कारण बचत/धीमा कार्यान्वयन
8.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	9.9	-यही-
9.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	4.2	-यही-
10.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान-II	2.5	-यही-
11.	निर्यात विकास परियोजना	98.700	इ आर ए एस के अन्तर्गत उच्च ब्याज दर के कारण यह ऋण ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सका।
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना-I	30.000	अपर्याप्त अनुबंध निष्पादन के कारण
13.	पेट्रोलियम परिवहन पोर्ट	290.000	अनुबंध निर्णय में देरी उच्च निविदा मूल्य के कारण परियोजना का गैर-निष्पादन। वचनबद्ध सहायता की प्रलम्बिता को कम करने और नई परियोजनाओं के लिए स्थान बनाने हेतु रद्द
14.	इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग	115.665	इ०आर०ए०एस० के अन्तर्गत उच्च ब्याज दर के कारण यह ऋण ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सका।
15.	राज्य सड़क परियोजना	55.000	अति उच्च निविदा मूल्य अधिक अनुमान लागत और संसाधन कठिनाई के कारण
16.	केरल विद्युत परियोजना	30.00	बचत के कारण
17.	फरक्का-II	22.00	बचत के कारण
18.	कर्नाटक विद्युत-I	250.52	विश्व बैंक द्वारा स्थापित ऋण प्रसविदा के अपालन के कारण

1	2	3	4
19.	कर्नाटक विद्युत-II	218.31	विश्व बैंक द्वारा स्थापित ऋण प्रसविदा के अपालन के कारण
20.	राष्ट्रीय पूंजी	35.00	बचत के कारण
21.	तलचर तापीय	8.00	बचत के कारण

लद्दाख में पर्यटकों का आगमन

917. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरुदास कामत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में पर्यटकों के आगमन में बहुत कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लद्दाख में पर्यटन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान लद्दाख में आने वाले पर्यटकों की संख्या में थोड़ी-सी कमी आई है जिसका कारण वहां पर पर्यटक-मौसम में वर्षा का होना है जिसके परिणामस्वरूप हवाई और सड़क यातायात में रुकावट आ गई थी।

(ग) विशिष्ट केन्द्रों/जिलों में पर्यटन की आधार भूत सुविधाओं का सुधार करना मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा लद्दाख जिले में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए, गत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

क्रम सं०	स्कीम	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1.	हेमिस उत्सव	6.22
2.	जल क्रीड़ा उपकरण	5.93
3.	पांगोंग पर्यटक बंगला	22.06
4.	त्सोमोरिरि में पर्यटक बंगला	20.65
5.	लेह में पर्यटक बंगला	19.73

अनिवासी भारतीयों के लिए बांड

918 : श्री शंकर सिंह बायेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना (एस०एस०पी०) के लिए अनिवासी भारतीयों के लिए बाँध जारी करने की अनुमति दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। चालू नीति के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अपने नाम से बाह्य उधारों हेतु सविदा करने की अनुमति नहीं दी गई है, तथापि, राज्य स्तर के सरकारी उद्यम भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ऋण निगमों के साथ घरेलू पूंजी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदनाधीन अनिवासी भारतीयों के पक्ष में ऐसे निर्गमों के अन्तर्गत आरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क का अपवंचन

919. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिसके विरुद्ध विभागीय तथा/अथवा अदालतों में ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही है जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा/अथवा सीमा शुल्क का अपवंचन सौ करोड़ रु० से अधिक है ;

(ख) उन कंपनियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध इस तरह के मामले सी०ई०जी०ए०टी०, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(ग) इस धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वसूली तभी की जा सकती है जब कानून के अनुसार शुल्क देयता की पुष्टि हो जाती है। अतः विभागीय स्तर पर लंबित कार्यवाहियों की विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों पर समीक्षा की जाती है और उनका परिवीक्षण किया जाता है तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों को समय-समय पर इनका शीघ्र निपटान करने के लिए कहा जाता है। जहां तक न्यायालयों और न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ी कार्यवाहियों का संबंध है, इन कार्यवाहियों को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं, जिन मामलों में वसूली संबंधी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया है, उनमें स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए कदम उठाना, मामलों को विषयवार इकट्ठा करके उन्हें शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए उपाय करना, पीठों के निर्धारण, विशेष रूप से सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों की सुनवाई के लिए अनुरोध करना और उच्च न्यायालयों तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़े एक जैसे मामलों में विशिष्ट मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत करना ताकि उनमें शीघ्र निर्णय हो सके।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में व्यापक कृषि विकास योजना

920. श्री दत्ता त्रेपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से "ओपेक" (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) की सहायता राज्य में व्यापक कृषि विकास योजना लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय में हाल में "ओपेक" निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी बैंक

921 श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से राज्यस्थान में कुल कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन बैंकों ने राजस्थान में ऋणों की कितने प्रतिशत वसूली की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जून, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) देश में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों की कुल संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य सहकारी बैंक	28
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	352
राज्य भूमि विकास बैंक	20*

* दिसम्बर 1993 की स्थिति के अनुसार

इन सहकारी बैंकों की संख्या और वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान उनके द्वारा सवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III (क) और (ख) दिया गया है।

(ग) वर्ष 1990-91-, 1991-92 और 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) में राजस्थान में इन सहकारी बैंकों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एस०सी०वी०)
द्वारा सवितरित कुल ऋणों का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1990-91*	1991-92*	1992-93*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश.	31697	52744	102434
2.	असम	16824	14270	6196

1	2	3	4	5
3.	बिहार	4609	7425	13103
4.	गोवा	3578	4094	6513
5.	गुजरात	32020	48327	36377
6.	हरियाणा	37330	48431	119154
7.	हिमाचल प्रदेश	26747	19482	19482
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1651	2076	2076
9.	कर्नाटक	25837-	34942	40187
10.	केरल	37060	28564	49549
11.	मध्य प्रदेश	126356	143077	260804
12.	महाराष्ट्र	424139	497077	673136
13.	मणिपुर	510	668	594
14.	मेघालय	880	985	1751
15.	नागालैण्ड	255	84	84
16.	उड़ीसा	10779	6898	6528
17.	पंजाब	58349	55878	115590
18.	राजस्थान	21579	10444	37094
19.	तमिलनाडु	156966	111799	180901
20.	त्रिपुरा	941	3231	3231
21.	उत्तर प्रदेश	121292	204666	204666
22.	पश्चिम बंगाल	15690	14432	14432
23.	अंडमान व निकोबार	NA	151	433
24.	अरुणाचल प्रदेश	326	455	455
25.	चंडीगढ़	50	30	46
26.	दिल्ली	107	44	222
27.	मिजोरम	NA	92	152
28.	पांडीचेरी	1689	5360	1239
कुल :		1157261	1315726	1896429

*स्रोत : राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (एन०ए०एफ०एस०सी०ओ०वी०)

नोट : वर्ष 1993-94 की तारीख उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित
कुल ऋण का राज्यवार विस्तृत व्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सं०	1990-91*	1991-92*	1992-93*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	64434	48431	88511
2.	असम	1	126	126	126
3.	बिहार	34	5262	9492	12445
4.	गुजरात	18	273924	240153	401461
5.	हरियाणा	14	36017	48080	97472
6.	हिमाचल प्रदेश	2	9907	10994	21468
7.	जम्मू व कश्मीर	3	707016	6708	9054
8.	कर्नाटक	19	49722	46184	75253
9.	केरल	14	54809	55033	66189
10.	मध्य प्रदेश	45	77853	87062	166436
11.	महाराष्ट्र	30	741184	625892	689671
12.	उड़ीसा	177	8764	11695	16902
13.	पंजाब	153	88005	83322	135449
14.	राजस्थान	26	25624	24568	39948
15.	तमिलनाडु	18	300868	257826	389468
16.	उत्तर प्रदेश	57	120193	133471	184644
17.	पश्चिम बंगाल	17	13383	15597	22325
कुल :		352	1877101	1704604	2416822

*स्रोत : राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (एन०ए०एफ०एस०सी०ओ०वी०) !
नोट : वर्ष 1993-94 की तारीख उपलब्ध नहीं है।

विवरण-III (क)

दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का संगठनात्मक नेटवर्क (संख्या)

31.12.93 तक की स्थिति

क्र०.सं०	राज्य का नाम	ढांचा	राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाएं	प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या	प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की संख्या	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	समन्वित	-	22	502	524
2.	असम	संघीय	17	21	-	38
3.	बिहार	ऐकिक	187	-	-	187
4.	गुजरात	ऐकिक	181	-	-	181
5.	हरियाणा	संघीय	-	78	-	78
6.	हिमाचल प्रदेश	मिश्रित	17	1	5	23
7.	जम्मू एवं कश्मीर	ऐकिक	32	-	-	32
8.	कर्नाटक	संघीय	19	177	-	196
9.	केरल	संघीय	12	14	-	36
10.	मध्य प्रदेश	संघीय	9	45	450	504
11.	महाराष्ट्र	ऐकिक	303	-	-	303
12.	मणिपुर	ऐकिक	1	-	-	1
13.	उड़ीसा	संघीय	3	57	-	60
14.	पांडिचेरी*	ऐकिक	1	-	-	1
15.	पंजाब	संघीय	8	57	-	-
16.	राजस्थान	संघीय	-	33	116	149
17.	तमिलनाडु	संघीय	19	181	-	207
18.	त्रिपुरा	ऐकिक	3	-	-	3
19.	उत्तर प्रदेश	ऐकिक	287	-	-	287
20.	पश्चिम बंगाल	मिश्रित	2	14	32	58
जोड़ :			1093	751	1105	2949

डीसीबी आन्ध्र प्रदेश में कृषि के लिए दीर्घावधिक निवेश ऋण का प्रबंध करने वाले डीसीसीवी और डीसीसीवी की शाखाएं जहाँ पर दीर्घावधिक ढांचा, मूल स्तर पर आधारित है।

* केवल राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय

विवरण-III (ख)

प्रायकित स्तर पर एल०डी०बी० द्वारा जारी ऋण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10304	13590	21645
2.	असम	76	213	63
3.	बिहार		134	770
4.	गुजरात	5214	7022	6044
5.	हरियाणा	4649	5642	7399
6.	हिमाचल प्रदेश	214	386	306
7.	जम्मू एवं कश्मीर	261	394	367
8.	कर्नाटक	11254	11216	12912
9.	केरल	8064	6402	7838
10.	मध्य प्रदेश	4192	5817	5817
11.	महाराष्ट्र	11254	13216	12912
12.	उड़ीसा	128	626	1586
13.	पाडिचेरी	93	74	62
14.	पंजाब	5809	6000	7839
15.	राजस्थान	3362	4749	6203
16.	तमिलनाडु	3005	4132	6410
17.	त्रिपुरा	29	72	85
18.	उत्तर प्रदेश	15229	16095	19895
19.	पश्चिम बंगाल	1413	3152	1711
20.	मणिपुर	-	-	53
जोड़ :		80444	100553	121855

विवरण-IV

राजस्थान में एस०सी०बी०, डी०सी०सी०बी०, एस०एल०डी० और पी०एल०डी०बी० की मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता

क्र० सं०	संस्थान	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	एस सी बी	94.8	92.7	93.8
2.	डी सी सी बी	71.1	65.1	68.7
3.	एस एल डी बी स्तर	N.A	52.1	52.6
4.	पी एल डी बी स्तर	N.A	52.05	54.0
उपलब्ध नहीं				

[अनुवाद]

आयकर माफी

922. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान आयकर की भारी राशि माफ कर दी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान माफ किए गए आयकर की धनराशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	माफ की गई धनराशि (करोड़) रु० में)
1991-92	13.31
1992-93	11.73

यह उल्लेखनीय है कि माफ की गई धनराशि उपर्युक्त दोनों वर्षों की आयकर की कुल वसूली, जो कि 14.000 करोड़ रु० (चौदह हजार करोड़ रुपये) से अधिक की थी, की तुलना में बहुत ही मामूली है।

जूट का उत्पादन

923. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में जूट का कुल कितना उत्पादन हुआ; और
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि में उड़ीसा तथा अन्य जूट उत्पादक राज्यों में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1991-92 से 1994 तक उड़ीसा राज्य के संबंध में कच्चे पटसन का उत्पादन (पटसन+मेस्टा) इस प्रकार है :

(उत्पादन लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 180 किग्रा०)

वर्ष	पटसन	मेस्टा	कुल (कच्चा पटसन)
1991-92	3.81	2.46	6.27
1992-93	2.73	1.91	4.64
1993-94	1.85	2.39	4.24

(ख) वर्ष 1991-92 से 1994 तक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एस जे डी पी)/यू एन डी पी सहायित रेटिंग प्रोद्योगिकी में सुधार लाने संबंधी परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई राज्यवार राशि।

(क) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय अंशदान (100%)

(लाख रु० में)

क्र सं०	राज्य	रिलीज की गई राशि		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	47.63	27.806	19.118
2.	असम	92.90	84.76	24.80
3.	बिहार	92.90	रिलीज नहीं की गई	रिलीज नहीं की गई
4.	मेघालय	6.98	4.172	3.732
5.	उड़ीसा	32.15	19.871	18.34
6.	त्रिपुरा	7.85	0.819	18.004
7.	उत्तर प्रदेश	24.00	रिलीज नहीं की गई	17.996
8.	पश्चिम बंगाल	208.70	रिलीज नहीं की गई	79.303
कुल :		513.11	137.428	181.293

(ग) रेटिंग प्रोद्योगिकी में सुधार लाने संबंधी यू एन डी पी सहायित परियोजना (50% केन्द्रीय अंशदान)

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1992-93 के दौरान रिलीज की गई राशि
1.	असम	5.00
2.	बिहार	5.00
3.	उड़ीसा	5.00
4.	पश्चिम बंगाल	20.00
कुल :		35.00

गुवाहाटी के चाय नीलामी केन्द्र का आधुनिकीकरण

924. श्री प्रवीन डेका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में और अधिक कारोबार बढ़ाने के लिए इस चाय नीलामी केन्द्र के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) और (ख) गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है जिससे अतिरिक्त मात्रा में नीलामी करने की सुविधा है। गुवाहाटी नीलामी केन्द्र के जरिए चाय की बिक्री पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही है।

उड़ीसा में हस्तशिल्प का विकास

925. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा हस्तशिल्प विकास निगम ने राज्य में लकड़ी पर नक्काशी, कांस्य शिल्प, हाथ की छपाई, कालीन बुनाई, टेराकोटा, बांस के कार्यों जैसी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

बस्त्र मंत्रालय के मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1993-94 के दौरान उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प विकास निगम से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई नीचे तालिका में दी गई है:—

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृता/रिलीज की गई राशि (लाख रु० में)
1.	प्रदर्शनियां	8	4.50
2.	इम्पोरियम खोलना/नवीकरण	4	30.36
3.	कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	3	6.63

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास ऋण

926. श्री के० प्रधानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से बीड़ी श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए ऋण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीड़ी श्रमिकों की आवास समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि कोई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) "अपना मकान स्वयं बनाओ योजना" के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को 6000 रु० का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है जिसे 9 वर्षों में लौटाना होता है । इसी प्रकार इस सुविधा को उन बीड़ी कर्मकारों के लिए लागू किया जाता है जो "अपना मकान स्वयं बनाओ" योजना के अंतर्गत कम से कम 50 सदस्यों की एक सहकारी समिति बनाते हैं । ऋण के अलावा, इस योजना के अंतर्गत 1000 रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना" के अंतर्गत, राज्य सरकारें बीड़ी कर्मकारों के लिए मकानों का निर्माण कर रही हैं जिसके लिए आर्थिक सहायता का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से किया जाता है प्रति इकाई ऋण की धनराशि और आर्थिक सहायता में संशोधन किया जा रहा है ।

जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से ऋण

927. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय विकास परियोजना के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण देने का प्रस्ताव है;

(ग) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना का लाभ कुल कितने जनजातीय लोगों को मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रियायती शर्तों पर 26.71 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ।

(ग) और (घ) परियोजना के लक्ष्य हैं: आय के स्तरों को ऊंचा उठाना, भोजना की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जीवन के दर्जे में सुधार करना, समुदायों में स्थायी आधार पर और अधिक आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संबंधी अवक्रमण को कम करना और परिवर्तित करना । इस परियोजना क्षेत्र में पांच एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां अर्थात् उन्नर, इतरूनगरम, भद्रचालम, के०आर० पुरम और सुदीपेंटा हैं, जो 1016

गांवों में 76,810 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। पूरे राज्य में लगभग 230,000 जनजातीय परिवार ऋण, निवेश और विपणन सेवाओं से भी लाभान्वित होंगे।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का विप्रेषण

928. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अपनी उड़ाने संचालित कर रही प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कितनी मुद्रा-विदेशी मुद्रा विप्रेषित की गयी ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी विप्रेषित विदेशी मुद्रा पर निगरानी रखने हेतु कतिपय नियम और विनियम बनाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पूर्ण विनियम नियंत्रण संबंधी खामियों को दूर करने और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सहकारी मिलों हेतु दीर्घकालिक ऋण

929. श्री एन०जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय संस्थान से राज्य में प्रस्तावित सहकारी मिलों की स्थापना के लिए दीर्घकालिक ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य के प्रश्न का संदर्भ गुजरात राज्य में सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋणों की मंजूरी से है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार से उन्हें सहकारी कताई मिलों को सावधि ऋण मंजूर करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

करेंसी नोट

930. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों/भारतीयों रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोटों को बेढंगे और पुराने तरीके से स्टेपल करने के कारण जनसाधारण को परेशानी होती है;

(ख) क्या करेंसी नोटों की घटिया और खराब हालत के कारण नोटों की गड़ियां खोलते समय कई नोट फट जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार करेंसी नोटों को स्टेपल करने का अधिक सुविधाजनक और बेहतर तरीका ढूँढने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नोट पैकितों में अत्यधिक स्टेप्लिंग की प्रणाली बन्द किए जाने के अनुदेशों को जारी किया है।

(ग) और (घ) स्टेप्लिंग की प्रणाली छह से सात दशकों से अधिक समय से प्रचलन में रही है। समय की इस अवधि में, नोट पैकितों में स्टेप्ल किये जाने की इस उपयुक्तता के लिए स्वीकार करना सर्वजन का मौलिक सुरक्षा पक्ष बन गया है। अल्पकालिक सूचना पर वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव सर्वजन के विश्वास को तोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि नोटों के पैकितों को स्टेप्ल नहीं किया जाता, तो बैंकों तथा अभिकरण बैंकों में अनैतिक तत्वों द्वारा नोटों के निकाले जाने का खतरा भी बना रहता है। फिर भी, प्रेसों में नोटों की सुरक्षा मुद्रांकन को नई प्रणाली को लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह तभी सम्भव होगा जब सालबोनी और मैसूर में दो नई नोट प्रेसों नवीनत प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित की जाएगी और जाच सफल होती है।

[हिन्दी]

पंजीकृत बेरोजगार

931. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण संख्या में अत्यधिक कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना

*932. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ता बुल्ली रामय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में संगठित क्षेत्र में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार 1994-95 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन श्रमिकों के लिए शुरू किये गये कल्याणकारी उपयों हेतु धनराशि देने पर सहमत हुई है,

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वित की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता दी गयी है, और

(घ) कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा में हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री०पी०ए० संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के आंध्र प्रदेश के संगठित क्षेत्र सहित कुल श्रम बल 2.98 करोड है। संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) कर्मकारों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को विभिन्न प्लान योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रतिपूर्ति आधार पर, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु (केन्द्र का 50% हिस्सा) और कमजोर वर्गों के बीड़ी कर्मकारों हेतु मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता हेतु निधि जारी की जाती है। 1994-95 के बजट में कोई विशिष्ट राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की समीक्षा

933. श्री हरीश नारायण प्रभु झांद्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की समीक्षा करने हेतु गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. प्राधिकृत पूंजी के संबंध में 50 करोड़ रुपए की विद्यमान उच्चतम सीमा, जिसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बढ़ कर 100 करोड़ किया जा सकता है, को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाए, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार की अनुमति से 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
2. राज्य वित्त निगमों का शेयर धारिता पैटर्न 51:49 के आधार पर होना चाहिए। जबकि जारी शेयर पूंजी का 51% राज्य सरकार और राज्य/केन्द्र सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले संस्थानों के पास होना चाहिए; शेष 49% जनता को जारी किया जाना चाहिए।
3. मूल धन की वापसी अदायगी के संबंध में राज्य सरकार की गारंटी और न्यूनतम दर पर वार्षिक लाभांश के भुगतान को समाप्त किया जाना चाहिए और एस एफ सी को उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित दर पर लाभांश घोषित करने की अनुमति दी जाए।
4. एस एफ सी अधिनियम में एक प्रावधान शामिल किया जाए जिससे राज्य सरकार या राज्य/केन्द्र सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थानों को छोड़कर अलग-अलग शेयरधारकों के मतदान के अधिकार को सीमित किया जा सके जिसमें व्यक्तिगत धारिता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
5. एस एफ सी को वित्तीय संस्थानों, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनी या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति से और साथ ही बहुपक्षीय संगठनों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य सरकार दोनों की अनुमति से धन उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है।

6. राज्य वित्तीय निगमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य रूप से या विशेषरूप से अनुमोदित शर्तों पर जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार का आई डी बी आई के अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
7. राज्य वित्तीय निगमों की संरचना में परिवर्तन किया जाना चाहिए और निजी शेयर धारकों को इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित सदस्यों की संख्या को घटा दिया जाना चाहिए बोर्ड को अधिकार दिया जाना चाहिए कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कर सके।
8. राज्य वित्तीय निगमों को व्यापारी बैंकिंग पट्टादारी साख पत्र जारी करना, म्युचअल फंड कार्य तथा दलाली जैसे नए कार्यों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
9. औद्योगिक इकाईयों के लिए 60 लाख रुपए के समायोजन की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर सामान्यतया 150 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए तथा जिन औद्योगिक इकाईयों का कार्य करने का रिकार्ड अच्छा हो, उनके मामले में 200 लाख कर दिया जाना चाहिए। अन्य मामलों में 30 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए।
10. राज्य वित्तीय निगमों को उन औद्योगिक इकाईयों के लिए वित्त व्यवस्था करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनके मामले में कुछ प्रदत्त शेयर पूंजी तथा फ्री रिजर्व 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिशों पर राज्य सरकार इस सीमा को 30 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है।
11. राज्य वित्तीय निगमों को निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत कोष को निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
12. राज्य सरकार नीति के प्रश्नों पर तब तक राज्य वित्तीय निगम को अनुदेश देने की शक्तियां अपने पास रख सकती हैं जब तक कि जारी पूंजी का 51 प्रतिशत पर इसका अधिकार हो और जहां राज्य सरकार का अधिकार इस प्रतिशत से कम हो। राज्य वित्तीय निगम को बोर्ड अपने ही स्तर पर नीतिगत मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए।
13. राज्य वित्तीय निगमों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी वित्तीय संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

(ग) समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार को समिति की रिपोर्ट जुलाई, 1994 में प्राप्त हो गई थी।

राजस्थान में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

934. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान की राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने श्रमिक सेवानिवृत्त हुए।

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और सहकारी मिलों में विशेष रूप से ब्यावर स्थित मिलों में श्रमिकों की मनमाने रूप से छंटनी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक वित्त ओर पुन निर्माण बोर्ड ने किन शर्तों के अंतर्गत ब्यावर स्थित कृष्णा मिल को पुनः चलाने की अनुमति प्रदान की और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राजस्थान में एन०टी०सी की 4 मिलों में पिछले दो वर्ष के दौरान कुल 1001 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया।

(ख) और (ग) एन०टी०सी० में एकपक्षीय कोई छंटनी नहीं की जा रही है। तथापि, पावर की कमी जैसे प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारणों से कुछ विभागों के कामगारों की कुल समय छंटनी की गई।

बयावर में सहकारी क्षेत्र में कोई सूती/मानव निर्मित फ़ाइबर मिल नहीं है।

(घ) मै० कृष्णा मिल्स बयावर का मामला 1987 में बी०आई०एफ०आर० के पास पंजीकृत था। बी०आई०एफ०आर० ने इस मामले की जांच की तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से इस आशय की सिफारिश की कृष्णा मिल्स को बंद कर दिया जाय।

[हिन्दी]

खेल-कूद के सामानों का आयात

935. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेल कूद के सामानों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 के अध्याय 15 के भाग-2 में निहित प्रावधानों के अनुसार खेलकूद के सामान एवं उपस्करों के आयात की अनुमति लाइसेन्स पर या इसके बदले जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार दी जाएगी। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च, 1993 को सार्वजनिक सूचना सं० 115 (पीएन)/92-97 जारी की गई है जिसमें विशिष्ट वर्गों द्वारा खेलकूद के सामान एवं उपस्करों के आयात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं। उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच व्यावसायिक समझौता

936. श्री अर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच अक्टूबर 1993 के अन्तिम सप्ताह के दौरान एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इसके प्रयोजन, शामिल होने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, शर्तों, अंतर्ग्रस्त कुल ऋण/वित्त, प्रत्याभूति की अवधि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से ऋण दाता तथा ऋणी को क्या प्रमुख लाभ होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार किसी ग्राहक से संबंधित विस्तृत ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

कोयले का आयात

937. श्री फूलचन्द बर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्य सरकारों द्वारा 30 जून, 1994 तक कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : उदारीकृत निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत सभी करने की अनुमति है। इसको मुक्त रूप से आयात किए जाने की व्यवस्था को देखते हुए इसके राज्यवार आयात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी पूंजी निवेश

938. श्रीमती दीपिका एच टोपीवाला :

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विकास मंच ने हाल ही में भारत से गैर-सरकारी पूंजी-निवेश पर लगी प्रतिबंध संबंधी शर्तों को उदार बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो मंच की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री०एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारत विकास मंच की बैठक देश की सहायता संबंधी आवश्यकता पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 जून और 1 जुलाई, 1994 को पेरिस में हुई थी। बैठक भारत की आर्थिक नीति के लिए समर्थन की सुदृढ़ अभिव्यक्ति पर समाप्त हुई। प्रति-निधियों ने यह पाया कि तीन वर्ष की अल्प अवधि में सरकार वृहत् आर्थिक संकट को दूर करने और भविष्य में उच्च वृद्धि की अच्छी संभावनाओं सहित प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4 प्रतिशत की समग्र अच्छी वृद्धि बनाए रखते हुए संरचनात्मक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अभूतपूर्व ढंग से सफल रही है। यह देखा गया था कि अगली कार्यसूची अत्यधिक आवश्यक है और इसके लिए (I) राजकोषीय समेकन की गति को सुधारने के अनवरत प्रयास (II) क्षेत्र-स्तरीय नीति और कृषि, विद्युत, दूरसंचार और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए प्रेरक संस्थात्मक ढांचा स्थापित करने; (III) सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करने; और (IV) राजकोषीय संरचनात्मक सुधार संबंधी प्रयासों को राज्यों तक पहुंचने की अपेक्षा होगी।

(ग) व्यक्ति किए गए विचारों के प्रत्युत्तर में भारतीय-प्रतिनिधिमंडल ने इंगित किया कि सरकार राजकोषीय समायोजन और सुधार कार्यक्रमों में प्रगति बनाए रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों को आगामी वर्षों में सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाएगा।

लदान पूर्व निरीक्षण

939. डा० बसंत पवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा लदान पूर्व कितनी बार निरीक्षण किया है;

(ख) क्या परिषद् द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान कोई अनियमितता पाई गई; और

(ग) यदि हां, तो इस दौरान कितने निर्यातकों को दोषी पाया गया तथा उनके खिलाफ परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई/आरंभ की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई०आई०सी०) किसी निर्यात खेप का कोई निरीक्षण नहीं करती है। निर्यात खेपों का निरीक्षण ई०आई०सी० के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रणाधीन पांच निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ई०आई०ए०) करते हैं। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान किए गए लदान-पूर्व निरीक्षणों की कुल संख्या नीचे दी जा रही है:—

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
1992-93	30,020
1993-94	16,857

(ख) निरीक्षण के दौरान निर्यातकों की ओर से कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। किन्तु, कुछ खेपों को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि वे संगत मानक विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थे। अस्वीकृति के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	अस्वीकृत खेपों की संख्या
1992-93	819
1993-94	533

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए दोषी निर्यातकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी पर्यटक

940. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री पंकज चौधरी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री बी०एल०शर्मा प्रेम :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष (पाकिस्तान और बंगलादेश के पर्यटकों को छोड़कर) कितने विदेशी पर्यटक भारत आए;

(ख) किस देश से अधिकतम पर्यटक यहां आए;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष उनमें से कितने पर्यटकों ने कश्मीर घाटी के पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया;

(घ) इन वर्षों के दौरान पर्यटन से प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई;

(ङ) क्या देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्कृति उन्मुख पर्यटन के बदले अवकाश और मनोरंजन पर्यटन को शामिल करने का विचार है; और

(च) संस्कृति-उन्मुख पर्यटन के महत्व को कम करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रियों को छोड़कर, आए पर्यटकों के आंकड़े निम्नानुसार थे :—

वर्ष	पर्यटक आगमन	प्रतिशत अंतर
1991	12,36,120	-
1992	14,34,737	16.1
1993	14,42,643	0.6

(ख) 1993 के दौरान अधिकतम संख्या में पर्यटक यू० के० से आए।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में गए पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार थी :—

वर्ष	विदेशी पर्यटक
1991	5,005
1992	9,209
1993	उपलब्ध नहीं

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय के आंकड़े निम्नानुसार थे :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत अंतर
1991	2918.11	-
1992	3915.56	34.2
1993	4250.82	8.6

(ड) और (च) संस्कृति अभिमुखी पर्यटन के महत्व को कम नहीं किया गया है। संस्कृतिक पर्यटन भारतीय पर्यटन का मुख्य आधार है। आठवीं योजनावधि में अवकाश और सावकाश पर्यटन का भी विकास-कार्य आरम्भ किया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात नीति में परिवर्तन

941. श्री बोल्सा मुस्ती रामप्या :

श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओबेसी :

क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उरुग्वे दौर के समझौते के अन्तर्गत विश्व व्यापार में हुए उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत की निर्यात-क्षमता का भरपूर उपयोग करने हेतु नीतिगत परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उपयुक्त शोध संस्थानों को देश में अधिक निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों तथा उत्पादों का पता लगाने हेतु विश्व शुल्क सूची का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश देने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात बढ़ाने हेतु इस संबंध में हमारी निर्यात नीति में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

बाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) उरुग्वे दौर के परिणामों को अप्रैल, 1994 में आयोजित माराकेश मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में अधिप्रमाणित किया गया। माल और सेवाओं संबंधी बाजार प्रवेश की अनुसूचियां केवल हाल ही में प्राप्त हुई हैं। इन अनुसूचियों को विस्तृत जांच और विश्लेषण के लिए शीर्ष व्यापार निकायों तथा अनुसंधान संस्थाओं को भेजे जाने का विचार है ताकि वे ऐसे माल, सेवाओं और बाजारों का पता लगा सकें, जिन बाजारों को हमारे अत्यधिक निर्यात की संभावनाएं हों। इस विश्लेषण से हमें अगले नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

गुजरात को विदेशी सहायता

942. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार को कोई सहायता दे रही है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ड) सूचना नीचे दी गयी है :

(1) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक परियोजना प्रस्ताव (गु०रा०प्र०नि०बो० के सुदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पर्यावरणीय परियोजना (पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था और मार्च, 1991 में नीदरलैंड के प्राधिकारियों के समक्ष

- प्रस्तुत किया गया था। नीदरलैंड के प्राधिकारियों से अनुमोदन संबंधी और ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
- (II) गुजरात में लवणता प्रवेश निवारण संबंधी एक परियोजना जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुई थी और इसे नीदरलैंड को भेज दिया गया था, जिसके लिए नीदरलैंड सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
- (III) "महिला समूह को शक्ति प्रदान करना अर्थात् उत्तरी कच्छ गुजरात का पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार" नामक परियोजना के बारे में स्विस विकास सहयोग से बातचीत चल रही है।
- (IV) गुजरात में एकीकृत जल विभाजक प्रबंध संबंधी एक परियोजना (वस्तु पूर्ति द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये के समतुल्य ई०सी०यू० 17 मिलियन) नवम्बर, 1992 से यूरोपीय समुदाय (ई०सी०) द्वारा बन्द कर दी गयी है। इस पूर्ववर्ती परियोजना का विस्तार चरणयूरोपीय समुदाय की सहायता के लिए विचाराधीन है और गुजरात सरकार से यूरोपीय समुदाय के साथ मामले को उठाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के माध्यम से परियोजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग को भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बैंक प्रोफेशनल

943. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री राम विलास पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त अनेक प्रोफेशनल व्यक्तियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्याग पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान अब तक कितने प्रोफेशनल व्यक्तियों ने त्याग पत्र दिया है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) कुछ बैंक अधिकारियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में सेवा करने या दूसरो उपक्रमों में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए समय-पूर्व सेवानिवृत्ति ली है। गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी संस्थान में ज्वाइन करने के लिये बैंकों के अधिकारियों को अपने-अपने संस्थानों से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होती है। उन अधिकारियों की सही संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है जिन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में जाने के लिए त्यागपत्र दिया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बहुत छोटा आकार होने के कारण वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बहुत अधिक अधिकारियों को आकर्षित और खपा नहीं सकते हैं। दूसरे संस्थानों में जाने वाले अधिकारियों की इतनी अधिक संख्या नहीं है कि उसे रोकने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता हो।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों का निजीकरण

944. श्री पंकज चौधरी :
 श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाहे :
 श्री सत्यदेव सिंह :
 श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
 श्री शिव शरण वर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के निजीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हवाई अड्डे के विकास में उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, जिन्हें जनता की सहभागिता के लिए अनारक्षित किया जा सकता है, एक अन्तर-मंत्रालय दल का गठन किया गया था। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार रिपोर्ट पर यथासमय निर्णय लेगी।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाला

945. श्री विजय कुमार यादव :
 श्रीमती गीता मुखर्जी :
 श्री श्रवण कुमार पटेल :
 श्री सैयद शहाबुद्दीन :
 श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाहे :
 श्री शरद दिघे :
 श्री रूप चंद पाल :
 श्री लोकनाथ चौधरी :
 श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री 4 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिभूति घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों, टिप्पणियों और सिफारिशों के बारे में "की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट" तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रतिभूति एवं बैंकिंग लेनदेनों में अनियमितताओं की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 26 जुलाई 1994 को सभा पटल पर रख दी गयी है।

[हिन्दी]

गुजरात में नागर विमानन का विकास

946. श्री छीतूभाई गामीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन ढांचे के निर्माणा और विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) योजनाओं के अंतिम रूप तथा इस हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात में हवाई अड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40.57 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना

947. श्री तारा सिंह :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना को वापस लेने से निर्यात वृद्धि दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान डालर के रूप में 20% निर्यात वृद्धि की तुलना में इंजीनियरिंग माल के निर्यात में अप्रैल-मई, 1994 के दौरान 5% की कमी हुई है जो मुख्यतः प्राथमिक और अर्द्ध-परिष्कृत लोहा और इस्पात मर्दों के निर्यात में गिरावट के कारण आई।

(ग) इंजीनियरी साल के निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने की सुविधा उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को फिर से चलाना

948. श्री तरित वरण तोपदार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति ने सरकारी क्षेत्र के 15 रुग्ण एककों को फिर से चलाने के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिशें भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपरोक्त एककों को फिर से चलाने संबंधी प्रस्तावों में केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की कितनी-कितनी वित्तीय भागीदारी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) इंजीरियरिंग उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की 4-2-1994 और 14-2-1994 को आयोजित बैठकों में निम्नलिखित 15 रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया गया :—

1. हैवी इंजीरियरिंग कार्पोरेशन,
2. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन,
3. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०,
4. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कार्पोरेशन,
5. मंघ नेशनल पेपर मिल्स,
6. स्कूटर इंडिया लि०,
7. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०,
8. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि०,
9. भारत ओप्याल्मियक ग्लास लि०,
10. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०,
11. टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन लि०,
12. नेशनल इस्ट्रुमेंट्स लि०,
13. वेबर्ड इंडिया लि०,
14. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०,
15. टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०,

उक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों के आधार पर, व्यवसाय संघों ने 15 के० सा० १० उ० में से 14 के पुनर्जीवन हेतु अपने समेकित सुझाव सरकार के विचार हेतु पेश किये हैं। ये सुझाव भारी उद्योग विभाग को, प्रत्येक के० सा० १० उ० के संबंध में सरकार के मत को अंतिम रूप देने हेतु, उनके कैबिनेट संबंधी नोट में सम्मिलित करने हेतु भेज दिये गये हैं।

(ख) और (ग) अभी तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तम्बाकू का निर्यात

949 श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

श्री एस०एम० लालजान बाशा :

क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान तम्बाकू के निर्यात हेतु कोई क्रयदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व सोवियत संघ के देशों ने आन्ध्र प्रदेश से 1994 की तम्बाकू की फसल से तम्बाकू खरीदने में कोई रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्व सोवियत संघ द्वारा इस वर्ष कितनी मात्रा में तम्बाकू खरीदने जाने की आशा है?

बाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जैसा कि व्यापार क्षेत्र से जानकारी मिली है, 1994, ए०पी० फसल से एफ०सी०वी तम्बाकू की आपूर्ति के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ के देशों के साथ अब तक कोई सविदाए नहीं की गई है।

(ङ) भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा इस वर्ष कितनी मात्रा की खरीददारी की जाएगी यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं है क्योंकि ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत अपेक्षित मात्रा के संबंध में कोई संकेत अभी नहीं मिले हैं।

अर्चना एयरवेज का विमान

950. श्री राम प्रसाद सिंह
श्रीमती सरोज दुबे

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 में अर्चना एयरवेज के विमान का दरवाजा विमान के पालम हवाई अड्डे से शिमला के लिए उड़ान भरने के शीघ्र पश्चात् ही बीच आकाश में उड़ गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नवी आजाद) : (क) अर्चना एयरवेज का एल-410 विमान जिसे चेक गणतंत्र के एल०ई०टी० एरोनॉटिकल वर्क्स से वेटलीज़ पर लिया गया था, 17-6-1994 को दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान का प्रचालन कर रहा था। विमान की कमान चेक कू के हाथ में थी। उड़ान भरने के बाद जब विमान दिल्ली से लगभग 15 नॉटिकल मील की दूरी पर था, उसका दायीं ओर का आपातकालीन दरवाजा खुल गया।

(ख) और (ग) घटना की जांच से पता लगा है कि किसी यात्री/बच्चे द्वारा असावधानीवश हत्ये को "खुली" स्थिति में घुमा दिये जाने के कारण आपातकालीन दरवाजा उड़ान के दौरान खुल गया था।

(घ) घटना के तुरन्त बाद, निर्माता की सिफारिश के अनुसार विमान के आपातकालीन दरवाजे के हत्ये को धुमाने की विपरीत दिशा में 90 अंश पर वापस लाया गया ताकि असावधानीवश लगे दबाव से हत्या घूम न सके। पुश बटन लॉक का कवर भी सील कर दिया गया था।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं

951. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्यों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है?

मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गयी है।

क्रम सं०	राज्य का नाम जहां राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यान्वित है	जारी की गयी धन राशि		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	41,67,289	56,73,479	79,19,619
2.	तमिलनाडु	39,29,289	44,10,447	60,49,076
3.	राजस्थान	22,08,571	22,92,902	30,14,784
4.	मध्य प्रदेश	9,81,236	7,89,002	22,72,711
5.	आंध्र प्रदेश	9,78,145	29,58,310	30,67,334
6.	बिहार *	-	-	6,46,000
7.	गुजरात*	-	-	70,000
8.	उड़ीसा *	-	-	19,50,000
9.	महाराष्ट्र*	-	-	17,50,000

* 1993-94 की अंतिम तिमाही में नयी परियोजना स्वीकृत की गई है।

** धनराशि क्रियान्वित करने वाली एजेंसी को जारी की जाती है। न कि राज्य सरकारों को।

औद्योगिक उद्यमियों को ऋण

952. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु में तुलनात्मक दृष्टि से छोटे, मझौले और बेरोजगार युवकों सहित औद्योगिक उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त जमा राशि तथा उन्हें वितरित किए गए ऋणों का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मुक्त पत्तन की स्थापना

953. श्री महेश कनोडिया :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में मुक्त पत्तनों की स्थापना पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी :

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसे पत्तनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समिति ने महसूस किया कि भारत में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वाछनीयता और व्यावहार्यता सिद्ध कर दी गई है और उसने प्रारम्भ में गोवा में मुक्त पत्तन स्थापित करने की सिफारिश की है।

(घ) से (च) समिति द्वारा की गई सिफारिशों में वित्तीय आशय शामिल होने के साथ-साथ औद्योगिक, वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के भी सवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, तथा पर्यावरण/परिस्थितिकी संरक्षण तथा भीतरी क्षेत्र से मुक्त पत्तन क्षेत्र को हटाने जैसे कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गये हैं। चूँकि इन मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी जरूरी है, अतः इस प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

चन्दन और इसके तेल का निर्यात

954. श्री सुरजभानु सोलंकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चन्दन और चन्दन के तेल का कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी चालू निर्यात-आयात नीति (संशोधित) के अनुसार चंदन की लकड़ी के निर्यात पर पूर्ण रोक लगी हुई है।

पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चंदन के तेल का मूल्य तथा मात्रा निम्नानुसार है :—

(मूल्य: करोड़ रु०)

(मात्रा : हजार कि० ग्रा०)

1992-93		1993-94 (अनुमानित)	
मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
12.09	42	14.20	26

(ख) अन्य निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन चंदन की लकड़ी के तेल के निर्यात पर भी दिए जाते हैं। निर्यातक हमेशा नए बाजारों की ताक में रहते हैं।

[अनुवाद]

बजट 1994-95 के बारे में विश्व बैंक की टिप्पणी

955. प्रो० उम्मारोद्दि वेंकटेश्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1994 के "पायनीयर" में "बजट में नॉट स्वर ग्रोथ सेज वर्ल्ड बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बजट से गैर-सरकारी निवेश को बढ़ावा मिला है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गैर-सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) समाचार मद में सदर्थित टिप्पणी मई, 1994 में विश्व बैंक रिपोर्ट में जारी हाल ही में भारत की आर्थिक विकास और सम्भावना शीर्षक के आधार पर, दी गई है वर्ष 1994-95 के बजट में निजी नियोजकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ नीति संबंधी मानदण्ड अन्तर्विष्ट किये गए थे। इन में शामिल है, पूर्जीगत सामान पर दोहरे सीमा शुल्क को और घटाने के साथ-साथ सीमा-शुल्क की उच्च-दर में 85 प्रतिशत से 65 प्रतिशत की कमी करना ; पूंजीगत सामान के लिए मोडवेट को बढ़ाना; मोआदी ऋण पर निम्नतम उधार दर में एक प्रतिशत बिन्दु की कमी करके 14 प्रतिशत करना और कम्पनी आय पर को कर कम करना एवं एकीकरण करना। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों जैसे विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, रेल और परिवहन में सभी पर योजना परिव्यय बढ़ा दिया गया है। अन्य संगठनात्मक सुधारों के साथ किये जाने वाले इन उपायों से निजी निवेशों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

इंडियन एयरलाइंस बो हुआ घाटा

956. श्री श्रीकान्त जेज्ज :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस का कुल घाटा कितना है;

(ख) इंडियन एयरलाइंस को 1993-94 के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ग) अलाभप्रद मार्गों, ए-320 विमानों को प्रयोग में लाना बन्द कर देने तथा निजी विमान कम्पनियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस के यातायात में कटौती कर दिये जाने के कारण कुल कितने-कितने प्रतिशत घाटा हुआ; और

(घ) सरकार ने इस घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस को कुल अनुमानित घाटा 422.00 करोड़ रुपए है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को 1993-94 के दौरान अनुमानतः 297.80 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ग) चूंकि 1953-54 से आगे के वर्षों में निवल संचित हानियों को ध्यान में रखकर ही 422.00 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई है, इसलिए इन तीन शीर्षों में अलग-अलग कुल हानि के संदर्भ में प्रतिशत की गणना करना संभव नहीं है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस की हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित बड़े कदम उठाये गए हैं :—

(1) उत्पाद सुधार

- भूमि पर व विमान में, दोनों सेवाओं में सुधार।
- ए-300 की इकोनॉमी श्रेणी में "सीट पिच" बढ़ाकर यात्रियों के आराम में वृद्धि करना।
- ए-320 विमान में बिजनेस क्लास शामिल करना।

(2) मूल्य निर्धारण और वितरण नीति

- उपभोक्ताओं और एजेंटों के लिए शामिल प्रोत्साहन/छूट।
- और अधिक कारोबार के लिए विक्रय बल बनाना।

(3) संगठनात्मक सुधार

- संगठनात्मक ढांचे और प्रणाली में परिवर्तन जिससे वातावरण में तीव्र और सशक्तिशील अनुक्रिया प्राप्त की जा सके।
- परस्पर समझ-बूझ का वातावरण बनाने के लिए कर्मचारी यूनियनों/संघों के साथ निकट विचार-विमर्श।

(4) पारिश्रमिक की उत्पादकता सम्बन्ध; स्कीमें लागू करने के परिणामस्वरूप विमान बेड़ा उपयोगिता में वृद्धि।

(5) उपलब्ध क्षमता के पूर्ण उपयोग किये जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि करना।

(6) खाड़ी देशों में संयुक्त प्रचालनों, हब एण्ड स्पोक प्रचालनों, अपनी योजना में तेजी लाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एयर इंडिया के साथ तालमेल करना।

[हिन्दी]

बौद्ध तीर्थ स्थलों को वायु सेवा से जोड़ना

957. श्री रामपाल सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देश में पटना, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद और बड़ौदा स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए उड़ानें प्रचालित की जाती हैं। फिलहाल इंडियन एयरलाइंस की किसी नए केन्द्र को हवाई सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

958. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण शाखाओं के विलय के संबंध में कोई प्रस्ताव मिले हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार सवितरण निम्नलिखित है:—

	संख्या
ग्रामीण	20695
अर्ध शहरी	9379
शहरी	7284
महानगरीय	5603
कुल :	42961

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का विलय करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

व्यापार घाटा

959. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान व्यापार-घाटा कितने-कितने रूपए, डालर और एस०डी०आर० मूल्य का था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयात-प्रतिशत के रूप में यह व्यापार घाटा कितने डालर मूल्य का था;

(ग) इस अवधि के दौरान व्यापार-प्रतिशत के रूप में यह व्यापार घाटा कितने डालर मूल्य का था;

(घ) इस अवधि के दौरान भुगतान संतुलन प्रतिशत के रूप में यह व्यापार घाटा कितने डालर मूल्य का था;

(ङ) 1992-93 की तुलना में किन-किन मुख्य मर्दों के निर्यात में वृद्धि हुई;

* (च) 1992-93 की तुलना में मुख्यतः किन-किन स्थानों को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई; और

* (छ) 1992-93 की तुलना में कौन-कौन से प्रमुख व्यापार भागीदारों से भारत को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान रुपया डालर तथा एस०डी०आर० में भारत का व्यापार घाटा नीचे दिया गया है :

	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर	मिलियन एस डी आर
व्यापार घाटा	3259	1039	743

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आयात की प्रतिशतता के रूप में डालर में व्यापार घाटा 4.5 था ।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान कुल व्यापार की प्रतिशतता के रूप में डालर में व्यापार घाटा 2.3 था ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न चालू लेखा घाटे के साथ व्यापार घाटे के अनुपात से संबंधित है । भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान लेखा घाटे का अनन्तिम अनुमान लगाया है जो वर्ष 1993-94 के दौरान 230 मिलियन अमरीकी डालर रहा । इस प्रकार, डालर के रूप में व्यापार घाटा, वर्ष 1993-94 के लिए अनुमानित चालू लेखा घाटा का साढ़े चार गुना बैठता है ।

(ङ) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान जिन प्रमुख मर्दों के निर्यात में वृद्धि हुई है वे हैं: इलैक्ट्रॉनिक सामान, समुद्री उत्पाद, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, रत्न तथा आभूषण, कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद, अयस्क तथा खनिज, इंजीनियरी सामान, हस्तशिल्प के सामान तथा गलीचों सहित वस्त्र और चमड़ा तथा चमड़े से बने सामान ।

* भाग (च) और (छ) के उत्तर उपलब्ध नहीं है । संबंधित मंत्रालय से सम्पर्क किया गया । उन्होंने पुष्टि की कि मंत्री द्वारा शुद्धि करने वाला वक्तव्य यथा समय सभा में दिया जाएगा ।

वित्त मंत्री की अमरीका तथा ब्रिटेन यात्रा

960. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मई, 1994 के दौरान अमरीका और ब्रिटेन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो यात्रा का प्रयोजन और ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में पूंजी निवेश के संबंध में सरकार तथा इन देशों के व्यापारिक समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूर करने हेतु। भारत में निवेश करने के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम में सरकारों तथा व्यावसायिक समुदायों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। वित्त मंत्री द्वारा इन दौरों पर किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

कालीकट विमानपत्तन

961. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मानसून मौसम की शुरूआत के साथ कालीकट विमानपत्तन पर कतिपय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों को नहीं उतारा जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विमानपत्तन पर यांत्रिक अवतरण प्रणाली उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रणाली कब तक अधिष्ठापित कर दी जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। कुल 23 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट हवाई अड्डे के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली प्राप्त की है। उपस्कर का संस्थापन किया जा रहा है जो कि अक्टूबर, 1994 तक पूरा हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

962. श्री राम टहल चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अंतर्गत बिहार के लिए कोई निधि नियत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत इस राज्य को धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार के गढ़वा जिले में कालीन बुनाई में कार्यरत बालकों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत की गयी है।

पर्यटकों के लिए प्रकोष्ठ

963. **श्री सुधीर सावंत :** क्या नागर विमानन और पत्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे पर्यटकों की सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है जो ट्रेवल एजेंटों, यात्रा संचालकों, होटल वालों और व्यापारियों के अभद्र व्यवहार का शिकार बनते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रकोष्ठ के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान पर्यटकों की कितनी शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) इन शिकायतों के निपटान में क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग को मिली शिकायतें अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए राज्य और केन्द्रीय स्तर पर होटल और पर्यटन सेवा मुहैया कराने वाली एजेंसियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ उठायी जाती है ताकि उन पर उपचारी कार्रवाई की जा सके। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के जरिए सौहार्द समझौता कराकर पर्यटकों को संतुष्टि प्रदान कराने के लिए कार्रवाई की जाती है। शिकायतें मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय दोनों प्राप्त करते हैं और शिकायत के स्वरूप के आधार पर इनका निपटान किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यटन सन्तुष्ट हों, प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

चीन के साथ व्यापार समझौता

964. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री पी० सी० चावको :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और चीन के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार से भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इससे विश्व व्यापार से भारतीय माल उपलब्ध होगा; और

(य) यदि हां, तो इस संबंध में चीन भारत की सहायात करने को कहां तक सहमत है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक सहयोग, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में नई दिल्ली में 13 से 15-6-1994 तक हुई भारत-चीन संयुक्त गुप की बैठक के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों को सहयोग के लिए अभिज्ञात किया गया:

- (I) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त बाजार सर्वेक्षण करना तथा व्यापार संवर्धन अन्य उपाय करना।
- (II) संयुक्त उद्यमों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना तथा तीसरे देशों में परियोजनाओं का संयुक्त रूप से ठेका लेना।
- (III) लोहा और इस्पात, रेलवे दूरसंचार, उड्डयन, जल संरक्षण, कोयला तथा लोह, अयस्क खनन, धातु कर्म, मोटर उपकरण, कंप्यूटर साफ्टवेयर, भेषज, मत्स्य-पालन, तथा कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना का पता लगाना।
- (IV) दोनों में से किसी भी देश में विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सविदाओं से भागीदारी।
- (V) दोनों में से किसी भी देश के हितकर निर्यात तथा आयात की मर्दों की अभिज्ञात किया गया तथा उन्हें वर्ष 1994-95 के व्यापार संलेख में शामिल किया गया।

(ग) और (ख) द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं पारस्परिक सहयोग के वातावरण में हुईं। सहयोग को बढ़ाने के लिए अभिज्ञात किए गए प्रयासों से द्विपक्षीय व्यापार तथा भारत से चीन को निर्यात बढ़ने की संभावना है।

विश्व मंच पर भारतीय वस्तुओं की उपलब्धता वार्ताओं में चर्चा का विषय नहीं था।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय बैंक

965. डा० परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं;
- (ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षमता वृद्धि में मन्द गति के क्या कारण हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो सरकार हमारे बैंकों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्षमता का सृजन करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता की तुलना नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि विदेशी बैंकों की शाखायें महानगरों और पत्तन नगरों में स्थित हैं जब कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे देश में फैली हुई हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता को महसूस किया गया है और उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इन उपायों में पुनर्पूँजीकरण करने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच कार्यनिष्पादन करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

[अनुवाद]

औद्योगिक संबंध

966. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिससे कि हड़ताल और तालाबंदी के कारण होने वाली श्रम दिनों की क्षति को न्यूनतम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालया के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगम) : (क) और (ख) जी, हां सरकार देश में व्याप्त औद्योगिक संबंध की स्थिति पर गहाराई से एवं सतत निगरानी रखे हुए हैं। औद्योगिक संबंध तंत्र, जो केन्द्र तथा राज्यों दोनों स्तर पर स्थापित हैं, मध्यस्थता, सराधन विवाचन और न्यायनिर्णयन के माध्यम से विवादों को समाप्त करने तथा काम बंदी को कम करने के लिए समुचित कदम उठाते हैं। हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या में 1987 की तुलना में, जो कि 35.36 मिलियन थी, 1993 में कम होकर 20.30 मिलियन हो गई है। नियमित रूप से परामर्शों तथा नियोजकों एवं श्रमिकों के संगठनों के साथ त्रिपक्षीय विचार विमर्शों से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों की अभिवृद्धि में मदद मिली है।

[हिन्दी]

वायुदूत सेवाएं

967. श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुदूत सेवाओं को पुनः आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो वायुदूत द्वारा जोड़े जाने वाले प्रस्तावित कस्बों/स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वायुदूत सेवाएं ठप्प करने और इसे पुनः आरंभ करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या छोटे शहरों में विमान सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार का विचार वायुदूत के बेड़े में नये विमान शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय वायुदूत पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालन कर रहा है।

(ख) निम्नलिखित 3 स्टेशन वायुदूत की सेवा से जुड़े हुए हैं:—

- | | | | |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| 1. कलकत्ता | 2. कूच बिहार | 3. बागडोगरा | 4. अगरतला |
| 5. शिलांग | 6. एज्वाल | 7. गुवाहाटी | 8. सिल्चर |
| 9. दीमापुर | 10. लीलाबाड़ी | 11. डिब्रूगढ़ | 12. तेजू |
| 13. ज़ेरो | | | |

(ग) वित्तीय कठिनाईयों और विमान क्षमता की कमी के कारण कई स्टेशनों से धीरे-धीरे सेवाएं हटा ली गई हैं।

(घ) से (च) नए विमान को शामिल करना वायुदूत के बेहतर वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ा गया है।

[अनुवाद]

रोजगार की वृद्धि दर

968. श्री शोभनाद्रीश्वर राव चाहे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में 1989 के बाद से रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) योजना आयोग का मूल्यांकन दर्शाता है कि वर्ष 1983-88 के दौरान कृषि में 0.94 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 1988-94 के दौरान रोजगार वृद्धि लगभग 1.77 प्रतिशत प्रतिवर्ष होने की संभावना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है और योजना नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि की तीव्रतर और भौगोलिक रूप से विविधिकृत वृद्धि पर बल दिया गया है ताकि अब तब पिछड़े क्षेत्रों के लिए कृषिय वृद्धि में बृहत्तर अंश हो और विविधिकृत कृषि के ऊंचे मूल्य विशेषतया कृषिय दृष्टि से अधिक विकसित क्षेत्रों में सब्जियों और फलों जैसी अधिक श्रम सघन फसलों पर बल दिया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

969. श्रीमती सरोज दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित स्व-रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण/सहायता प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान ये लक्ष्य प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने उपरोक्त कार्यक्रमों के लिये सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण/सहायता राशि सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शहरी व्यष्टि उद्यम योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि जैसी स्वरोजगार योजनाएं लागू कर रहे हैं। वर्ष 1983 में आरंभ की गयी शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना को 01 अप्रैल, 1994 से

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया है। इन योजनाओं के तहत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वास्ते अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। अलबत्ता, केन्द्र सरकार, वार्षिक लक्ष्य, राज्यवार ढंग से निर्धारित करती है और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी, बैंकों को ये लक्ष्य जिला-वार रूप से देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को इन योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन करने के लिए हिदायतें जारी करता है।

निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य और सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत बैंकों द्वारा इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के तहत हासिल की गयी उपलब्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर ०डी०पी०)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
	उन परिवारों की संख्या जिन्हें सहायता दी जानी है	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या
1991-92	2251519	2536566
1992-93	1875135	2068773
1993-94 (फरवरी 1994 तक)	2573279	1945324 (अनन्तिम)

शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1991-92	129300	77698
1992-93	100000	69321
1993-94	126300	42320 (अनन्तिम)

शहरी ब्यष्टि उद्यम योजना (एस यू एम ई)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1991-92	भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं	151033
1992-93	100760	160767
1993-94	123000	123000 (अनन्तिम)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वर्ष	निर्धारित रोजगार योजना	उपलब्धि
1993-94	42040	31558 (अनन्तिम)

(ग) ये लक्ष्य अधिकांश तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शहरी व्यष्टि उद्यम योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये थे। प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से ही आरंभ की गयी है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध कम समय को मद्दे नजर रखते हुए, ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

(घ) योजनाओं के कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर निगरानी/संवीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय, अमल में लाये जाते हैं।

एयर इंडिया के मार्ग

970. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या नगर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के मार्ग आर्थिक रूप से लाभप्रद हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कौन-कौन से मार्ग आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं; और

(ग) इन मार्गों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए पर्य हैं/उठाने का विचार हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाग नबी आजाद) : (क) से (ग) उन सभी मार्गों पर जहां एयर इंडिया द्वारा यात्री सेवाएं प्रचालित की जाती हैं, 1992-93 और 1993-94 के दौरान रोकड़ अधिशेष रिकार्ड किया गया। एयर इंडिया अपने प्रचालित सभी मार्गों पर अपने राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से व्यवसाय उन्नयन तथा समय पर कार्य निष्पादन और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करना

971. श्री धर्मण्णा मॉड्य्यासादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से रुग्ण औद्योगिकों एककों को पुनः चालू करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों को ऐसी कम्पनियों के उपचारी और अन्य उपायों के निर्धारण के लिए, जिसकी इन्हें आवश्यकता होती है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के पास भेजना होता है।

30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के रुग्ण कंपनियों के 65 सामले बी०आई०एफ०आर के पास दर्ज थे।

मामलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

दर्ज संदर्भ

65

चलाये जाने योग्य न होने के कारण खारिज

20

जांच के अधीन	27
बी आई०एफ०आर० द्वारा पुनर्वास योजना/अनुमोदित/मंजूर	4
संबंधित उच्च न्यायालय को समापन के लिए संस्तुत	4
समापन नोटिस जारी	8
योजना का मसौदा परिचालित	2

चूँकि बी०आई०एफ०आर०, एस०आई०सी०ए० के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है और सभी संबंधितों को जांच के विभिन्न चरणों में उचित मौका देना होता है, अतः चालू वर्ष में निपटान किए जाने वाले मामलों की संख्या का पूर्व निर्धारण करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कारों की तस्करी

972. डा० लाल बहादुर रावल :

श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारों की तस्करी की कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान अब तक कितनी कारों की तस्करी की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारों की तस्करी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बन्द करना

*937. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के लिए बजट में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता सहित, योजना और योजना-भिन्न दोनों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की व्यवस्था शामिल है।

सूरत विमानपत्तन का अधिग्रहण

974. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में गुजरात सरकार से सूरत विमानपत्तन का राज्य सरकार से अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूरत हवाई अड्डा गुजरात सरकार का है। राज्य सरकार ने एक से अधिक बार इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लें वित्तीय कठिनाईयों के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समय सूरत हवाई अड्डे का जिम्मा लेने की स्थिति में नहीं है।

एयर इंडिया की खान-पान सेवा

975. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का खान-पान सेवाओं के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) खान-पान सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा एयर इंडिया की उड़ानों में निम्नलिखित परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं:—

- (i) प्रथम श्रेणी में स्वागत पेय के रूप में ताजा फलों का रस देना (उड़ान में बम्बई से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए)
- (ii) प्रथम श्रेणी एवं ऐकजीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए उपहार बॉक्स में चॉकलेट देना।
- (iii) प्रथम श्रेणी में भोजन के पश्चात् भारतीय मिठाई देना।
- (iv) भारत-जापान क्षेत्र में जापानी यात्रियों को "सेक" देना।

विमान में खान-पान सेवाओं में और सुधार करने के लिए विख्यात रसोइयों के साथ सलाह करके व्यंजन-सूची बनाई जा रही हैं।

न्यूनतम मजदूरी

976. श्री रवि राय :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 39 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संशोधित मजदूरी को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मजदूरी में संशोधन करने का कोई मानदण्ड विकसित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 12-7-1994 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खनन, भवननिर्माण एवं रेलवे के क्षेत्रों में 39 अधिसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों की मूल मजदूरी की न्यूनतम दरों एवं विशेष भत्तों की दरों में संशोधन कर दिया है। इन क्षेत्रों की प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरों एवं विशेष भत्तों को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और नियमित निरीक्षण करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षकों/प्राधिकारियों की नियुक्ति की है।

(ङ) और (च) सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए अनेक कारकों पर विचार किया है। इनमें 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मलेन द्वारा यथा अनुशंसित न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के मानदंडों, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिश एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के तहत गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें शामिल हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में 39 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

खनन

(जिप्सम खाने, बाराईट्स खाने, बाक्साईट खाने, मैगनीज खाने, मैगनीज खाने, चीनी मिट्टी खाने, क्रोमाइट खाने, क्वार्टजाईट खाने, सिलिका खाने, काइनाइट खाने, तांबे की खाने, चिकनी मिट्टी खाने, पत्थर की खाने, सफेद चिकनी मिट्टी की खाने, गेरू की खाने, राख की खाने, स्टेटाइट (सेल खड़ी तथा पाउडर सहित) खाने, एस्बेस्टस खाने, मैग्नेसाईट खाने, ग्रेफाइट खाने, फेल्सपार खाने, रेडऑक्साइड खाने, लैटराइट खाने, डोलोमाइट खाने, लौह अयस्क खाने, ग्रेनाइट खाने, बालफ्रेम खाने, मैग्नेटाइट खाने, रॉकफास्फेट खाने, हेमेटाइट खाने, मार्बल तथा कालसाइट खाने, यूरेरिनयम खाने, तथा अभ्रक खाने)

मूल मजदूरी

कर्मकार की श्रेणी	संशोधित मूल मजदूरी (रु० प्रति दिन)	
	भूमि के ऊपर	भूमिगत
कुशल	28.00 रु०	34.00 रु०
अर्ध कुशल	34.00 रु०	41.00 रु०
कूशल/लिपिकीय	41.00 रु०	50.00 रु०
अत्यधिक कुशल	60.00 रु०	60.00 रु०

विशेष भत्ता

कर्मकारों की श्रेणी	अंमा०उ०मू०सूचकांक में 1281 से आगे चार अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दर	
	भूमि के ऊपर	भूमिगत
अकुशल	9 पैसे	11 पैसे
अर्ध कुशल	11 पैसे	13 पैसे
कुशल/लिपिकीय	13 पैसे	16 पैसे

निर्माण

(सड़कों का निर्माण अथवा रखरखाव और इमारती प्रचालनों में, इमारतों का रख रखाव, धावन पथों का निर्माण और रख रखाव तथा पत्थर तोड़ना अथवा पत्थर कूटना)

मूल मजदूरी

कर्मकारों की श्रेणी	क्षेत्र (रुपये प्रतिदिन)		
	क	ख	ग
अकुशल	36.00 रु०	34.00 रु०	28.00 रु०
अर्ध कुशल	43.00 रु०	41.00 रु०	34.00 रु०
कुशल/लिपिकीय	57.00 रु०	51.00 रु०	43.00 रु०
अत्यधिक कुशल	65.00 रु०	63.00 रु०	51.00 रु०

विशेष भत्ता

कर्मकारों की श्रेणी	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से आगे चार अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दरें		
	क्षेत्र		
	क	ख	ग
अकुशल	11 पैसे	11 पैसे	9 पैसे
अर्ध कुशल	13 पैसे	13 पैसे	11 पैसे
कुशल	16 पैसे	16 पैसे	14 पैसे
अत्यधिक कुशल	20 पैसे	20 पैसे	16 पैसे

रेलवे

(रेलवे भंडारगृहों में सामान लादना/उतारना तथा राख के गड्डों की सफाई इन नियोजनों में कार्य अकुशल प्रकृति का ही है)

मूल मजदूरी

क्षेत्र	संशोधित मूल मजदूरी (रु० प्रति दिन)
क	42.00 रु०
ख	33.00 रु०
ग	29.00 रु०

विशेष भत्ता

क्षेत्र	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से आगे दस अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दर
क	33 पैसे
ख	26 पैसे
ग	23 पैसे

विशेष भत्ते को हर छपाही में औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर संशोधित किया जाता है।

कर्मचारियों के स्थानान्तरण

977. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर एक वर्ष के लिए रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

“नाबार्ड” द्वारा महाराष्ट्र पुनर्वित्त पोषण

978. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार :

श्री दत्ता मेघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाबार्ड" द्वारा योजनाबद्ध भुगतान के अंतर्गत महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्वित्तपोषण हेतु प्रयोजनावार कितनी धनराशि दी गयी, और

(ख) "नाबार्ड" द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू की गयी और शुरू की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए योजनाबद्ध ऋण के लिए नीचे दिये गये अनुसार पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई है:—

(लाख रुपए)

1991-92 24681

1992-93 27207

1993-94 32645

उद्देश्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष (1994-95) के दौरान, नाबार्ड ने अपनी योजना में महाराष्ट्र राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संबंध में 29481 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई है। उद्देश्य वार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-एक

योजनावद्ध ऋण के तहत वर्ष 1991-92 और 1992-93 और 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र को नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रयोजनवार पुनर्वित्त की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं० प्रयोजन	(लाख रुपए)		
	सवितरण		
	1991-92	1992-93	1993-94
1. लघु सिंचाई	6801	7131	9957
2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	3209	3804	2619
3. भूमि विकास	307	6	91
4. फार्म यंत्रिकरण	2739	3745	5247
5. वृक्षारोपण और बागवानी	1352	1870	2469
6. डेयरी विकास	642	1036	1647
7. मत्स्यपालन	70	94	109
8. भण्डारण/मार्केट यार्ड	275	473	290

1	2	3	4	5	
9.	वानिकी	590	550	180	
10.	बायोगैस	180	89	47	
11.	मुर्गी पालन	2153	1007	837	
12.	भेड़/बकरी/सूअर पालन	61	102	408	
13.	आई०आर०डी०पी०	4112	4908	5631	
14.	गैर कृषि क्षेत्र	1796	1652	2350	
15.	अन्य	294	740	746	
कुल		:	24581	27207	32645

विवरण-दो

वर्ष 1994-95 के दौरान नाबार्ड-द्वारा दिये जाने वाले पुनर्वित्त के प्रयोजनवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

प्रयोजन	(लाख रु०)	
	आबंटन	
1. लघु सिंचाई	8531	
2. आर०ई०सी०-एस०पी०ए०	4695	
3. भूमि विकास	200	
4. फार्म यंत्रिकरण	4700	
5. शुष्क कृषि	10	
6. वृक्षारोपण और बागवानी	1523	
7. डेपरी विकास	883	
8. मत्स्ययन	203	
9. भण्डारण/मार्केट यार्ड	600	
10. वानिकी	500	
11. बायोगैस	50	

1	2	3
12.	मुर्गीपालन	1649
13.	भेड़/बकरी सूअर पालन	160
14.	अन्य	603
15.	कृषि संसाधन	600
16.	गैर कृषि क्षेत्र	2140
17.	एन०एस०पी० III	250
18.	आई०आर०डी०पी०	2184
कुल		29481

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त आयात नीति की समीक्षा

979. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने चीनी और सोने जैसे वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया है;
 (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
 (ग) क्या शुल्क मुक्त आयात नीति की समीक्षा करने का कोई विचार है; और
 (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति 1992-97 के अन्तर्गत जहां सभी को मुक्त रूप से चीनी का आयात करने की अनुमति है, वहीं तरल स्वर्ण सहित किसी भी रूप में स्वर्ण के आयात की अनुमति नहीं है सिवाय लाइसेंस के बदले अथवा इसके लिए जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार किए गए आयात को छोड़कर। तदनुसार, मुक्त रूप से अन्तरणीय विशेष आयात लाइसेंसों पर स्वर्ण का आयात करने की अनुमति है। ये लाइसेंस निर्यात घरानों/व्यापारिक घरानों/चोटी के व्यापारिक घरानों/सर्वोच्च व्यापारिक घरानों आदि को प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : जी नहीं। निर्यात तथा आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सार्वजनिक हित में जब भी आवश्यक होता है समय-समय पर इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

980. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नवी आजाद) : (क) से (ग) सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। कलकत्ता हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को आधुनिकीकरण के दूसरे चरण में रखा गया है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि कलकत्ता में आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था की जाये। कलकत्ता के लिए हाल ही में आधुनिकतम उपकरण अवतरण प्रणाली उपलब्ध करवायी गयी है।

लिये जा रहे अन्य उपस्कर और विकास की योजना नीचे दी गई है :—

आधुनिकतम आरंभिक और गौण राडार।

— हवाई यातायात नियंत्रण स्वचालन।

- अतिरिक्त दिक्चालन सुविधाएं।

निर्यात उपकर

981. श्री वी० एस० विजयराघवनः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काफी पर निर्यात उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काफी के निर्यात पर प्रस्तावित उपकर का संभावित प्रभाव क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने काफी पर निर्यात उपकर लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के नियन्त्रणा धीन लाना

982. श्री आनन्द रत्न शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू०टी०आई०) को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के कार्यसंचालन और नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मार्ग निदेश जारी किए

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस तरह के और निकायों को सेबी के नियंत्रण के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू०टी०आई०) को 1 जुलाई, 1994 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के नियामक न्यायाधिकार के अंतर्गत ले आया गया है। 23 जून, 1994 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लिखे एक पत्र में "सेबी" ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नियमन हेतु व्यापक ढांचे का संकेत किया था। इस ढांचे की मुख्य विशेषताएं नीचे बताई गई हैं :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट निधि प्रबन्ध तथा ट्रस्ट के कार्यों के पृथक्करण के बारे में "सेबी" को संतुष्ट करेगा।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा 1 जुलाई, 1994 को अथवा उसके बाद घोषित सभी नई योजनाओं को "सेबी" द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) किसी योजना के तहत जुटाई जाने वाली न्यूनतम, राशि, किसी योजना के खुले रह सकने की अधिकतम अवधि, वापसी अदायगी के तरीके और वह अवधि जिसके भीतर यूनिट प्रमाणपत्र प्रेषित किए जाते हैं, से संबंधित "सेबी" म्यूचुअल फण्ड विनियमों" के उपबन्ध भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर लागू होंगे।

(घ) "सेबी" म्यूचुअल फण्ड विनियमों" में निहित निवेश संबंधी प्रतिबन्ध 1 जुलाई, 1994 को अथवा उसके बाद आरम्भ की गई सभी नई योजनाओं पर लागू होंगे।

(ङ) "म्यूचुअल फण्ड विनियमों" के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट "सेबी" को निश्चित अवधियों पर तथ्यों को प्रकट करेगा।

(च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट "सेबी" के अनुमोदन के बिना कोई कार्य नहीं करेगा।

(ग) और (घ) सरकार ने "सेबी" के अध्यक्ष को 16 मार्च, 1994 को लिखे पत्र में अपना निर्णय सूचित किया था कि वह भारतीय यूनिट ट्रस्ट को "सेबी" के नियामक न्यायाधिकार में लाना चाहेगी। अन्य म्यूचुअल फण्डों की तुलना में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेषताओं को देखते हुए, "सेबी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विशेष रियायतें देने तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के साथ मिलकर इन्हें तैयार करने के लिए कहा गया।

(ङ) और (च) अन्य सभी म्यूचुअल फण्ड पहले से ही "सेबी" म्यूचुअल के फण्ड विनियमों" के उपबन्धों के अनुसार "सेबी" के नियामक न्यायाधिकार के अन्तर्गत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बाल श्रम संबंधी रिपोर्ट

983. श्री मोहन रावले : क्या श्रम मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 4 जुलाई, 1994 को जेनेवा में वार्षिक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बाल श्रम रोकने में भारत में राजनीतिक इच्छा की कमी की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व श्रम रिपोर्ट 1994 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय

बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को ऐसे देशों में चलाया गया है जिन्होंने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वास्तविक राजनैतिक अभिरूचि प्रदर्शित की है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले देशों में से भारत एक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठाता।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात

984. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान कितने वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात किया गया और इस निर्यात से देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इस प्रकार के वाहनों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वाणिज्यिक मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी माहनिदेशालय के अनुसार, 1993 के दौरान 160.19 करोड़ रु० मूल्य के वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात किया गया। देशवार निर्यातों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि निर्यात बढ़ें। वाणिज्यिक वाहनों सहित इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति के तहत अनेक प्रोत्साहन शामिल हैं जिन्में शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, विशेष आयात लाइसेंस आदि, शुल्क वापसी (ड्यूटी-ड्रा बैंक), निर्यात से होने वाली आय पर आयकर लेवी से छुट, निर्यातों का संवर्धन करने के लिए बाजार विकास निधि से सहायता तथा निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए आस्थगित ऋण तथा अन्य ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।

वर्ष 1993 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के देशवार निर्यात (जनवरी-दिसंबर, 1993)

क्रम सं०	देश का नाम	मात्रा (सं० में)	मूल्य: करोड़ रु० म
1.	बहरीन आई०एस०	44	1.64
2.	बंगला देश	153	3.97
3.	मिन्न ए०आर०पी०	767	13.31
4.	फ्रांस	692	11.27
5.	घाना	96	3.83
6.	जमैका	100	1.72
7.	जोर्डन	232	4.67
8.	केन्या	40	1.17

1	2	3	4
9.	कुवैत	91	4.85
10.	मालदीव	32	1.43
11.	मारीशस	71	2.90
12.	मोरोक्को	103	1.90
13.	मोजाम्बिक	218	11.14
14.	नेपाल	231	6.37
15.	नाइजीरिया	35	2.06
16.	ओमान	49	2.23
17.	कतर	109	2.52
18.	रवांडा	37	1.13
19.	सिसेल्स	62	4.57
20.	श्री लंका	410	18.20
21.	तांजानिया गणराज्य	357	13.90
22.	उगांडा	61	2.71
23.	संयुक्त राज्य अमीरात	357	19.81
24.	ज़ैरे गणराज्य	74	2.26
25.	जाबिया	156	7.43
26.	अन्य	435	13.20
योग :		5012	160.19

चांदी का आयात

985. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चांदी की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा फरवरी, 1993 में शुरू की गई चांदी आयात योजना के बाद कितनी चांदी का आयात किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इतनी अधिक मात्रा में चांदी का आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और किन-किन देशों को चांदी का निर्यात किया गया तथा इसके निर्यात मूल्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान चांदी की वार्षिक अनुमानित खपत इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टनों में)
1991	1484
1992	1850
1993	2517

अनिवासी भारतीय योजना और विशेष आयात लाइसेंसों के अंतर्गत आयातित चांदी की अनुमानित मात्रा फरवरी 1993 से जून, 1994 तक 3939 मीट्रिक टन है।

(ग) उदारीकृत नीति के अंग के रूप में और तस्करी की रोकथाम के लिए चांदी के वैध आयात की अनुमति दी गई थी। निर्यातक देशों के नामों और निर्यात मूल्यों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

986. श्री जनार्दन मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए नए वेतन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। इन बोर्डों को गठित करने के लिए, श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कारोबार

987. श्री गिरधारी लाला भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने गत दो वर्षों के दौरान अपने कारोबार में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आई०टी०डी०सी० के किन होटलों ने अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोग किया है; और

(घ) सरकार राजस्थान में आई०टी०डी०सी० के होटलों के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निष्पादन उत्साहवर्धक रहा है जो निम्नानुसार दर्शाया गया है :—

	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)	पूर्व वर्ष के मुकाबले % वृद्धि
अधिभाग %	53	54	
	(रु० करोड़ों में)		
कुल कारोबार	96.44	111.95	16.1%
प्रचालन लाभ	12.02	18.41	53.2%
प्रचालन लाभ/हानि	(-) 2.31	55.19	325.0%

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल ने वर्ष 1993-94 के दौरान 90% क्षमता का उपयोग नहीं किया है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम राजस्थान राज्य में जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में पहले से ही होटल चला रहा है। वार्षिक योजना 1994-95 में, राजस्थान में भारत पर्यटन विकास निगम का नया होटल खोलने की किसी विशिष्ट योजना की परिकल्पना नहीं की गई है।

[अनुवाद]

तंबाकू का न्यूनतम निर्यात मूल्य

988. श्री एस०एम० लालजान वाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तंबाकू का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करने की योजना को पुनः आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एफ०सी०वी० तंबाकू के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित करने की योजना को तंबाकू-व्यापार के दीर्घकालीन हित में व्यापार उदारीकरण के एक उपाय के रूप में खत्म कर दिया गया है। तंबाकू के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित करने की योजना को खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अत्यधिक आपूर्ति के मौजूदा माहौल में, पुनः शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

पटसन मिलें

989. श्री प्रवीण डेका : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी पटसन मिलें काम कर रही हैं और उनमें मिलवार कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या कम मूल्य के सिंथेटिक उत्पादों के आने से पैदा हुई प्रतिस्पर्धा के कारण पटसन का बाजार कम होने के परिणामस्वरूप इन मिलों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इन कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दो पटसन मिलें हैं नामतः असम कोपरेटिव तथा त्रिपुरा जूट मिल्स। इसमें क्रमशः औसतन 860 तथा 1300 कारागारों को रोजगार मिलता है। त्रिपुरा जूट मिल 1 अप्रैल, 1992 से बंद पड़ी हुई है जबकि असम कोपरेटिव जूट मिल निरंतर कार्य कर रही है।

(ख) देश की सभी पटसन मिलें एवजी सस्ते सिन्थेटिक से कड़ी प्रतिस्पर्धा की भारी समस्या का सामना कर रही है। ये मिलें भी इसी स्थिति का सामना कर रही हैं।

(ग) सस्ते एवजी सिन्थेटिक से कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा लागत-कीमत में असंतुलन के कारण पटसन उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, अर्थातः—

- (1) वर्षों पुरानी मशीनों और परंपरागत उत्पाद मिश्रण के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना। पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना तथा विशेष पटसन विकास निधि योजना की क्रमशः 150 तथा 100 करोड़ रुपए की धनराशि से स्थापना की गई है।
- (2) पटसन की मूल्यवर्धित विविधीकृत मदों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यू०एन०डी०पी० की 23 मिलियन डालर की सहायता से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- (3) सोइल सेवर, कंपोजिट लेपिनेशन बोर्ड, पटसन/ब्लेंडेड फाइन् यार्न आदि के क्षेत्रों में जिनसे निर्यात बाजार में अपेक्षाकृत उच्चतर कीमत प्राप्त हो सकती है, बाजार की संभावनाओं का पता लगाना।
- (4) डी०जी०एस०एंड०डी० द्वारा लागत जमा कीमत आधार पर पटसन मिलों से बी० ट्विगल पटसन बोरो की अधिप्राप्ति।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्यनिष्पादन

990. श्री सन्दीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उपलब्धियां रहीं और किन-किन कमजोरियों का पता चला;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मंजूरियों, सवितरणों, बकाया पोर्टफोलियों और लाभों में चौतरफा वृद्धि

हुई है। वर्ष के दौरान समग्र रूप से की गई 13196 करोड़ रुपए की मंजूरीयों ने 37% की वृद्धि दर्ज की है जबकि 8071 करोड़ रुपए का सवितरण करने से यह 21% की वृद्धि का घोटक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कारबार के प्रमुख क्षेत्र अर्थात् प्रत्यक्ष वित्त की मंजूरीयों में 51% की वृद्धि हुई है जबकि सवितरणों में 30% की वृद्धि हुई 1 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष में कर के पश्चात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का लाभ 610.8 करोड़ रुपए था जो 25.4% की वृद्धि का घोटक है। मार्च 1994 के अंत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 34588.3 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां थीं। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में 11.3% की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है लेकिन, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना

991. श्री एम०वी०पी०एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं का व्यापार तेजी पर है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में गत वर्ष के दौरान कितनी यात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए;

और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अवैध दवाओं के व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चूंकि स्वापक औषध व्यापार एक गुप्त गतिविधि है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। तथापि, पिछले एक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

नशीले पदार्थ	1993 (मात्रा किलोग्राम में)
अफीम	—
हेरोइन	—
गांजा	9734
हशीश	—
मैथाक्वालोन	14
पोस्त की पुआल	414

(ग) विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना एकत्रित करने तथा उसका आदान प्रदान करने के लिए व्यवस्था को सरल और कारगर बना दिया गया है। प्रवर्तन अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नशीले पदार्थों की जांच एवं रसायन विश्लेषण की क्षमता को बेहतर करने के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को कहा गया है कि गांजे के पौधों को तलाश करने और उन्हें नष्ट करने के लिए नियमित अभियान प्रारंभ किया जाए। राज्य पुलिस के सहयोग से कुछ जिलों

में विशेष रूप से संवेदनशील जिलों में अवैध रूप से उगाई गई फसल में कैनाबीस पौधों को नष्ट करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई।

एयर इंडिया का पूंजी निवेश

992. श्री सनत कुमार मंडल: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 4 मार्च, 1994 के अताराकित प्रश्न संख्या 1521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अनियमित पूंजी निवेश के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विवरण क्या हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया के तत्कालीन चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक तथा तत्कालीन निदेशक (ए०एस०डी०) द्वारा पूंजी निवेश में बरती गई कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले को जांच के लिए सी०बी०आई० को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एयर इंडिया में तत्कालीन उप-निदेशक (वित्त और तत्कालीन उप वित्तीय नियंत्रक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो गयी है और उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया गया है। इस संबंध में और आगे की गयी छानबीन से यह पता चला है कि यद्यपि सन्देह का केन्द्र बिन्दु तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पर जाता है, परन्तु उन पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव नहीं है। एयर इंडिया द्वारा भी की गई जांच के प्रश्नगत कार्यकलापों के संबंध में एयर इंडिया के तत्कालीन निदेशक (ए०एस०डी०) द्वारा निभाई किसी भूमिका का पता नहीं चला है।

कपास एकाधिकार खरीद योजना

993. श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्टे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र की एकाधिकार कपास खरीद योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसान समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यकरण में पाई गई कमियों के आधार पर प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिये गए हैं अथवा लिए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को 3-6-1994 से आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय निर्माण परियोजना निर्यातक

994. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सत्तर के दशक के आखिरी वर्षों में इराक-ईरान युद्ध के दौरान और उससे पहले तथा बाद में

फिर 1990 में हुए खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय निर्माण परियोजना निर्यातकों की इराक में "अनिर्गत देय राशि" के रूप में कुल कितनी राशि देय है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबद्ध निर्माण कंपनियों के नाम से विशेष बांड जारी करके इन बकाया राशियों का भुगतान करने हेतु हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या इस बीच उक्त बांडों को जारी कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन बांडों को कब तक जारी कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) भारत के जिन निर्माण परियोजना निर्यातकों ने इराक में परियोजनाओं को निष्पादित किया था, उनकी कुल देयताएं भारत-इराक सरकार से सरकारी आस्थगित भुगतान प्रबंध (डी०पी०ए०) के अंतर्गत आती हैं जो कुल 488.587 मिलियन अमरीकी डालर (1534 करोड़ रु०) है। इसके अतिरिक्त, 153.31 मिलियन डालर (481 करोड़ रु०) उन परियोजनाओं के लिए बकाया पड़े हैं जो डी०पी०ए० के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ई०सी०जी०सी० इराक सरकार के साथ आस्थगित भुगतान प्रबंध के अंतर्गत दावों की राशि के लिए निर्माण कार्य नीतियां तथा काउंटर गारंटी के अधीन परियोजना निर्यातकों तथा बैंकों के दावों का अंशतः नकद रूप में तथा शेष का भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त 7 वर्षों के बांडों के जरिए निपटारा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना निर्यातकों, की असमायोजित ऋण देयताओं तथा उन परियोजना निर्यातकों के पक्ष में, जिन्होंने ऋण की तुलना में अधिक राशि प्राप्त की है, एक्विजम बैंक/वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारत सरकार के एजेंट के रूप में बांड जारी करेगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा ई०सी०जी०सी० द्वारा बांडों के जारी किए जाने के कारण ब्याज संबंधी देयताओं को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान करने पर विचार कर रही है क्योंकि ब्याज संबंधी देयताओं को नकदी में पूरा किया जाना है। ये बांड बजट में प्रावधान करने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

995. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाल :

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचने तथा दूरसंचार, विद्युत, तेल और तेल शोधक कारखानों के क्षेत्र में निजीकरण करने से संबंधित नीति की घोषणा करके सरकार ने बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों और शेयर बैंकिंग फर्मों को आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र में हुए विनिवेश के अन्तर्गत शेयरों की नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में, दूर-संचार तथा तेल क्षेत्रों में मद्रास टेलीफोन निगम लि० तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के शेयरों की भी पेशकश की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टायरों की तस्करी

996. डा० बसंत पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग ने हाल ही में बड़ी संख्या में तस्करी से लाये गये टायर जप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत में प्रयोग किये गये पुराने टायरों के रूप में नये टायरों की तस्करी की जाती रही है, जिससे सरकार को शुल्क के रूप में उसके राजस्व से बचिवा रखा गया;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(च) जब्त किये गये टायरों का निपटान कैसे किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बम्बई में प्रयोग किये गये पुराने टायरों के रूप में नये टायरों का आयात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः टायरों की छेपों की पूरी तरह से जांच की जा रही है।

(च) अभिगृहीत टायरों का निपटान पकड़े गये अन्य माल की भांति सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाता है।

निर्वात वृद्धि

997. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एस०एम० साळुज्जन कासा :

क्या वित्तीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में चालू वर्ष का निर्यात लक्ष्य लगभग 25 प्रतिशत निर्धारित करने के स्पष्ट संकेत दिये हैं जैसा कि दिनांक 19 मई, 1994 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मदों के लिए 1994-95 हेतु वास्तविक निर्यात लक्ष्य क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए प्रमुख वस्तु समूहों के अलग-अलग निर्यात-लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। यह केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक सामूहिक प्रयास है और व्यापार तथा उद्योग से परामर्श करके एक विधिवत-निर्यात नीति माहौल प्रदान करने के उपाय किए जाते हैं। राज्यों के सहयोग की अत्यधिक जरूरत है और सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निर्यात संवर्धन पार्क (ई०पी०आई०पी०) नामक एक स्कीम बनाई है।

[हिन्दी]

करैसी नोट और सिक्के

998. श्री फूलचन्द बर्मा :

श्री दत्ता मैये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को करैसी नोटों के मुद्रण और सिक्कों की ढलाई में त्रुटियों के संबंध में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है जैसाकि क्रमशः 8, 9 और 10 जुलाई, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भारतीय मुद्रा सिक्कों के त्रुटिहीन मुद्रणा ढलाई को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कुछ निश्चित नोटों और सिक्कों की त्रुटियों के बारे में सूचनाएं दिनांकित 8, 9, 10 और 11 जुलाई, 1994 के समाचार पत्र से राष्ट्रीय सहारा में दर्शायी गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने टकसालों/मुद्राणालयों के साथ उपरोक्त त्रुटियों के बारे में मामले को उठाया है।

(घ) टकसालों और मुद्राणालयों में अनुसरित की गई नियंत्रण प्रक्रियाएं पूरी तरह सर्वांगपूर्ण हैं और पद्धति कार्य पूरी तरह संतुष्टिजनक हैं। फिर भी, उपरोक्त कथित एक अवांछित मामले के समान ऐसे मामले पर उपयुक्त समय पर ध्यान दिया जाएगा। सरकारी टकसालों/मुद्राणालयों का यह सदा प्रयास रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण सिक्कों/नोटों को प्रचलन में नहीं आने दिया जाए।

[अनुवाद]

जीव-जन्तु और वनस्पति

999. श्रीमती गिरिजा ध्यास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लुप्त प्रायः जीव जन्तु और वनस्पति के अवैध व्यापार और काफी संख्या में फिंच और मुनयाओं के अवैध रूप से बाहर ले जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। वनस्पतियों तथा जीव जन्तुओं की दुर्लभ प्रजातियों के अवैध व्यापार और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के अवैध कारोबार की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 107 किलों ग्राम "शहतूश", जिसे वन्य जीवन संरक्षण अधिकारियों की सलाह पर रोका गया था, को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उनकी अनुमति के बिना छोड़ दिया गया था।

(घ) से (च) इस मामले में जांच-पड़ताल चल रही है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूर

1000. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में एक केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कानून कब तक लाया जायेगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) असंगठित श्रमिकों हेतु कोई सामासिक विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता

1001. श्री राजबीर सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी जा रही अंतरिम सहायता की राशि में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भुगतान की जा रही अंतरिम सहायता की राशि संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की सितम्बर, 1993 में हुई विशेष बैठकों में सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच हुए आपसी समझौते पर आधारित है।

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1002. प्रो० रासा सिंह रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है और उनकी पृथक-पृथक कुल जमाराशि तथा कार्यपूंजी कितनी है;

(ख) इनमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा कितने ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित हुए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों ने वर्षवार कितनी ऋणराशि वितरित की और कितनी वसूली की;

(ङ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों में हो रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(छ) इन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राजस्थान राज्य में चौदह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य रहे हैं मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई राशि और कार्यशील पूंजी क्रमशः 410 करोड़ रुपए और 522 करोड़ रुपए थी।

(ख) मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1874 और 2541 थी।

(ग) और (घ) नीचे की सारणी में सूचना दी गई है :—

क्र०सं०	ब्यौरा	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
		1991	1992	1993
1.	पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामीण ग्राहकों की संख्या	101191	69394	80075
		(लाख रुपए)		
2.	संवितरित ऋण राशि	3053.79	4211.77	4828.86
3.	वसूल की गई राशि	7785.93	2860.33	2811.34

(ड) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से देश में सामान्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में या उनकी शाखाओं में पाई गई अनियमितताओं की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

अलबत्ता राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विरुद्ध आर०आर०बी० कर्मचारी संघों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्यतः भ्रष्टाचार के आरोपों, धोखाधड़ियों के होने, वित्तीय अनियमितताओं, बैंक वाहन के दुरुपयोग कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्पीड़ित करने/उनके साथ दुर्व्यवहार करने और अदालतों में मुकदमों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इन मामलों को उनके गुण दोषों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रयोजक बैंकों के पास भेज दिया है।

(छ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों को रोकने और सामान्य रूप से उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

- (i) 12-9-1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नये ऋणों के 40% से अधिक ऋणों को गैर लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की अनुमति दी गई है। गैर लक्ष्य समूहों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे जनवरी 1994 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने 4-3-1993 को सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा की गई सभी एस०एल०आर० सावधि राशियों पर कम से कम 13.5 प्रतिशत वार्षिक का भुगतान करें। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (प्रायोजक या गैर प्रायोजक) से कहा है कि ऐसे बैंकों के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू खाता बकाया राशि पर ब्याज दरों को 1-4-1993 से 6.5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपए से अधिक परिव्यय वाले लघु और अतिलघु औद्योगिक इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता आहरित करने को अनुमति दी गई है। लघु सड़क परिवहन परिचालकों को वित्तपोषण करने के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।
- (iv) इसके साथ ही 22-12-1993 से सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उपायों का एक पैकेज शुरू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर निधिबद्ध कारबार बढ़ाने, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यता से मुक्त करने जिनका 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रुपए से कम का सवितरण था और उन्हें हानि उठाने वाली शाखाओं की मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केंद्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने और विस्तार काउंटर खोलने तथा रोफ डिपॉजिट बैंकर स्थापित करने की अनुमति देने जैसे उपाय शामिल हैं।
- (v) व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता सग्नया गया है।

[अनुवाद]

डी०जी०एफ०टी० के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

1003. श्री तारा सिंह :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आयात निर्यात एकक डीजीएफटी के अधिकारियों की हड़ताल से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों द्वारा हड़ताल करने का क्या कारण है; और

(ग) हड़ताल के कारण अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय में कोई हड़ताल नहीं हुई। तथापि, कोपेपोसा के अन्तर्गत पांडिचेरी में एक अधिकारी की गिरफ्तारी के कारण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में कलम बंद हड़ताल हुई। आयात-निर्यात एककों की सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर मुख्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया गया।

(ग) अगर किसी प्रकार की हानि हुई हो तो उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वस्त्र प्रशिक्षण संस्थान

1004. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री संजय लाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संचालित वस्त्र प्रशिक्षण संस्थानों विशेष रूप से पहनने के कपड़े/रंगाई/छपाई तथा अभिकल्पन के लिये हथकरघा टेक्सटाइल प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान संख्या क्या है तथा इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष, राज्य-वार, कुल कितने प्रशिक्षुओं को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे और संस्थान शुरू करने का है;

(ग) इसके लिये 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि रखी गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चला रहे हैं जो गुवाहाटी, जोधपुर, सेलम और वाराणसी में स्थित हैं। ये संस्थान हथकरघा प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। सेलम और वाराणसी में स्थित दो संस्थान वस्त्र रसायन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। इन संस्थानों में 157 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और इन 4 संस्थानों में विभिन्न राज्यों को आवंटित रीट का विवरण इस प्रकार है:—

जोधपुर संस्थान

1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	6

1	2	3
2.	पंजाब	2
3.	हरियाणा	2
4.	दिल्ली	3
5.	राजस्थान	9
6.	गुजरात	3
कुल :		25

वाराणसी संस्थान

1.	उत्तर प्रदेश	13
2.	बिहार	3
3.	उड़ीसा	7
4.	पश्चिमी बंगाल	5
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	जम्मू व कश्मीर	4
7.	महाराष्ट्र	8
कुल :		43

सेलम संस्थान

1.	केरल	7
2.	तमिलनाडू	18
3.	पाडिचेरी	4
4.	कर्नाटक	18
5.	आंध्र प्रदेश	12
6.	गोवा	1
कुल :		60

गुवाहाटी संस्थान

1	2	3
1.	असम	8

1	2	3
2.	मेघालय	2
3.	मणिपुर	8
4.	त्रिपुरा	4
5.	नागालैण्ड	2
6.	अरुणाचल प्रदेश	2
7.	मिज़ोरम	2
8.	सिक्किम	1
कुल :		29

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश से बागनपल्ली आमों का निर्यात

1005. श्री बोल्ला युल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-बागान निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी अभियान के एक हिस्से के रूप में कुछ यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भेजे गए आन्ध्र प्रदेश के बांगनपल्ली आम वहां बहुत लोकप्रिय हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक इसका कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितनी मात्रा में और निर्यात किया जायेगा;

(ग) क्या इस आम की अत्यधिक मांग को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश में आम की खेती करने वालों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। चालू मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश से बांगनपल्ली आमों का निर्यात सिंगापुर मलेशिया, यू०ए०ई० और यू०के० को किया जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वहां पर इनको बहुत पसंद किया जा रहा है।

(ख) निर्यात के राज्यवार और किरमवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, वर्ष 1993-94 के दौरान 45 करोड़ रुपये मूल्य (अनन्तिम) के 23,00 एम०टन आमों का निर्यात किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान 56 करोड़ रुपये मूल्य के 27,000 एम०टन आमों का निर्यात होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) कृषि और प्रसंस्कृत त्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वित्तीय सहायता संबंधी कई योजनाएं हैं। आन्ध्र प्रदेश में आम का उत्पादन करने वाले लोग इन योजनाओं

का लाभ उठा सकते हैं, आन्ध्र प्रदेश में आमों के उपजकर्ता निर्यात प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के पात्र हैं जिनमें वायु भाड़ा इमदाद योजना भी शामिल है जिसे 1993-94 में परीक्षण आधार पर शुरू किया गया था।

त्रिचूर में स्टाम्प पेपरों की कमी

1006. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर स्टाम्प डिपों में गैर-न्यायिक /नोटरी-स्टाम्प और स्टाम्प पेपरों की कम आपूर्ति किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) त्रिचूर स्टाम्प डिपों को ऐसे पेपरों/स्टाम्पों की पर्याप्त सप्लाई हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सामान्यतः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक और प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद द्वारा त्रिचूर राजकोष को गैर-अदालती और नोटोरियल स्टाम्पों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं की जाती। उक्त स्टाम्पों की कमी कई बार प्रतिभूति मुद्रणालयों को राजकोष द्वारा मांग-पत्र को भेजने में देरी होने या मुद्रणालयों में काम का बोझ ज्यादा होने के कारण हो जाती है।

(ख) सरकार ने दोनों मुद्रणालयों को त्रिचूर राजकोष के लिए गैर अदालती/नोटोरियल स्टाम्पों की त्वरित आपूर्ति करने का सुझाव दिया है।

भारतीय चाय व्यापार निगम को हुई हानि

1007. प्रो० उम्मारैडि वेंकटेश्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय व्यापार निगम को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी हानि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय चाय व्यापार निगम को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की 1992-93 तक तीन वर्ष जिनके लेखा-परीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं, की लाभ/हानि की स्थिति निम्नानुसार है:—

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रु० में)
1990-91	(-) 67.17
1991-92	(+) 58.10
1992-93	(-) 291.05

(ख) इस निगम को होने वाली हानि के मुख्य कारण हैं :—

निगम के बागन प्रभाग के कारण हानि, रूस तथा सी०आई०एस० देश इरान इत्यादि को पहले से कम निर्यात के कारण सकल निर्यात में कमी की वजह से निगम के निर्यात-निष्पादन में गिरावट।

(ग) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निगम के बागान प्रभाग में सुधार करना, सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के जरिए निगम को वित्तीय सहायता तथा निगम के लिए व्यापार प्राप्त करने में सहायता इत्यादि शामिल हैं।

जनता वस्त्र योजना

1008. श्री श्रीकान्त जेना :

श्री राम विलास पासवान :

श्री बापू हरि चौर :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता वस्त्र योजना को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में बुनकरों के रोजगार के साथ-साथ जनता वस्त्र उत्पादन में लगी सहकारी समितियों पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ने जनता कपड़े के उत्पादन को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है।

(ख) जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार की सब्सिडी प्राप्त योजनाओं को समाप्त करने की नीति के अनुसार लिया गया है। इसलिए जनता कपड़े के उत्पादन को प्रति वर्ष धीरे-धीरे कम किया जाएगा और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन 200 मिलियन वर्ग मीटर के स्तर तक लाया जाएगा।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान जनता कपड़ा योजना संशोधित रूप में कार्यान्वित की जा रही है और गैर जनता कपड़े के उत्पादन में वृद्धि के लिए इक्विटी के रूप में वैकल्पिक पैकेज सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 3000 हथकरघा विकास केन्द्रों और 500 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की एक समेकित योजना भी लागू की गई है जिसमें जनता कपड़े के उत्पादन में कमी करने से प्रभावित बुनकरों की सहायता हेतु 30 लाख बुनकरों को शामिल करने का उद्देश्य है। ये वैकल्पिक योजनाएँ इस प्रकार तैयार की गई हैं जो हथकरघा बुनकरों के निवेश की आपूर्ति, डिजायन विकास, विपणन आदि की प्रमुख समस्याओं पर विशेष ध्यान देगी।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंक की शाखाओं का कम्प्यूटीकरण

1009. श्री एन०जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत की जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितना अनुमानित कार्य होगा; और

(घ) उक्त बैंकों का कम्प्यूटरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंकों के मुख्यालयों के स्थानों का निर्धारण

1010. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी क्षेत्र की निवेश क्षमता के विशिष्ट संदर्भ में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्यालयों के स्थानों के निर्धारण के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गैर सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों की स्थापना संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में यह कहा गया है कि उन बैंकों को लाइसेंस जारी करने के मामले में वरियता दी जाएगी जिनके प्रधान कार्यालय ऐसे केन्द्रों में हैं जहां किसी अन्य बैंक का प्रधान कार्यालय नहीं है। निवेश की संभावना वाले क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रधान कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

मैसूर में हवाई अड्डा

1011. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर हवाई अड्डे का प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाले विमानों की औसत संख्या क्या है;

(ख) क्या एयन-टैक्सी संचालक मैसूर को बंगलौर तथा देश के अन्य भागों के साथ विमान सेवा से जोड़ने के इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(घ) 1993-94 के दौरान मैसूर हवाई अड्डे पर सुधार करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) 1994-95 के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय मैसूर हवाई अड्डे से/को किसी उड़ान का प्रचालन नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) एयर टैक्सी मार्गदर्शी सिद्धांत में सूचीबद्ध मैसूर सहित एयर टैक्सी प्रचालन 93 हवाई अड्डों में से किसी भी हवाई अड्डे से/को प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान इस हवाई अड्डे पर कोई व्यय नहीं किया गया है। चालू वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान कोई व्यय करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रदर्शनी हालों का बीमा

1012. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रदर्शनी हालों का बीमा कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने सरकारी सम्पत्तियों का बीमा किए जाने संबंधी क्या दिशानिर्देश जारी किये हैं; और

(घ) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई०टी०पी०ओ०) ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रदर्शनी हालों सहित अपनी सभी परिसम्पत्तियों का बीमा करा लिया है और इस पर कुल 2,83,252/-रुपए व्यय किए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट

1013. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग चार वर्ष पूर्व कुछ माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट आयात किये थे;

(ख) यदि हां, तो उन एयरक्राफ्टों की संख्या, प्रकार और कीमत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन सभी एयरक्राफ्टों को प्रयोग में लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर हैं, उपसे कितने घंटों की उड़ान भरी गई है और इन एयरक्राफ्टों को उड़ाने के लिए कितने लोग प्रशिक्षित किए गए हैं;

(ङ) यदि इन एयरक्राफ्टों को प्रयुक्त नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन एयरक्राफ्टों का प्रयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इन एयरक्राफ्टों के प्रयोग के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ज) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी संस्थागत निवेशक

1014. श्री राम टहल चौधरी :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन निवेशकों ने सरकार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के लिए अपने प्रबन्धन के पास उपलब्ध धनराशि के संबंध में सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 15-7-1994 तक, भारत में निवेश करने के लिए 208 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत किया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों को उन निवेशों की मात्रा का संकेत पहले से करने की आवश्यकता नहीं है जो वे भारतीय पूंजी बाजार में करने वाले हैं।

[अनुवाद]

निर्यात वृद्धि दर

1015. श्री सुधीर सावंत :

श्री मनोरंजन शर्मा :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

डा० एस० पी० यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के लिए निर्यात वृद्धि दर डालर में क्या थी;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में निर्यात वृद्धि दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी आयी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत वर्ष की वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) 1993-94 में आयात वृद्धि दर कितनी रही तथा 1992-93 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान निर्यात में डालर के रूप में 20.4% की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) अप्रैल-मई, 1994 वह अद्यतन अवधि जिसके कुल व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान, निर्यात में अप्रैल-मई, 1993 की तुलना में डालर के रूप में 9.7% की वृद्धि हुई। अप्रैल-मई, 1993 के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30% की वृद्धि हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में धीमी निर्यात वृद्धि के ये कारण हैं: आई०पी०आर०एस० को हटाए जाने के कारण इंजीनियरी निर्यातों का प्रभावित होना, सिले सिलाए वस्त्रों तथा चावल जैसी कृषिजन्य मदों की मांग में कमी, एस०एस०आई०एककों के लिए उत्पादन छूट हटाने के कारण प्रक्रिया संबंधी समस्याएं तथा मुद्रा स्फीति की 10% से ज्यादा की सकल उच्च दर जिसके कारण रुपए की वास्तविक विनियम दर में मूल्य वृद्धि हुई और इस प्रकार निर्यात निष्पादन पर विपरित प्रभाव पड़ा। इन महीनों के दौरान निर्यातों में मौसमीपन प्रकट होता है तथा वृद्धि दर के धीमेपन में इसका भी योगदान रहा है।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है: यह केन्द्र तथा राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण प्रयास है तथा व्यापार, उद्योग तथा निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। राज्यों में निरन्तर और ज्यादा सहयोग मांगा जा रहा है तथा सरकार ने इस उद्देश्य से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (आई०पी०आई०पी०) स्कीम नामक एक नई योजना बनाई है।

(ङ) 1993-94 के दौरान 23212 *मिलियन अमरीकन डालर के आयात हुए जो 1992-93 के दौरान हुए 21726 *मिलियन अमरीकन डालर के आयात की तुलना में 6.8% अधिक हैं। इस वृद्धि का मुख्य भाग निविष्टियों तथा पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात से जुड़े आयात के कारण हैं।

(*अनन्तिम आंकड़े)

[हिन्दी]

एयर लाइंस द्वारा यात्रियों को शराब परोसा जाना

1016. श्री वी०एल० शर्मा प्रेम :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

श्री पी०सी० यामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी घरेलू उड़ानों में शराब परोसने तथा पीने पर रोक लगा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ानों में भी ऐसी ही रोक लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश किस तिथि से लागू है;

(छ) क्या सरकार को इन आदेशों के लागू होने के पश्चात् कुछ उड़ानों में शराब पीने/परोसने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) दोपी विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। विमान प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्देशीय उड़ानों में मदिरा परोसने और पीने पर पाबन्दी लगाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एयरलाइन उद्योग में अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों में मदिरा परोसने की सामान्य प्रथा प्रचलित है जिसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस भी अपना रही है।

(च) 27 जून, 1994

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) : प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिला विमानचालक

1017. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी महिला विमानचालक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महिला विमानचालकों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) : 25-7-1994 तक महिला विमानचालकों को विभिन्न वर्गों के 356 विमानचालक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानखुर्द-बैलापुर रेल लाइन परियोजना के लिए बाजार से उधार

1018. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मानखुर्द-बैलापुर रेल लाइन परियोजना पर शेष लागत के अपने हिस्से के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त बाजार उधार नियतन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान मानखुदे-बेलापुर रेल लाइन परियोजना के बित्त पोषण के लिए अतिरिक्त बाजार उधार के आवंटन का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन

1019. श्री चित्त बसु :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: अब तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया गया है, वे कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वयं सक्षमता (स्टैण्ड एलोन) आधार पर, उनके तुलन-पत्रों में सुस्पष्टता लाकर, उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1994 को दिये गये अपने बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान पूरे देश में स्थित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों के संबंध में उनके तुलन-पत्रों में सुस्पष्टता लाने तथा नयी पूंजी प्रदान करने समेत उनका व्यापक रूप से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर, 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान पुनर्गठन के लिए की गई है। नीचे दर्शाये गए अनुसार ये विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं:—

क्र०सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचान किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	4
2. असम	1
3. अरुणाचल प्रदेश	1
4. बिहार	5

1	2	3
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू व कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	3
10.	केरल	1
11.	महाराष्ट्र	2
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	1
14.	मिजोरम	1
15.	मध्य प्रदेश	5
16.	नागालैंड	1
17.	उड़ीसा	2
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	3
20.	तमिलनाडु	1
21.	उत्तर प्रदेश	9
22.	पश्चिम बंगाल	2
कुल		49

उपर्युक्त 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा, त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में, प्रायोजक बैंक के परामर्श से अविरत ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, वैकल्पिक तंत्र तैयार करने का प्रस्ताव है।

विमान परिचारिकाओं के साथ दुर्व्यवहार

1020. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो माह के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमान में यात्रियों द्वारा विमान परिचारिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर गत दो महीनों के दौरान यात्रियों द्वारा विमानपरिचारिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की दो घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है:—

- (1) दिनांक 30-5-1994 को गोवा और दिल्ली के बीच आई०सी०-468 की उड़ान पर दो यात्रियों ने ड्यूटी पर तैनात विमानपरिचारिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया।
- (2) दिनांक 9-7-1994 को बम्बई-दिल्ली की आई०सी०-183 की उड़ान पर नशे में घुत एक यात्री ने विमानपरिचारिका पर पक्षियां कसी और विमान में रात्रि के खाने के समय भद्दी हरकतें की।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने इस आशय से आदेश जारी किए हैं कि कोई प्रचालक जो भारत में अन्तर्देशीय विमान परिवहन सेवा का प्रचालन करते हैं, वे विमान में मादक द्रव्य नहीं परोसेंगे और कोई भी यात्री जो ऐसे विमान में यात्रा कर रहा है, विमान में यात्रा करते समय किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण

1021. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेघार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में कितने बेरोजगार युवकों को प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का ऋण दिया गया/दिया जायेगा; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर० वाई०) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक उद्यमी 1 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक की परियोजना लागत के लिए ऋण का पात्र होगा। वर्ष 1994-95 के दौरान, जैसाकि पी०एम०आर० वाई० के अन्तर्गत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, महाराष्ट्र में 20,500 शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराया जाना है। हिताधिकारियों की वास्तविक संख्या जिन्हें पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान ऋण उपलब्ध कराया गया है उसका पता वित्तीय वर्ष के अन्त में चलेगा।

[अनुवाद]

निगमित कर्मचारियों के लिए कर मुक्त परिलब्धियां

1022. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने निगमित कर्मचारियों के लिए कर मुक्त परिलब्धियों के बारे में कोई जांच आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) निगमित कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओ द्वारा मुहैया की गई परिलब्धियों के बारे में आयकर विभाग द्वारा ऐसी कोई जांच शुरू नहीं की गई है। विभाग ने निगमित क्षेत्र को उनकी केवल इस जिम्मेदारी से अवगत कराने के उपाय दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को अदा किए गए वेतन तथा भत्तों और उन्हें मुहैया की गई परिलब्धियों में से उचित कर की कटौती करे।

निजी एयरलाइन्स

1023. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय निजी एयरलाइन्स पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट की ओर गया है जैसा कि 1 जुलाई, 1994 के "फायनेशियल एक्सप्रेस" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य एवम् ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं या किए जायेंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) : जी, हां।

(ख) यह दिसम्बर, 1993 में अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की ओर से संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा संचालित बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, मलेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड से सम्बन्धित उड़ान सुरक्षा निगरानी द्वारा प्रस्तुत की कई एक परियोजना टर्मिनल रिपोर्ट है। रिपोर्ट में उड़ान सुरक्षा का उन्नयन करने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु उक्त सरकारों से आग्रह किया गया है।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने निम्न कदम उठाए हैं:—

- (1) एयरलाइन्स का बेस निरीक्षण और उड़ान निरीक्षकों के निरीक्षण।
- (2) एयरलाइन्स का सुरक्षा से संबंधित जांच और सुरक्षा से संबंधित शिक्षा सेमिनार।
- (3) परामर्शी परिपत्रों का प्रकाशन और संगठन के अन्दर सुरक्षा कक्ष की स्थापना।
- (4) पुरश्चर्या कार्यक्रम शुरू करना।
- (5) फ्लाइट डाटा रिकार्डर और कॉकपीट वायस रिकार्डर की आकस्मिक निगरानी।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

1024. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री के० प्रधानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश को किये जाने वाले परिष्कृत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है;

- (ख) यदि हां, तो वहां पर इस समय निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत दो वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;
- और
- (घ) बांग्लादेश को किये जाने वाले परिष्कृत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के आंकड़े दशति हैं कि भारत से बांग्लादेश को विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। गत दो वर्षों के दौरान भारत से बांग्लादेश को निर्यात की गयी कुछ ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	निर्मित वस्तु का नाम	मूल्य (लाख रूपए में)	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	कॉटन यार्न, बस्त्र, मेडअप आदि आदि	48494.23	54907.61
2.	परिवहन उपस्कर	3229.66	6570.57
3.	धातुओं से बनी वस्तुएं	1924.31	3188.88
4.	मशीनरी एवं औजार	7406.82	7448.61
5.	प्रसाधन/श्रृंगार सामग्री आदि	55.64	271.70

उपर्युक्त आंकड़े अन्तिम हैं।

स्रोत : डी०जी०सी० आई०एण्ड०एस० की रिपोर्ट

(घ) बांग्लादेश को ऐसी वस्तुओं के निर्यात के अलावा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं :

- (1) बांग्लादेश के साथ द्विपक्षी व्यापार करार करना।
- (2) समय-समय पर सरकारी और व्यापारिक स्तरीय वार्ताएं आजोजित करना।
- (3) व्यापार मेलों में भागीदारी एवं व्यापार शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान करना
- (4) भारत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्ता) पर हस्ताक्षर कर्ता है और वह सार्क चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के सदस्यों में बांग्लादेश के सहित वह भी एक सदस्य है।
- (5) भारत और बांग्लादेश एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म के भी सदस्य हैं।

रुग्ण कपड़ा मिलें

1025. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रुग्ण कपड़ा मिलें हैं;

(ख) इन रुग्ण कपड़ा मिलों पर मिल-वार बैंक ऋण की कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी रुग्ण कपड़ा मिलों को ट्रेड यूनियनों को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा दी सूचना के अनुसार 31-1-1994 तक की स्थिति के अनुसार बी०आई०एफ०आर० के पास 262 मिलें रुग्ण मिलों के रूप में पंजीकृत थीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मार्च, 1992 में 296 गैर-एस०एस०आई० रुग्ण वस्त्र एककों से संबंधित 1467.25 करोड़ रु० की राशि बकाया थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में वस्त्र नगर की स्थापना

1026. श्री एस०बी०बी०एस० मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में वस्त्र-नगर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एयर टैक्सी आपरेटर

1027. श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी विमान टैक्सी संचालकों की ओर से दिल्ली तथा मुम्बई से दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों में विभिन्न पर्यटन स्थलों तक सीधी उड़ानों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर टैक्सी प्रचालक अनुसूचित प्रचालन के तहत प्राधिकृत किसी भी विमानपत्तन के लिए प्रचालन हेतु स्वतंत्र हैं।

रूई का निर्यात

1028. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक निर्यात की गई रूई का ब्यौरा क्या है;
 (ख) रूई के निर्यात में कमी होने के मुख्य कारण क्या हैं; और
 (ग) इस कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/ उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) इस वर्ष तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात की गई कपास की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	(मात्रा : लाख गांठ में) लदान की गई मात्रा
1991-92	0.77
1992-93	13.766
1993-94	3.114 (5-7-1994 तक)

(ख) और (ग) दीर्घावधि निर्यात नीति के अनुसरण में कपास की न्यूनतम 5 लाख गांठें प्रत्येक वर्ष निर्यात की जानी होती हैं तथा घरेलू उपलब्धता तथा कीमतों को ध्यान में रखते हुए बाढ़ की रिलीजें इसके पश्चात की जाती हैं। तथापि कपास वर्ष 1993-94 के दौरान कपास तथा सूती यार्न की कीमतों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए कपास के निर्यात को अस्थायी तौर पर आस्थागित कर दिया गया था।

व्यापार संतुलन

1029. श्री विजय कुमार यादव :
 श्री शरद दिघे :
 श्री रामेश्वर पाटीदार :
 श्री तरित वरण तोपदार :
 श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1994-95 की पहली तिमाही के दौरान किये गये निर्यात और आयात का मूल्य कितना है;
 (ख) ऐसे निर्यात और आयात का जिन्स-वार ब्यौरा क्या है;
 (ग) 1993-94 की इसी अवधि वाली तिमाही की तुलना में निर्यात और आयात में कुल मिला कर कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई :
 (घ) निम्नतर निर्यात वृद्धि दर के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
 (ङ) निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल-मई, 1994-95 वह नवीनतम अवधि जिसके व्यापार संबंधी कुल आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान निर्यातों और आयातों का मूल्य क्रमशः 11898 करोड़ रु० (3793 मिलि० अमरीकी डालर) तथा 12181 करोड़ रु० (3883 मिलि० अमरीकी डालर) हैं।

(ख) अप्रैल, 1994 तक के अलग-अलग आंकड़े प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। निर्यात और आयात

के वस्तुवार ब्यौरे डी०जी०सी०आई०एड०एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित फॉरिन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया (प्रिंसीपल कमोडिटीज एंड कंट्रीज) के अप्रैल, 1994 के अंक में उपलब्ध हैं। मासिक आधार पर प्रकाशित यह ब्रोचर लोकसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) अप्रैल-मई, 1994-95 वह नवीनतम अवधि जिसके कुल व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान निर्यात और आयात में 1993-94 की तदनु रूप अवधि की तुलना में क्रमशः रूप के रूप में 9.8% (डालर के रूप में 9.7%(तथा 12.2%) डालर के रूप में (12.1%) की वृद्धि हुई।

(घ) और (ङ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है, यह केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाला सहयोगात्मक प्रयास है। व्यापार, उद्योग और निर्यात संवर्धन संगठनों के परामर्श से निर्यात बढ़ाने के लिए उपाए किए जाते हैं। राज्यों का अधिक से अधिक सहयोग लिया जा रहा है तथा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क (ई०पी०आई०पी०) स्कीम नामक एक नयी योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

सूती वस्त्रों का निर्यात

1030.श्री राजवरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूती कपड़े के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार थीं :—

	आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1991-92	1309	1542.40
1992-93	1670	1678.64
1993-94	1797.80	2008.95 (अनन्तिम)

(ख) तथा (ग) सूती वस्त्रों का निर्यात कई देशों को किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देश तथा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है:—

1	2	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में		
		3	4	5
1.	ई०ई०सी०	468.55	512.16	652.90 (अनन्तिम)

1	2	3	4	5
2.	संयुक्त राज्य अमरीका	250.46	289.60	314.33
3.	बंगला देश	135.29	184.16	209.47
4.	जापान	69.34	71.25	110.57
5.	यू० ए० ई०	73.12	62.33	63.03
6.	आस्ट्रेलिया	28.72	47.25	43.18
7.	मारीशस	25.76	24.39	30.27
8.	कनाडा	23.02	24.33	32.00
9.	सिंगापुर	23.99	23.39	31.32
10.	स्वीडन	25.22	28.72	29.80

स्रोत :—सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना

1031. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किसी राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी धनराशि जुटाई जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने किसी भी राज्य में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। अलबत्ता राज्य के प्रत्येक जिले के लिये नाबार्ड द्वारा तैयार की गई ऋण योजनाओं से जुड़ी क्षमता के आधार पर प्रत्येक राज्य के एक या दो जिलों की कृषि संसाधन क्षेत्रों के गहन विकास के लिये पहचान की गई है। ऐसे जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) नाबार्ड द्वारा 31.73 करोड़ रु० की राशि वर्ष 1994-95 के लिये कृषि संसाधन के विकास के लिये आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 350 करोड़ रु० की राशि भी उच्च तकनीक पर बल देने वाली परियोजनाओं के लिये आबंटित की गई है जो अन्य उद्योगों के साथ-साथ कृषि पर आधारित उद्योगों को भी कवर करेगी।

विवरण

कृषि संसाधित कार्यकलापों के गहन विकास के लिए पहचान किए गए जिलों की सूची

क्र०सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	गुजरात	1. सूरत
		2. वलसाड

1	2	3
		3. खेडा
		4. भावनगर
		5. जूनागढ़
		6. कछ
2.	कर्नाटक	1. बंगलौर ग्रामीण
		2. दक्षिण कनाडा
		3. धारवाड़
3.	मध्य प्रदेश	1. होशंगाबाद
		2. छिंदवाड़ा
4.	उड़ीसा	1. कटक
		2. ब्योझर
		3. मयूरभंज
		4. बालासोर
5.	पश्चिम बंगाल	1. दार्जिलिंग
		2. माल्दा
		3. दक्षिण 24 परगना
6.	पंजाब	1. भटिंडा
		2. संगरूर
		3. जलंधर
7.	हरियाणा	1. हिसार
		2. अम्बाला
		3. करनाल
		4. कुरुक्षेत्र
8.	असम	1. गुवाहाटी
9.	आंध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी

1	2	3
		2. चित्तूर
		3. बंगारेड्डी
10.	राजस्थान	1. पाली
		2. जालोर
		3. सिरोही
11.	उत्तर प्रदेश	1. प्रतापगढ़
		2. फर्रुखाबाद
		3. बाराबंकी
12.	तमिलनाडु	1. धरमपुरी
		2. डिंडीगुल-आना
		3. दक्षिण अर्काट
		4. थंजावूर
13.	महाराष्ट्र	1. नासिक
		2. पुणे
		3. जलगांव
		4. रत्नागिरी
		5. कोल्हापुर
		6. शोलापुर
		7. सांगली
14.	केरल	1. कोट्टायम
		2. एर्नाकुलम
		3. इदुकी
		4. कोजीकोड
		5. पेलाक्काड
		6. मालापपुरम

1	2	3
15.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला 2. मण्डी
16.	बिहार	1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर 3. मोतीहारी 4. समस्ती पुर

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

1092. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मंजय लाल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है कि पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पर्यटन विभाग राज्य सरकार से अनुरोध करता रहा है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अभी तक निम्नलिखित को राज्यों ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया है:—

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश
3. आन्ध्र प्रदेश
4. कर्नाटक
5. केरल
6. तमिलनाडु
7. असम
8. मिजोरम
9. उड़ीसा

10. त्रिपुरा
11. अरुणाचल प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. बिहार
14. मध्य प्रदेश
15. उत्तर प्रदेश

औद्योगिक नीति 1991 के विवरण के अन्तर्गत होटलों और पर्यटन से जुड़ा उद्योग ऐसे उद्योगों की सूची में सम्मिलित है जो विदेशी तकनालाजी करारों के स्वतः अनुमोदन और 51% विदेशी इक्विटी अनुमोदन पाने योग्य हैं।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियां

1033. श्री एन०जे० राटवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियों के दौरान बैंक कर्मचारियों राहित कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) हताहत हुए व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1993 से 31-3-1994 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को गुजरात में केवल एक लूटपाट/डकैती की घटना की सूचना दी है। इस घटना में न तो कोई मारा गया है और न ही हताहत हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते में डालना

1034. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों को वर्तमान 25,000 रुपये के स्थान पर 25 लाख रुपये तक व्यक्तिगत अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डालने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़ाई गई सीमा की इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे मार्गनिर्देश जारी नहीं किया गए हैं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कॉफी-पाउडर के मूल्य में वृद्धि

1035. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्तः

श्री पी०सी० चाक्को :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई महीनों से कॉफी-पाउडर के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जिस कारण समाज के निर्धन वर्गों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान कॉफी-पाउडर के मूल्य में हुई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कॉफी-पाउडर का मूल्य उचित स्तर तक कम करने के लिए या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) और (ग) बंगलौर में जनवरी से जून, 1994 के बीच कॉफी पाउडर के मूल्य में वृद्धि का विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहा है:—

महीना	मूल्य/कि०ग्रा०
जनवरी, 1994	77 रु०
फरवरी, 1994	73 रु०
मार्च, 1994	71 रु०
अप्रैल, 1994	80 रु०
मई, 1994	91 रु०
जून, 1994	120 रु०

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के साथ ही घरेलू मूल्यों में भी निरन्तर वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण ब्राजील में फसल की कथित असफलता तथा विश्व बाजार में काफी की कम आपूर्ति का होना रहा है। सरकार मूल्य की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।

स्वचालित गणक यंत्रों का लगाया जाना

1036. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसे स्वचालित गणक यंत्र लगाए हैं जिनका प्रचालन जमाकर्ताओं द्वारा कभी भी किया जा सकता है;

(ख) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और देश के सभी प्रमुख शहरों में ऐसे यंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन यंत्रों को कब तक लगाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि स्वचालित टेलर मशीनें तीन शाखाओं में लगाई गई हैं।

(ख) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सभी प्रमुख शहरों में स्वचालित टेलर मशीनें लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वचालित टेलर मशीनें लगाने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुमति प्रदान की है :—

क्रम सं०	बैंक का नाम	स्वचालित टेलर मशीनों की संख्या जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है
1.	बैंक आफ इंडिया	3
2.	इंडियन बैंक	5
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
4.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
6.	विजया बैंक	9
कुल :		21

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा स्वचालित टेलर मशीनें लगाने/परिचालित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

तम्बाकू का निर्यात

1097. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च" ने तम्बाकू और इसके उत्पादों के निर्यात से आय में वृद्धि के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट का विश्लेषण किया है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात हेतु तम्बाकू उत्पादों में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तम्बाकू क्षेत्र की निर्यात सम्भाव्यता" विषयक अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई

हैं:—

1. निर्यात व्यापार के विश्वस्तरीयकरण की उभरती प्रवृत्ति तथा आर्थिक सहायता को चरणबद्ध रूप से देने से भारतीय तम्बाकू के निर्यात संवर्धन में सहायता मिलेगी क्योंकि भारतीय तम्बाकू की गुणवत्ता अच्छी है और कीमत कम है।
2. भारत में तम्बाकू के उत्पादन-खपत की प्रणाली विश्व प्रणाली से काफी अलग है।
3. देश में सुस्पष्ट "तम्बाकू नीति" का अभाव है।
4. उत्पादन में प्रौद्योगिकीय रूप से कोई समुचित विकास नहीं हुआ है।
5. घरेलू आधार में गिरावट के कारण भारत तम्बाकू का और अधिक निर्यात करने में अक्षम है।
6. घरेलू सिगरेट उद्योग ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं किया है।
7. देश में बेचे जाने वाले तम्बाकू उत्पादों के लिए विभेदमूलक टैरिफ ढांचे की वजह से घरेलू सिगरेट उद्योग में विकास की कमी है।

(ग) से (ङ) तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के विकास तथा निर्यात के लिए सरकार की एक सुस्पष्ट नीति है। यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा पूर्ति की स्थिति, तम्बाकू उपजकर्ताओं तथा तम्बाकू उद्योग में लगे कामगारों के हित तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को इष्टतम बनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर भारतीय सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों का व्यापक प्रचार करना।
2. भारतीय तम्बाकू खरीदने के लिए व्यापार शिष्टमंडलों को प्रोत्साहित करना।
3. सिगरेटों के निर्यात के लिए निर्यातोन्मुख एककों का संवर्धन।
4. सिगरेटों उद्योग, खासकर सिगरेटों के निर्यात के लिए विदेशी निवेश की अनुमति देना।
5. सिगरेटों को स्टॉक करने और बिक्री करने के लिए सी०आई०एस०देशों में भांडागार स्थापित करने हेतु विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना।
6. रूस को सिगरेट निर्यात को प्रोत्साहन देना।

तम्बाकू बोर्ड रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की सावधानी से जांच कर रज्ञ है और सरकार की नीति के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपयुक्त उपाए किए जाएंगे।

नई आकाश नीति

1038. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह दत्ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आकाश नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता

1039. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में, अब तक अखिल भारतीय वित्तीय एवं निवेश संस्थानों में महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कितनी सहायता राशि स्वीकृत और वितरित की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षेय के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1040. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्होंने इस माह के पूर्व में ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग राध (दक्षेय) के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में दक्षेय क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उद्धार तथा गरीबी उन्मूलन में सुधार करने हेतु तैयार की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्होंने बांग्लादेश सरकार के साथ स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा शेष भारत के बीच वस्तुओं तथा यात्रिणों के आवागमन के लिए बांग्लोदश की भूमि पर एक गलियारा प्राप्त करने के काफी समय से लंबित मुद्दे पर भी चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, महोदय, वित्त मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) सम्मेलन में, यह बात ध्यान में रखते हुए कि सभी सदस्य देशों की गरीबी को दूर करने की रणनीति साख, सामाजिक विकास तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश तथा रोजगार के सृजन पर बल देती है, अति निर्धन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता का पता लगाया। इसने समाज को गतिशील बनाने की रणनीतियों पर बल दिया जो कि समुदाय की भागीदारी महिला और निर्धन को सशक्त बनाने, संयत विकास शक्ति का विक्रेन्द्रीकरण मिल जुल कर योजना बनाने तथा गरीब लोगों द्वारा विकास कार्यक्रमों को चलाने की बात पर बल दिया। सम्मेलन इस बात पर भी सहमत था कि गरीबी को दूर करने में लगे सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों के बीच निकट संबंध स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वित्त मंत्रियों ने उन नीतिसरें और कार्यक्रमों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया जिनसे थोड़ी अवधि में उनके देश में गरीबी को दूर किया जा सकेगा और जिनसे वर्ष 2002 तक गरीबी को दूर किया जा सकेगा उन्होंने इस प्रयास के लिए नीतियों के माध्यम से अपेक्षित संसाधनों को समस्या के आकार के अनुरूप

गतिशील बनाने के अपने संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने उस बात पर भी बल दिया कि सुधार कार्यक्रम लघु अवधि में निर्धन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और गरीबी को दूर करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा।

मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि एक तीन-सूत्री तंत्र बनाया जाना चाहिए जो कि सार्क देशों कि अनुभव के आधार पर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए मंच का कार्य करेगा।

(ग) से (ङ) बंगला देश में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में आवागमन के मुद्दे पर उच्च स्तर पर बंगला देश के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस बात पर बल दिया गया। आवागमन की बात बंगला देश के लिए सेवा निर्यात आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत होगी और इससे उनके परिवहन क्षेत्र विशेषकर बंदरगाहों और रेलवे का विकास होगा। बंगाला देश के अधिकारियों ने संकेत किया कि वे द्विपक्षीय मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान को आपात स्थिति में उतारने संबंधी जांच

1041. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति के निकट इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस ए-300 को आपात स्थिति में उतारने संबंधी जांच के लिए गठित एयरमार्शल जे०के०से० के जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से इंडियन एयरलाइन्स के हवाई सुरक्षा विभाग के संबंध में, समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कर्मियों की फ्लाइट-सुरक्षा जागरूकता के स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) : जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु उद्योगों को ऋण

1042. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने राजस्थान और अन्य राज्यों में लघु उद्योगों को कितनी धनराशि का ऋण दिया है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में लघु उद्योग बैंक ऋण को वापस करने की बेहतर स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की राशि कुल मिलाकर 520.32 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे आंकड़े संचालित नहीं करता है। तथापि, 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में लघु उद्योगों की वसूली की स्थिति निम्नलिखित थी:—

मांग	-	170.98 करोड़ रु०
समाहरण	-	52.55 करोड़ रु०
अतिदेय	-	118.43 करोड़ रु०
वसूली का प्रतिशत	-	31

[अनुवाद]

रूसी बैंकों को नियंत्रण में लेना

1043. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमोटर्स के आग्रह पर केनरा बैंक के प्रबंधक ने हाल ही में दो रूसी बैंकों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ दोनों रूसी बैंकों के विवरण, उनका इविट्टी ढांचा, प्रमोटर्स का केनरा बैंक के साथ पूर्व संबंध, प्रमोटर्स द्वारा केनरा बैंक का चुनाव करने के कारण और नियंत्रण में लेने की शर्तों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केनरा बैंक इस समय विदेशों में स्थित कुछ अन्य बैंकों के साथ ऐसी ही व्यवस्था हेतु बातचीत कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केनरा बैंक का विचार शीघ्र ही मास्को में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का है; और

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने केनरा बैंकों को दो रूसी बैंकों और अन्य देशों में स्थित बैंकों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने और मास्को तथा अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केनरा बैंक ने किसी रूसी बैंक पर नियंत्रण के लिए उनसे अनुमति नहीं मांगी है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक को मास्को में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी है।

कृषि ऋण

1045. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने विशेषतया रेश-उत्पादन, पुष्प कृषि, मछली पालन, उद्यान कृषि और मांस प्रसंस्करण की परियोजनाओं के लिए बड़े स्तर पर कृषि संबंधी ऋण स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993 के दौरान उक्त योजना कौन-कौन से राज्यों में बनाई गई है और 1994 के दौरान किन राज्यों में बनाये जाने का विचार है और कृषि संबंधी ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने अब तक क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1994-95 के दौरान कृषि अग्रिमों में वृद्धि कर उन्हें 990 करोड़ रुपए तक ले जाने की एक योजना तैयार की है। रेशम उत्पादन, पुष्प कृषि, मछली पालन, उद्यान कृषि और मांस प्रसंस्करण के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गयी है। तथापि, बैंक ने मछली पालन, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि आदि के अंतर्गत उच्च तकनीक, उच्च मूल्य की अर्थक्षम परियोजनाओं को वित्त पोषित करना प्रारम्भ कर दिया है। विशेषतया उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए राज्य-वार योजनायें नहीं बनाई गई हैं। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक का मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध में राज्य-वार बकाया संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार, उपयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत बैंक की बकाया राशि नीचे दर्शायी गयी है :—

	(करोड़ रुपए)
पुष्प कृषि	3.75
उद्यान कृषि	92.45
रेशम उत्पादन	8.12
मछली पालन :	
देश के भीतरी भाग में मत्स्य पालन	50.3
समुद्री	
मत्स्य पालन	68.6

विवरण

मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध में राज्यवार बकाया को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकाया शेष (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	हरियाणा	181.61
2.	हिमाचल प्रदेश	74.55

1	2	3
3.	जम्मू व कश्मीर	24.66
4.	पंजाब	293.90
5.	राजस्थान	119.63
6.	चंडीगढ़	44.48
7.	दिल्ली	19.29
8.	असम	43.08
9.	मणिपुर	2.52
10.	मेघालय	11.09
11.	नागालैण्ड	20.86
12.	त्रिपुरा	10.46
13.	अरुणाचल प्रदेश	2.85
14.	मिजोरम	2.98
15.	सिक्किम	3.48
16.	बिहार	417.61
17.	उड़ीसा	245.48
18.	पश्चिम बंगाल	182.45
19.	अण्डमान और निकोबार	2.14
20.	मध्य प्रदेश	413.22
21.	उत्तर प्रदेश	784.14
22.	गुजरात	147.11
23.	महाराष्ट्र	532.53
24.	गोआ	5.90
25.	दमन और दीव	9.00
26.	दादरा नांगर हवेली	9.00
27.	आंध्र प्रदेश	891.45

1	2	3
28.	कर्नाटक	319.72
29.	केरल	155.15
30.	तमिलनाडु	614.92
31.	पाडिचेरी	6.99
32.	लक्षद्वीप	9.00
अखिल भारत		5574.55

[हिन्दी]

हवाई दुर्घटनाएं

1046. श्री राजवीर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हवाई दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु कोई समिति गठित की

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

बाल श्रम

1047. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रम समस्या के लिए गैर सरकारी संगठनों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) (क) और (ख) सरकार ने बाल श्रमिकों हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र अनुसंधान करेगा और उसको बढ़ावा देगा, सरकारों और फील्ड ऐजेंसियों को तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा, सूचना का विश्लेषण करेगा, जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करेगा और बाल श्रम के संबंध में सूचना और आंकड़ों के केन्द्रीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा। यूनिसेफ और अ०श्र०सं० की सहभागिता से यह केन्द्र राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, उ०प्र० में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार कार्रवाई कार्यक्रमों की योजना एवं प्रवर्तन के सभी स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करती है। केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई०पी०ई०सी०) को राष्ट्रीय संचालन समिति में गैर सरकारी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों को अधिक प्रभावी भागेदारी सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से विशेष सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (100% सहायता), मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना (75% सहायता), और अ० श्र० संगठन से सहायता प्राप्त आई० पी० ई० सी० (90% सहायता) के अंतर्गत लगभग 70 गैर सरकारी संगठन इस समय बाल श्रमिकों हेतु कल्याण और पुनर्वास परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेश को मवेशियों की तस्करी

1048. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1994 के "सडे आबजर्वर" नई दिल्ली में "ढाका रेक्स फ्राम स्मगल्ड इंडियन कैटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बंगलादेशी तस्करों द्वारा भारतीय मवेशियों को तस्करी की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापार/निर्यात घरानों द्वारा कारों का आयात

1049. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्यालय प्रयोग के लिए व्यापार/निर्यात घरानों को कारों के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार/आयात घरानों द्वारा अब तक कितनी कारें आयातित की गईं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ ;

(घ) क्या कुछ व्यापार/आयात घरानों के कार्यालय कार्य के लिए आयातित इन कारों को बाजार में बेच दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। हैण्डबुक आफ प्रोसीजर्स 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1994) खण्ड-1 के पैरा 217 (ङ) और (च) में इस बात का प्रावधान है कि निर्यात/व्यापार

घरानों/चोटी के व्यापार घरानों/सर्वोच्च व्यापार घरानों को एक बारीय सुविधा के रूप में अपने स्पेशल आयात लाइसेंस पर अपने प्रयोग के लिए कारे आयात करने की सुविधा है। कारों का यह आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त पर होगा और यह स्टेड्स-धारक के विनियम अर्जन विदेशी मुद्रा लेखा से मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने वाले सामान्य सीमा शुल्क के अध्यक्षीन होगा।

(ग) आयात के श्रेणीवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रवासी विदेशी मुद्रा खातों में अनियमितता

1050. श्री अमल दत्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा संचालित (अप्रवासी) विदेशी मुद्रा खातों के संचालन में किस प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं जिनके कारण भारतीय रिजर्व बैंक की एक विशेष लेखा-परीक्षा कराने की आदेश देने पड़े हैं;

(ख) यह अनियमितताएं कितनी अवधि तक बरती गई हैं और इनके परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) अनियमितताओं में शामिल विदेशी बैंकों की संख्या व नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर भूति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों और विदेशी मुद्रा संबंधी अप्रवासी खातों के लेन-देन का कार्य करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष लेखापरीक्षा शुरू की गई है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की बेची गई मूल जमा की विनियम दर के संदर्भ में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किए गए दावों और खरीदों में पाई जाने वाली विसंगतियों का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षाओं को परामर्श दिया गया है कि वे 1 अप्रैल, 1990 से लेकर 31 मार्च, 1994 तक के चार वर्षों के खातों की लेखापरीक्षा करें। विशेष लेखा-परीक्षा पूरी हो जाने के बाद ही अलग-अलग बैंकों की अनियमितताओं तथा देश की विदेशी मुद्रा में होने वाली हानि, यदि कोई हो, का पता लग पाएगा।

सॉफ्टवेयर का निर्यात

1051. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सॉफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाईश है।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सॉफ्टवेयर का निर्यात निष्पादन कितना रहा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पश्चिमी यूरोप, जिनके हमारे सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के काफी निर्यात होते हैं, को निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य के अतिरिक्त जापान, नीदरलैंड, डेनमार्क तथा आस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा बाजारों को सॉफ्टवेयर के निर्यातों में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इन देशों में व्यापार संवर्धन अभिकरणों के साथ संपर्क

स्थापित किए गए हैं। सम्बन्धित रांगठनों से विशेषज्ञों को भारत में सॉफ्टवेयर कंपनियों से मिलने के लिए तथा व्यापार के क्षेत्रों और गतिरोध का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के प्रतिनिधिमंडलों को इन बाजारों में भेजा गया है और उन्हें विशेषीकृत व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर का निर्यात-निष्पादन निम्नानुसार है :—

वर्ष	करोड़ रु० में
1991-92.	508.00
1992-93	740.00
1993-94	1020.00

(स्रोत : इलेक्ट्रानिक्स ऐंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद)

कोयला खान दुर्घटनाएं

1052. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

श्री हाराधन राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आसनसोल की कोयला खान में हुई दुखद दुर्घटना की जानकारी है।

(ख) यदि हां, तो कितने कोयला खान श्रमिकों की जाने गई तथा मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या कोयला खान की दुखद दुर्घटनाओं की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो समितियों के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) कब तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994 में (जून 1994 तक) ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खानों में घटित 14 प्राणघातक दुर्घटनाओं में कुल 71 कोयला खान श्रमिकों की मृत्यु हो गई।

मृतक के निकटतम संबंधी को प्रबंधन द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की अदायगी को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है जो कि संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा संचालित होता है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। श्रम मंत्रालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अन्तर्गत स्थित न्यू केन्डा कोलियरी में 25-1-1994 को घटित खान दुर्घटना, जिसमें 55 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, के बारे में एक जांच न्य यालय की नियुक्ति की है।

जांच न्यायालय से, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति शमुसुदीन अहमद हैं, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति हैं, कहा गया है कि वे दुर्घटना के कारणों तथा उसकी परिस्थितियों की जांच करें और अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें। प्रोफेसर ए०के० घोष, तत्कालीन निदेशक इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद और श्री बी०एन० तिवारी, महासचिव, कोल्यरी मजदूर सभा (एटक), आसन सोल को जांच में एसेसर के रूप में नियुक्त किया गया है।

चूँकि जांच कार्य पूरा नहीं किया जा सका है, जांच न्यायालय के कार्यकाल को 27 अक्टूबर, 1994 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

1053. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को देश पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था;

(ख) वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ग) उक्त प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान अन्य देशों को ब्याज तथा मूलधन के रूप में कुल कितना धन दिया गया; और

(घ) देश को वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान ब्याज तथा मूलधन के रूप में कुल कितना धन देना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1994 के अंत में देश पर कुल बकाया-विदेशी ऋण की राशि अनुमानतः 91 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश द्वारा की गई कुल ऋण परिशोधन अदायगी यथा मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान 1991-92 में 8.22 बिलियन अमरीकी डालर, 1992-93 में 8.16 बिलियन अमरीकी डालर, और 1993-94 में 8.14 बिलियन अमरीकी डालर का था।

(घ) चालू वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन अदायगी की राशि न केवल पिछले ऋणों पर निर्भर करेगी बल्कि चालू वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों पर भी निर्भर करेगी। भविष्य के ऋण चालू और भुगतान संतुलन के पूंजी खाता दोनों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में विकास पर निर्भर करेंगे जो अनेक कारणों पर निर्भर करेगा। स्थिति की जटिलता को देखते हुए 1994-95 के दौरान ऋण की वापसी अदायगी को ठीक-ठीक दिखाना संभव नहीं होगा।

विवरण
भुक्तान शेष सांख्यिकी द्वारा बताए गए विदेशी मुद्रा का
अन्तर्वाह/बहिर्गमन दर्शाता विवरण

	(मिलियन अमरीकी डालर)		
	1991-92 (पी ई)	1992-93 (क्यू ई)	1993-94 (टी ई)
1. निर्यात	18223	18789	22700
2. आयात	20347	22895	23900
3. व्यापार शेष	-2124	-4106	-1200
4. परोक्ष (निवल)	-11	-815	970
5. चालू खाता	-2135	-4921	-230
6. विदेशी सहायता (निवल)	2916	1842	1700
7. वाणिज्यिक उधार (निवल)	1647	-451	624
8. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (निवल)	781	1288	191
9. अनिवासी जमा (निवल)	-454	1949	940
10. रुपया ऋण अदायगी	-1332	-977	-745
11. विदेशी निवेश	148	585	4110
12. अन्य प्रवाह	2004	1413	2278
13. सुरक्षित उपयोग	-3575	-728	.8868

[अनुवाद]**धागे का उत्पादन**

1054. श्री डी० वेंकटेश्वर राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ः) क्या उनके मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयोजित परियोजना के एक मना के रूप में उत्तम किस्म के धागे के उत्पादन हेतु 15 उद्यमियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो चुने गए उद्यमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्यम वजन के कपड़े की बुनाई के लिए आवश्यक हल्के पटसन और मिश्रित धागों का कितना उत्पादन किया है;

(घ) क्या सरकार ने ब्याजमुक्त अनुदान के रूप में लाभांश का 30 प्रतिशत देने का प्रस्ताव किया है;

और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं का वित्त पोषण कौन-कौन से बैंक करेंगे?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ड) : यू०एन०डी०पी० द्वारा सहायित पटसन कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़िया पटसन यार्न के विनिर्माण के लिए लघु पटसन स्पिनिंग एककों की स्थापना करने की परियोजना के चरण-I में निम्न पांच उद्यमों को चुना गया है:—

1. मैसर्स ईस्टर्न जू-वूल टैक्स० प्रा० लि०, कलकत्ता ।
2. मैसर्स पायनियर इण्डिया प्रा० लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
3. मैसर्स अरिहन्त बिसलैस (प्रा०) लि०, गुवाहाटी ।
4. मैसर्स बी० सी० ओ० फैब्रिक्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
5. मैसर्स कन्हैयालाल भट्टाचार्य मिनी जूट मिल कापरेटिव सोसाइटी लि०, नार्थ 24-परगना पश्चिम बंगाल ।

ये एकक कार्यान्वयन/परीक्षण अवस्था में है तथा इन्हें अभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अभियान चलाना है । जबकि इन पांचों एककों को भारत सरकार से कोई सहायता नहीं दी गई । यू०एन०डी०पी० ने मशीनरी तथा उपस्कर की खरीद के लिए कम ब्याज के ऋण दिए हैं ।

जहां तक परियोजना के चरण-II में अधिक एकक स्थापित करने का संबंध है, किसी भी उद्यम को चुना नहीं गया है तथा वित्त-पोषण पद्धति अथवा सरकारी सहायता के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मूल्य वर्धित कर प्रणाली

1055. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष से बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित/कारोबार कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, मूल्य वर्धित कर लागू करने संबंधी अड़चनों तथा अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली में 27 मई, 1994 को राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि मूल्य वर्धित कर सहित, कर सुधारों के सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाए । संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने 11 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम संबंधी समिति

1056. श्री शरद दिघे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि बकाया संबंधी समस्याओं को निपटाने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) संसदीय परामर्शदात्री समिति को उप-समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ क० भ० नि०/क० रा० बी० की देय राशियों का भुगतान न करने को अजमानतीय अपराध बनाए जाने, नियोजकों द्वारा शेरार का भुगतान न किये जाने को आपराधिक न्यासभंग बनाए जाने, नियोजक द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप का आश्रय लिये जाने से पूर्व धनराशि का 75% अनिवार्य धनराशि के रूप में जमा कराये जाने, विशेष न्यायालय आदि गठित किये जाने से संबंधित हैं।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त रिपोर्ट पर पहले क० रा० बी० निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाए।

भारतीय पर्यटन

1057. श्री डी० बैकटेश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीयों में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 1994-95 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नवी आजाद) : (क) और (ख) स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटन का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं— विज्ञापन करना, प्रचार-सामग्री अपना एवं वितरण करना, पोस्टरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटक-आकर्षणों को उजागर करना, फिल्मों और श्रदा-दृश्य प्रस्तुतियां, मेले और उत्सवों का आयोजन करके, प्रचार-सामग्री का मुद्रण करने और संवर्धनात्मक फिल्में बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य सरकारों को स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

1058. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से अब तक देश में कितनी विदेशी मुद्रा का निवेश किया गया और किन-किन उद्यमों में निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के निवेशों से संबंधित शर्तों के पालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(घ) विदेशी पूंजी की सहायता से स्थापित उद्योगों द्वारा विदेशी कंपनियों को कितना ब्याज अदा किया है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1991 की नई औद्योगिक नीति की घोषणा से और जून, 1994 तक कुल 15615.82 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के 2118 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। वर्ष 1991 से जून, 1994 तक विदेशी निवेश की वास्तविक अन्तर्प्रवाह 3943.10 करोड़ रुपए की सीमा तक पहुंचना सूचित किया गया।

स्वीकृत प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा अर्थात् प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में भारतीय कंपनी का नाम, विदेश सहयोगीकर्ता का नाम आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूस्लेटर में परिशिष्ट के रूप में छापा गया है। न्यूस्लेटर की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय को भी भेजी जाती हैं।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग संबंधी स्वीकृतियों के प्राप्त होने के बाद, सहयोगी पदाकारों में सहयोग करारों को सम्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है और विदेशी सहयोग स्वीकृति को करार के एक अंग के रूप में बनाया जाता है और ऐसे करारों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नत्थी (फाइल) करना अपेक्षित होता है। उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकृति के संदर्भ में विदेशी पूंजी अन्तर्प्रवाह अथवा लामांश प्रेषण आदि को मानीटर करता है और सहयोग करार के समाप्त होने तक यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

(घ) विदेशी वाणिज्यिक उद्योगों के खातों पर ब्याज भुगतान निम्न प्रकार किया गया है:

वर्ष	अमरीकी डालर राशि मिलियन में
1991-92	993.80
1992-93	917.30
1993-94	910.27

इसमें एक वर्ष से कम अथवा स्वयं-नकदी ऋणों की अल्पकालीन ऋण परिपक्वता राशि शामिल नहीं है। सरकार पृथक्-पृथक् फर्मों के निर्यात निष्पादन संबंधी आंकड़े नहीं रखती।

आंतरिक बाह्य ऋण

1059. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 तथा 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार हमारे देश पर क्रमशः रुपये तथा डालर में कितना आंतरिक तथा बाह्य/विदेशी ऋण है और कितनी देय राशि बकाया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त ऋण के मूलधन तथा उस पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(ग) यः धनराशि किन-किन स्रोतों से जुटाई गयी;

(घ) ऋणों की किश्तों तथा उन पर ब्याज का भुगतान करने के लिये विदेशी ऋणों तथा सहायता और अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों से कितने-कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त की गयी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी ऋणों की देय राशि तथा धनराशि में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) 1994-95 की प्रथम तिमाही में विदेशी ऋणों की कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा क्रमशः रुपये और डालर में देयराशि तथा ऋणों की राशि में कितनी वृद्धि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी खाते में दिनांक 31 मार्च, 1991 और 1994 को यथा-विद्यमान कुल बकाया ऋण निम्नानुसार था :—

	(करोड़ रुपए)	
	1990-91	1993-94 (सं०अ०)
(i) आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	282733	425727
(ii) विदेशी ऋण	66314	127407
(वर्ष के अंत में चालू विनियम दरों पर)	(34.317 बिलियन अमरीकी (डालर के समतुल्य)	(40.757 बिलियन अमरीकी (डालर के समतुल्य)

(ख) वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान निम्नानुसार था :—

	(करोड़ रुपए)	
	1990-91	1993-94 (सं०अ०)
(i) आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियों की वापसी अदायगी और उन पर ब्याज	44797	76998
(ii) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी और उन पर ब्याज	4097	8829

(ग) आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां मुख्यतः बाजार उधारों के माध्य से, राजकोषीय हुडियां जारी करके लघु बचतों और भविष्य निधियों आदि से जुटाई गई थीं। विदेशी ऋण बहुपक्षीय विस्तीय संस्थाओं और द्विपक्षीय दाताओं से लिए गए थे।

(घ) विदेशी ऋण विभिन्न परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं और हमारी योजना प्राथमिकताओं के अनुसार अर्थव्यवस्था की गैर-परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लिए जाते हैं। ऋण की वापसी अदायगी और विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान देय तारीखों को मुख्यतः हमारे निर्यातों और परोक्ष रूप से होने वाली आमदनी से किया जाता है। तथापि विशिष्ट विदेशी प्राप्तियों के मुद्दे वापसी-अदायगियों के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की जाती।

(ड) रुपए के विनिमय दर में किए गए समायोजनों के परिणामस्वरूप संबंधित विदेशी मुद्राओं में उधार ली गई राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि उधार ली गई राशि के समतुल्य रुपए में उस मुद्रा के आधार पर जिसमें उधार का नामोदिष्ट किया जाता है वर्ष 1991 के दौरान रुपए की विनियम दर में किए गए समायोजनों के परिणामस्वरूप लगभग 21 से 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी।

(च) वर्ष 1994-95 की प्रथम तिमाही के दौरान प्राप्त विदेशी ऋणों की राशि 318 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य 993 करोड़ रुपए थी। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण में 823 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य 2572 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बकाया ऋण में वृद्धि इस अवधि के दौरान डॉलर को छोड़कर कतिपय अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयकर दाता

1060. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यापार और उद्योग में लगे आयकरदाताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 की तिथि के अनुसार व्यापार और उद्योग में लगे आयकरदाताओं की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन सभी आयकरदाताओं ने आयकर बकायों का पूरा भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितने आयकर दाताओं ने अपने आयकर बकायों का भुगतान नहीं किया है;

(ड) ऐसे आयकर दाताओं पर कितना आयकर बकाया है;

(च) उन 50 उद्योगपतियों और व्यापारियों का ब्यौरा क्या है; जिन पर आयकर की अधिकतम राशि बकाया है और

(छ) सरकार द्वारा इन बकायों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि

1061. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री श्रवण कुमार पटेल:

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भविष्य निधि आयुक्तों के पास समय पर कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा न करवाने के दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शास्ति संबंधी उपबंध विद्यमान हैं, जिसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदानों को समय पर जमा कराने में असफल रहने पर चूककर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशों को भेजे गए शिष्टमंडल

1062. श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उनके मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने शिष्टमंडलों को विदेश भेजा;
- (ख) इन शिष्टमंडलों ने किन-किन देशों की यात्रा की;
- (ग) इनमें से प्रत्येक शिष्टमंडल पर कितनी धनराशि व्यय की गयी, और
- (घ) इन यात्राओं की क्या उपलब्धियां रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक सेवा शुल्क में वृद्धि

10.63 श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों ने हाल ही में 15 अगस्त, 1994 से अपने सेवा शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है/निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या बैंक के ग्राहकों ने बैंक सेवा शुल्कों में भारी वृद्धि पर रोष प्रकट किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भारतीय बैंक संघ ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से बैंक सेवा शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि को बनाए रखने का अनुरोध किया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
- (च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) ने सूचित किया है कि यद्यपि सेवा प्रभारों को संशोधित करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) अखिल भारतीय बैंक जमाकर्ता संघ और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ के प्रतिनिधी जब भारतीय बैंक संघ की प्रबंध समिति से मिले तो उन्होंने कुछ सेवाओं के संबंध में प्रभारों को युक्तियुक्तीकरण बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया।

(घ) से (च) प्राप्त हुए अभ्यावेदनों और सेवा प्रभागों को संशोधित करने से संबंधित सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की प्रबंध समिति ने पांच सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की उप समिति का गठन किया है। जब उप समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी तब इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (एन० एस० सी०) की बिक्री

1064. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कुल कितने मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री की गई;

(ख) 1992-93 के तुलना में 1993-94 के दौरान इसकी बिक्री में कितनी कमी आई;

(ग) क्या भारतीय, यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूच्युअल फंड में जमा की गई राशि तीन साल बाद प्रति देय होती है;

(घ) क्या छह वर्ष की निर्धारित अवधि के कारण लोगों के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों पर ब्याज का घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य निदेशों की तरह राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की निर्धारित अवधि को घटा करके तीन वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र-VIII की कुल बिक्री (सकल वसूली) (अनन्तिम) 2266.16 करोड़ रुपए थी जो 1992-93 के दौरान हुई बिक्री (अनन्तिम) की अपेक्षा 403.34 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाती है।

(ग) परस्पर निधि की इक्विटी-संबंधी बचत योजनाओं की आबद्ध अवधि तीन वर्ष होती है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र-VIII की कुल बिक्री 1992-93 के दौरान हुई बिक्री से अधिक थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्युमिनियम का उत्पादन

1065. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्युमिनियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को घरेलू मूल्य के बराबर लाने हेतु इस पर आयात शुल्क वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनवरी से जून, 1993 के दौरान अल्युमिनियम के उत्पादन, आयात और इसकी शपत का माह-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) एल्युमिनियम पर आयात शुल्क कम करने के बारे में सरकार को कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

(ग) जनवरी से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान एल्युमिनियम धातु का उत्पादन निम्नानुसार है :—

वर्ष 1993	उत्पादन (मीट्रिक टनों में)
जनवरी	41,152
फरवरी	37,183
मार्च	39,870
अप्रैल	36,433
मई	34,094
जून	34,555

विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा एल्युमिनियम के संबंध में आयात के आंकड़े मासिक तौर पर (प्रति मास आधार पर) नहीं रखे जाते हैं। देश में एल्युमिनियम की खपत के संबंध में भी आंकड़े मासिक तौर पर नहीं रखे जाते हैं। जनवरी से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान एल्युमिनियम धातु की खपत लगभग 1,95,000 मीट्रिक टन थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की हड़ताल

1066. श्री दत्तात्रेय वंडारू :
श्री फूल चंद वर्मा :
श्रीमती गीता मुघर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 14 जुलाई, 1994 को विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) (क) से (ख) गैर-इंटक/भारतीय मजदूर संघ व्यवसाय संघों ने, सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसाय संघ समिति के बैनर तले 14 जुलाई, 1994 को राष्ट्र-व्यापी हड़ताल का आयोजन किया। मंत्रालय में प्राप्त हड़ताल संबंधी नोटिसों में उल्लिखित मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं :—

1. सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्रों विनिवेश संबंधी अभियान का विरोध करना।
2. रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के पुनरुज्जीवन पैकेजों की सहायता करने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए।

3. सरकारी विभागों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करने के तर्क तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को आदेश दिये जाने से इन्कार करके निजी क्षेत्र तथा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को सहारा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के प्रति भारत सरकार की भेद-भाव पूर्ण भूमिका का विरोध करना।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी संशोधन का तत्काल निष्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए डी०पी०ई० के दिशानिर्देशों को दरकिनारा रखना।
5. सभी स्तरों पर पूर्ण निष्प्रभावन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघों के परामर्श से महंगाई भत्ता स्लैब दरों को अंतिम रूप देना।
6. कर्मकारों को बोनस के भुगतान पर सभी अधिकतम सीमाओं का समाप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन।
7. आयकर अधिनियम की छूट सीमा में वृद्धि करना।
8. कर्मकारों तथा प्रबंधन दोनों के संयुक्त अंशदान के माध्यम से पेंशन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
9. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ठेका पद्धति समाप्त करना तथा ठेका-कर्मकारों को नियमित करना।

बोनस के भुगतान के लिए पात्रता तथा गणना संबंधी अधिकतम सीमा में संशोधन, क० भ० नि० अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना लागू किए जाने, महंगाई भत्ता की स्लैब पद्धति आदि को अंतिम रूप दिये जाने से संबंधित मांगों पर श्रम मंत्रालय सक्रियता से विचार कर रहा है।

जहां तक रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के पुनरुज्जीवन का संबंध है, नयी औद्योगिक नीति का श्रमिकों तथा अन्य संबंधित मामलों पर प्रभाव के बारे में विचार करने तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए नवम्बर, 1991 में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी थी तथा विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर सूती कपड़ा, जूट, इंजीनियरिंग, रसायन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा सड़क परिवहन उद्योगों के संबंध में छः अन्य क्षेत्रीय त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियां पुनरुज्जीवित की गयी थी। इन सभी समितियों ने बैठकें की हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया है। विचार-विमर्शों की प्रक्रिया अभी जारी है।

शेष मुद्दे सामान्य प्रकृति के हैं और उन पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

11.05 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

12.01 म०पू०

लोक सभा 12.01 म०पू० पर पुनः सभ्येत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर की-गयी-कार्यवाही वर्ष के बारे में

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बहुत बढ़िया वक्तव्य एवं भाषण देते हैं। हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। आप एक-एक करके बोल सकते हैं।

(ब्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जो संयुक्त रूप से कह रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

(ब्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ।

(ब्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोगों का कहना यहां पर काम करने वालों के सर-आंखों पर रहता है। आप अगर इस रिपोर्ट को वापस लेने की बात कहते हैं, कल प्रतिभा जी ने कहा कि हमको इसके ऊपर बोलने का अधिकार है। अगर एक भी मेम्बर कह दें तो इस प्रकार से इसको वापस नहीं लिया जा सकता। आप मोशन लाइयेगा, रखेंगे।

(ब्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आप पहले इसे वापस लीजिये। - (ब्यवधान)

[अनुवाद]

12.05 म०प०

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा सोमवार, एक अगस्त, 1994 के ग्यारह म०प० पर पुनः सम्बन्धित होने के लिये स्थगित होती है।

12.06 बजे म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 अगस्त, 1994/10 भावम्, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)

के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और

प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।
